राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का ४०वां दिवस [संख्या २६

सोमवार, दिनांक ३ अप्रेल, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १४ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग, खनिज, योजना, वन, विद्युत, अकाल विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

शिक्षा सलाहकार मंडल

९९३. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी**(डीग): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या सरकार ने किसी शिक्षा सलाहकार मंडल का कभी गठन किया था ?

(ख) यदि हां, तो क्या वह अभी तक प्रचलित है ? यदि हां, तो उसके कौन कौन सदस्य हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(ग) उक्त मण्डल की अन्तिम बैठक कब हुई थी तथा उसमें क्या क्या निर्णय लिये गये ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। सदस्यों के नाम की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) मण्डल की अन्तिम बैठक दिनांक ३०-३१ मई, १९६० को हुई थी। बैठक की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधानसभा, पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या यह जो बैठक के निर्णय का विवरण दिया है इस पर अमल आरम्भ हो चुका है ?

Page No.2

श्री दामोदरलाल व्यास : किस पॉइन्ट पर पूछ रहे हैं ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: मैडिकल के लिए दिया था "The Board further decided to form a subcommittee and enquire into the causes why in the Science Faculty (Biology) only a few number of students seek admission and the quality of the students seeking such admission is also not up to the mark with the result that the quality of students going to the medical college does not prove satisfactory." यह तीसरे पेज पर है, नीचे बॉटम में, कमेटी ने की है कई बातों की जांच…………

श्री दामोदरलाल व्यास : कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, मगर उस पर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हो गये थे कि इस तरह की जांच की जाय। उसमें क्वालिटी बढ़ाने के लिए एक्शन लिया गया।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इस तरह सारी कमेटियों का है, इन पर जो कुछ निर्णय लिये हैं, उन पर अमल किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है कइयों पर।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

भूमि आवंटन समिति द्वारा आवंटन की विधि

६६४. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) [डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) लैण्ड अलॉटमेंट कमेटी इन्डिवीज्युअल बोनाफाइड कल्टीवेटर को जमीन देते समय किन किन बातों का ध्यान रखेगी ?

(ख) क्या अलॉटमेंट कमेटी व्यक्ति विशेष के कुटुम्ब की जनसंख्या पर या बराबर के काम करने वाले कुटुम्ब के सदस्यों की संख्या देख कर जमीन देगी ?

(ग) इन्डिवीज्युअल कल्टीवेटर को सावण जमीन या चाही जमीन लैण्ड अलॉटमेंट कमेटी को कितने अर्से के लिए देने का हक है और यह हक किस रूप में काश्तकार को लिख कर दिया जाता है ? मजमून सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) राजस्थान भू राजस्व-कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, १९५७ के नियम संख्या १३ के अनुसार भूमि का आवंटन तहसीलदार द्वारा एडवाइज़री कमेटी की सलाह से किया जाता है। नियमानुसार एडवाइज़री कमेटी मुख्यतः निम्न मुद्दों पर ध्यान देती है :—

१. क्या प्रार्थी भूमि आवंटन का अधिकारी है ?

२. उक्त नियमों के नियम संख्या ११ में वर्णित प्रायोरिटी के अनुसार ही अलॉटमेंट हो।

३. आवंटित भूमि की तादाद नियम संख्या १२ में उल्लिखित तादाद से अधिक

(श्री दामोदरलाल व्यास)

न हो यानी ५ बीघा सिंचित और १५ बीघा असिंचित।

४. रेल्वे फैन्सिंग के सौ गज की दूरी के अन्दर अवस्थित भूमि तथा जयपुर शहर के १० मील के रेडियस में स्थित भूमि के आवंटन की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की जावे।

(ख) अलॉटमेंट उन्हीं व्यक्तियों को किया जावेगा जो कि नियम संख्या २ में वर्णित भूमिहीन व्यक्तियों की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं।जमीन जो कि अधिकतम ५ बीघा सिंचित और १५ बीघा असिंचित होगी, भूमिहीन व्यक्ति के पूरे कुटुम्ब के लिए होगी।

(ग) उक्त नियमों के अनुसार भूमि का आवंटन गैर खातेदारी टिनेन्सी पर किया जाता है। अलॉटमेंट के दस वर्ष पश्चात् यदि इस अवधि में अलॉटमेंट की अन्य शर्तों का पूर्ण रूप से पालन किया जाये तो भूमिधारों को खातेदारी हक दे दिये जाते हैं। नियमों में अलॉटमेंट ऑर्डर का कोई खास मजमून निर्धारित नहीं किया गया है। प्रायः कमेटी द्वारा स्वीकृत अलॉटमेंट केसेज़ की सूची तहसील द्वारा सम्बन्धित पटवारियों को अलॉटीज़ को भूमि पर कब्जा देने हेतु भेज दी जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : यह जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट के जो नियम बनाये गये हैं, उनका कहीं उल्लंघन होता है, ऐसी हालत में ऐसे नियम हैं कि गलत तरीके से अलॉटमेंट कर दें तो क्या सजा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गलत अलॉटमेंट कैंसल करने के अधिकार अपील में हैं और रिवीजन में भी हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : वह तो अपील में और रिवीज़न में हैं। लेकिन जो अधिकारी इसकी देख रेख में रहते हैं, तो कोई न कोई जिम्मेदार व्यक्ति के पास अधिकार होना चाहिए, नियम होना चाहिए कि जो नियमों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए क्या कार्यवाही की जाय। इस दृष्टि से कोई सुविधा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नियमों में सुविधा है, सरकारी अधिकारी गलत तरीके से कार्यवाही करता है तो उसे सजा होती है।

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज।

दौसा-सवाई माधोपुर सड़क पर टार पेन्टिंग का कार्य

६६५. **श्री पृथ्वीराज** (गंगापुर—सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(क) क्या दौसा-सवाई माधोपुर रोड पर टार पेन्टिंग का कार्य संतोषप्रद चल रहा है ? क्या मील ४०,४१,४५ में ग्रेट जो इकट्ठी की गई है वह एप्रूव्ड क्वालिटी की है ? क्या यह सत्य है कि वह माल बगड़ी तथा मलारना डूंगर पहाड़ की उन खानों से लाया गया है जो गवर्नमेंट द्वारा रिजेक्टेड

(श्री पृथ्वीराज)

हैं ? क्या उक्त माल एस्टीमेट के अनुसार ही $\frac{5}{8}$" to $\frac{1}{2}$" साइज का है ?

(ख) क्या उक्त माल (कलेक्शन) का पेमेन्ट कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और किसकी रिपोर्ट पर ;

(ग) क्या यह भी सही है कि कॉन्ट्रेक्टर श्री लक्ष्मीनारायण असिस्टेन्ट इन्जीनियर से तथा उच्चाधिकारियों से मिला हुआ है और मनमानी कार्यवाही कर रहा है ? क्या साइट के ओवरसियर का ट्रान्सफर इसी कारण से इनके साथ नहीं मिलने के कारण करा दिया गया है क्योंकि उसने उक्त रिजेक्टेड माल का बिल बनाने से इन्कार कर दिया था ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): (क) (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं ।

(४) जी हां ।

(ख) जी हां, दिनांक २७–८–६० तथा ८–१०–६० को सहायक अभियन्ता भवन व पथ, सवाई माधोपुर के बिल प्रस्तुत करने पर ।

(ग) श्री लक्ष्मीनारायण कॉन्ट्रेक्टर इस सड़क पर कोई कार्य नहीं कर रहा है । अतः प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं, प्रशासन की दृष्टि से किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

जिला जयपुर तथा अलवर के अध्यापकों के बकाया वेतन की अदायगी

६६६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला जयपुर व अलवर में किन किन अध्यापकों का पिछला वेतन कब कब का बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) बकाया वेतन इतने दिनों तक न दिये जाने का क्या कारण है तथा अब कब तक दे दिया जायगा ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जिला जयपुर व अलवर के जिन जिन अध्यापकों का पिछला वेतन बकाया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) कुछ रकमें फिक्सेशन तथा सिलेक्शन ग्रेड की हैं जो कुछ समय पहले ही तय हुए हैं, कुछ रकमें बाकी होने का कारण यह भी है कि अध्यापकों द्वारा जोइनिंग व मेडीकल सर्टीफिकेट आदि समय पर नहीं प्राप्त हुए । बकाया वेतन देने की कार्यवाही शीघ्र ही की जा रही है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामकरणसिंह : आपने जो सूची दी है उसमें लास्ट पेज पर आइटम नं० ६ पर "तनख्वाह की फलावट में फर्क के कारण" लिखा है, इसका क्या मतलब है ?

Page No.5

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या ?

श्री रामकरणसिंह : यह जो सूची दी है, उसमें लास्ट पेज पर ६ नम्बर पर लिखा हुआ है, अध्यापिका के सामने "तनख्वाह की फलावट में फर्क के कारण"....

श्री दामोदरलाल व्यास : कौनसी तहसील का बताया ?

श्री रामकरणसिंह : डिस्ट्रिक्ट अलवर, कन्या पाठशाला, लास्ट पेज ।

श्री दामोदरलाल व्यास : श्रीमती निर्मला माथुर ?

श्री रामकरणसिंह : जी हां, नम्बर ६ ।

श्री दामोदरलाल व्यास : "तनख्वाह की फलावट के फर्क के कारण," कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होगा, जो सेलेरी है....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): जिनका वेतन बकाया है, क्या Rationalised Pay Scales के अनुसार जो इन्क्रीमेंट होना चाहिए, फिक्सेशन होना चाहिए, वह हो गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो ऐसा है कि जो तनख्वाह इतने अर्से से बाकी निकल रही है वह अलग अलग पीरियड की है । किसी की ४ महीने की बाकी है, किसी की ६ महीने की बाकी है तो किसी की आठ महीने की बाकी है । Rationalised Pay Scales में तो जिनका फिक्सेशन होना चाहिये उनका हो जाना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : फलावट का ठीक नहीं होना क्या तनख्वाह रोकने का कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि कई कारण हैं, फलावट का तो एक कारण है जिसमें एक्च्युअल सेलेरी में और डिमान्ड में फर्क होगा । कई कारण हैं जो मैंने निवेदन किये । बेशक काफी लोगों को तनख्वाह समय पर नहीं दी गई है, सरकार इस चीज को महसूस करती है और सख्त कदम उठा रही है कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को तनख्वाह दे दी जाय ।

श्री भैरोंसिंह : क्या वे ऐसे कारण हैं जिनको सरकारी अधिकारी, इन्सपेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, डाइरेक्टर अभी तक सोल्व नहीं कर सकते थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सोल्व नहीं कर सके तभी तो तनख्वाह रुकी रही, सोल्व कर सकते तो कभी की तनख्वाह मिल जाती । ठीक अटेन्शन नहीं दिया गया है जिससे तनख्वाह रुकी है । अब सरकार ने प्रोपर अटेन्शन देने की और जल्दी से जल्दी निर्णय ले लेने की सख्त ताकीद की है ।

प्रश्न संख्या ६६७

श्री अध्यक्ष : श्री तेजराम गहलोत ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६६८

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा ।

लघु उद्योगों के लिये ऋण

६६६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) [डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) लघु उद्योगों के लिये किन किन लोगों को किन किन आधारों पर कर्जा दिया जाता है ?

(२) क्या यह सत्य है कि कई लोग जो वास्तव में नया उद्योग लगाना चाहते हैं परन्तु उनके पास गैर मनकूला जायदाद न होने से सरकार से वे कर्जा नहीं उठा सकते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नियम में रद्दोबदल कर बिना किसी प्रकार की सम्पत्ति वालों को भी छोटे घरेलू उद्योग लगाने के लिये कर्जा देने पर विचार कर रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) लघु उद्योगों के विकास हेतु स्टेट एड टू स्माल स्केल एन्ड कोटेज इन्डस्ट्रीज़ रूल्स, ५६ के अनुसार हर व्यक्ति को ऋण दिया जाता है ।

(२) जी नहीं । स्माल स्केल एन्ड कोटेज इन्डस्ट्रीज़ रूल्स, १६५६ के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ५,०००) रु० तक शख्सी जमानत (पर्सनल सिक्योरिटी) पर और १,०००) रु० तक केवल पर्सनल बोन्ड पर ही ऋण दिया जाता है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : हर व्यक्ति को दिया जाता है, इसका मतलब क्या है ? कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ के लिये हर व्यक्ति को दिया जाता है या कुछ लोगों को दिया जाता है ? कई लोगों को ऋण नहीं मिलता है । आपने कहा है कि हर व्यक्ति को मिलता है इसलिये मैंने पूछा है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जितने फंड्स होते हैं उनको देखते हुए दिया जाता है । फंड्स की कमी होती है तो नहीं दिया जाता है । कोई खामी हो, फोर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हुई हों तो नहीं दिया जाता है, वर्ना दिया जाता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह माना जाय कि फंड्स की कमी है इसलिये कुछ लोगों को ऋण नहीं दिया जाता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : समझा नहीं ।

श्री अध्यक्ष : क्या ऐसा माना जाय कि फंड्स की कमी के कारण कई लोगों को ५,०००) रु० का ऋण नहीं दिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ५ हजार रुपये तक का लोन देने के पॉवर्स डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज़ को हैं, उनके पास जैसे जैसे फंड्स होते हैं, उनको देख कर देते हैं । मुमकिन है वान्ट ऑफ फंड्स की वजह से नहीं दिया गया हो । कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स बतायें आप ।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर में बहुत से इन्डस्ट्रियलिस्ट्स ने कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ के लिये मांगा, पर उनमें बहुत सों को नहीं मिला । आपने कहा कि हर एक को दिया जाता है, इसलिये मैंने पूछा है कि कुछ

(श्री मुरलीधर व्यास)

लोगों को दिया जाता है या सभी लोगों को दिया जाता है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि फंड्स को देखते हुए जितना दिया जा सकता है, दिया जाता है। फंड्स नहीं हो तो सबको नहीं दिया जा सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : वही तो मैं दूसरे प्रश्न में पूछ रहा हूँ कि फंड्स की स्थिति क्या है, सबको दिया जा सकता है कि नहीं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हां दिया जाता है, काफी आदमियों को दिया जाता है। गई साल स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के बारे में १७ लाख रुपया दिया गया था।

प्रश्न संख्या ७००

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ७०१

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७०२

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री सोहनलाल भटनागर।

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक संस्थान

७०३. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

ग्रामीण क्षेत्रों में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में कहां कहां औद्योगिक संस्थान खोले जाने का प्रावधान है ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): तृतीय पंचवर्षीय योजना में सुमेरपुर में औद्योगिक बस्ती बनाई जायगी। फालना और रानी ग्रामीण क्षेत्रों में एसिस्टेड उद्योग बस्तियां बनेंगी।

अन्य स्थानों पर करीबन २०० वर्कशैड बनाए जावेंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग बस्तियां बनाये जाने के स्थान का निर्णय सरकार के विचाराधीन है।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : ये बस्तियां किन किन जिलों में बनाई जावेंगी, इसका उत्तर दिया जाय।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने जवाब दे दिया है। एक सुमेरपुर में और दो असिस्टेड इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स रानी और फालना में बनेंगी, ७ अलग अलग स्थानों पर वर्क शेड्स हैं।

श्री किशनाराम : मेरा प्रश्न है कि किन किन जिलों में बनाई जावेंगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन कर दिया है....

Page No.8

श्री किशनाराम : मेरा प्रश्न यह है कि किन किन जिलों में बनाई हैं आपने ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा है कि अभी विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : कुल कितनी बस्तियां बनेंगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस साल ५ के लिये किया है। Five more industrial estates over and above these are already under construction.

श्री अध्यक्ष : रूरल इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स का पूछ रहे हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके लिये मैंने अर्ज किया था सुमेरपुर में एक औद्योगिक बस्ती और रानी व फालना ग्रामीण क्षेत्रों में अक्लिस्टेड उद्योग बस्तियां बनेंगी और मांग आयेगी तो बनाई जा सकती हैं, और जगह रूरल एरिया में करीब करीब २०० शेड्स बनाने की बात है, किस किस जगह ये हो सकते हैं वह सारा अन्डर एग्जामिनेशन है।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहता था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ऐसे कितने इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स खोलने हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सारे प्रोविंस को देखते हुए करीब ८०० शेड्स तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाने हैं और अलग अलग जगह पर इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स खोले जायेंगे। इस साल ५ खोलने का तय किया है। अगले साल जैसे फंड्स होंगे उनके अनुसार खोले जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स के लिये कोई खास प्रोग्राम बनाया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, खास प्रोग्राम बनाया है, 157 lakhs we had to spend for the industrial estates in the third Five Year Plan period. जैसे जैसे फंड्स आयेंगे उसी के अनुसार बनेंगे।

श्री भैरोंसिंह : इस वर्ष कहां कहां बनाये जाने वाले हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो मैंने निवेदन किया कि ५ जगह हैं। गवर्नर साहब की स्पीच में दिया हुआ है कि ५ जगह हम बनाना चाहते हैं इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स।

श्री भैरोंसिंह : ५ बने हैं उनका निर्णय तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कहां कहां इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स और शेड्स खोलने हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : १९६१–६२ में दूसरी ५ औद्योगिक बस्तियों का दिया हुआ है।

श्री किशनाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, मन्त्री महोदय से रिक्वेस्ट थी कि किस किस डिवीजन में खोलने की योजना है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सारे डिवीजन्स में खोले हैं, १४ बस्तियां करीब करीब सारे डिवीज़न्स में हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जायं तो सारा प्रोविजन है....

श्री किशनाराम : मैंने तो सिर्फ डिवीजन्स का पूछा है, साफ क्यों नहीं बता देते कि

(श्री किशनाराम)

इस डिविजन में खोलने की योजना है, आप लम्बी चौड़ी भाषा लगा कर इधर उधर घूमते हैं।

प्रश्न संख्या ७०४

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री दलपतसिंह (आबू) : माननीय अध्यक्ष, प्रश्न संख्या ७०५ का उत्तर दिया जाय।

महाराजा, सिरोही के व्यास पुरोहितों तथ अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

७०५. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) [श्री दलपतसिंह (आबू) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि अप्रेल सन् १६५० से १७ अक्टूबर, सन् १६५० तक सिरोही महाराजा के व्यास पुरोहितों व दीगर अमला की तनख्वाह चुकाने की जिम्मेदारी समझौते के अनुसार राजस्थान सरकार की थी ? यदि हां, तो उस अमले को तनख्वाह चुकाई गई है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जी हां। वेतन तो गत वित्तीय वर्ष में ही सम्बन्धित व्यक्तियों को चुका दिया गया है।

प्रश्न संख्या ७०६

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा।

प्रान्त में खनिज विकास

७०७. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) [डॉ बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया]: क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान बनने के बाद खनिज विकास के लिए सरकार ने आज तक क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि खनिज अभियन्ता जो टैक्निकल ज्ञान से सम्पन्न हैं उनकी सेवाओं का उपयोग टैक्निकल कार्यों के लिये न लिया जाकर प्रशासनिक कार्यों में लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कमी को दूर करने का कोई उपाय सोचा है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) खनिज पूर्वेक्षण तथा अनुसंधान का कार्य तेजी से किया जा रहा है। विभागीय प्रयोगशाला में तथा अन्य भारतीय प्रयोगशालाओं में यहां के खनिजों की जांच एवं उपयोगिता मालूम की गई है। प्रधान एवं अप्रधान खनिजों के विकास के लिए नियम तथा योजनाएं बना कर उन्हें प्रोत्साहित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान बनने के बाद अब तक अनेक नवीन खनिजों का पता लगा है एवं

(श्री दामोदरलाल व्यास)

खनिज उत्पादन तथा खनिज राजस्व में वृद्धि हुई है।

(ख) कुछ हद तक ठीक है। खान अभियन्ता प्रशासनिक कार्य के साथ साथ टैक्निकल कार्य भी करते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री सोहनलाल भटनागर !

अधिकतम सीमा-निर्धारण के उपरान्त भूमि-प्राप्ति का अनुमान

७०८. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बाद कितनी भूमि प्राप्त की जाने का अनुमान है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): इस सम्बन्ध में कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कानून को कार्यान्वित करने पर ही यह निश्चित रूप से कहा जा सकेगा कि किस कदर भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध हो सकेगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, पर कई बार कहते हैं कि हमने सारे आंकड़े निकाल लिये हैं तो कुछ न कुछ निश्चित आधार चुना होगा कि कितने भूमिहीनों को भूमि मिल सकती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो सवाल था उसका जवाब तो दे दिया, आप दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : एस्टिमेटेड एरिया बता दीजिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not possible for me to say anything at present, estimated or un-estimated. क्योंकि जब तक अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं हो जावे यह कहना मुश्किल है। I think it will take another six months to prepare that data.

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या जिलों में स्टाफ की कमी है ? मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझा नहीं।

श्री किशनाराम : आपने क्या फर्माया, मैंने सुना नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कुछ कहा ही नहीं है।

प्रश्न संख्या ७०६

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित जिला परिषदों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव

७१०. **श्री सोहनलाल भटनागर**

(श्री सोहनलाल भटनागर)

(सलूम्बर) : क्या योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण करते समय राज्य सरकार ने जिला परिषदों के प्रस्ताव मांगे थे ?

(२) यदि हां, तो विभिन्न जिला परिषदों ने कितने प्रस्ताव भेजे और उनमें से कितनों को सरकार ने तृतीय योजना में सम्मिलित किया ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय राज्य सरकार ने समस्त पंचायत समितियों को उन स्कीमों को तैयार करने के लिए आमन्त्रित किया था जो कि पंचायत समितियों द्वारा कार्यान्वित की जाने को थी तथा उनको यह कहा गया था कि वे अपने प्रस्ताव संबंधित जिला परिषदों को भेजेंगी । जिला परिषदों को विभिन्न पंचायत समितियों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करके अपने सुझावों सहित संबंधित विभागाध्यक्षों को भेजने को लिखा था । जो योजनाएं विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार और कार्यान्वित करनी थीं उन पर भी जिला परिषदों के सुझाव मांगे गये थे ।

(२) जिला परिषदों ने जो प्रस्ताव अपने सुझाव सहित भेजे उनकी विभागाध्यक्षों ने जांच की और जो प्रस्ताव ठीक पाये गये और जहां तक उपलब्ध आर्थिक साधनों में संभव था, उनका राजकीय योजनाओं में उन्होंने समावेश कर लिया ।

श्री सोहनलाल भटनागर : कितने प्रस्ताव भेजे गए और कितनों को राज्य सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : ये जो जिला परिषदों ने प्रस्ताव भेजे, क्या राज्य सरकार ने उनको भी वापिस इत्तिला दी कि इतने प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं और इतने प्रस्तावों को शामिल नहीं किया गया है और इस वजह से नहीं लिये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बात यह है कि अलग अलग पंचायत समितियों को डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एलोकेशन बता दिया गया था । उसके अनुसार उनको अपने प्रस्ताव भेजने थे । यह बात उनके देखने की थी । जिला परिषद में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर थे उनको सूचना हो जाती है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : वापिस जिला परिषदों ने जो अपने कमेन्ट्स भेजे उनका क्या किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको अर्ज किया । आपने सुना नहीं, आप उसको सुन लें :

"जिला परिषदों ने जो प्रस्ताव अपने सुझाव सहित भेजे उनकी विभागाध्यक्षों ने जांच की और जो प्रस्ताव ठीक पाये गये और जहां तक उपलब्ध आर्थिक साधनों में संभव था उनका राजकीय योजनाओं में उन्होंने समावेश कर लिया ।"

यह एलोकेशन बताया गया उसके

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अन्दर जितने सुझाव थे मान लिए और जो उसके अन्दर नहीं आते या योजना में नहीं आते थे उनको नहीं।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या यह सही है कि जो सुझाव जिला परिषदों ने भेजे उनमें से एक को भी नहीं माना गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आपकी जानकारी सही नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : राज्य सरकार ने जिला परिषदों और पंचायत समितियों को आदेश दिया कि इसके अनुसार वे अपने प्रस्ताव बना कर भेजें। इसके अन्तर्गत उन्होंने अपने दृष्टिकोण से जो आवश्यक समझा कि यह योजना आवश्यक है उसको भेजा। यहां पर नीचे से योजना बनानी चाहिये थी। वह नीचे से नहीं हुआ और आपने ऊपर से ही उनको इन्सट्रक्शन्स दिये। उनके प्रस्तावों को मन्जूर नहीं किया। जब आपने उनके प्रस्तावों को मन्जूर नहीं किया तो उनकी इत्तिला जिला परिषदों और पंचायत समितियों को दी या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपका मतलब नहीं समझा।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार ने ऊपर से उनको कहा और एलोकेशन बताया। पंचायत समितियों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार बना कर भेजा। आपने उनको यह बताया कि इन्डस्ट्री में इतना और कृषि में इतना खर्च किया जायेगा, यह दिया। उसके बाद पंचायत समितियों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार बजट भेजा।

श्री दामोदरलाल व्यास : एलोकेशन का मतलब यही होता है कि Head-wise अपना बजट बनाएं।

श्री मुरलीधर व्यास : हमने देखा है कि इर्रिगेशन के लिए बीकानेर में दिया गया है मगर वहां पर इर्रिगेशन का कोई काम नहीं हो सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी गलती नहीं हुई है।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर में इर्रिगेशन के लिए एलोकेशन हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर हुआ है तो हम इसको बाद में देख लेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं खुद उसमें था। इसको मन्जूर करें या योजना में लें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब इर्रिगेशन की आवश्यकता नहीं है तो एलोकेशन का प्रश्न ही नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री किशनाराम।

चुरू जिले में खातेदारी तथा मुआवजे के मामले

७११. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) चुरू जिले में धारा १६, राजस्थान

(श्री किशनाराम)

टिनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी राइट हासिल करने हेतु कितने केसेज़ रेवेन्यू अदालतों में चल रहे हैं ?

(ख) उपरोक्त जिले में धारा १६ के तहत काश्तकारों पर मुआवजा हासिल करने हेतु कितने केसेज़ रेवेन्यू अदालतों में चल रहे हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) कोई नहीं।

(ख) चुरू जिले में धारा १६ के तहत काश्तकारों पर मुआवजा हासिल करने हेतु कोई केसेज़ विचाराधीन नहीं हैं। अलबत्ता राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा २० के ४७४ केसेज़ रेवेन्यू अदालतों में चल रहे हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रमांक	नाम अदालत	संख्या केसेज़
१.	एस.डी. एम., चुरू	९७
२.	एस.डी. एम., राजगढ़	६२
३	एस.डी. एम., रतनगढ़	३१५
	कुल योग	४७४

श्री किशनाराम : अभी आपने (क) के उत्तर में बताया कि 'कोई नही'। आप यह किस आधार पर कहते हैं, क्या आधार है आपके पास ऐसा जवाब देने का ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने यह पूछा कि 'धारा १६,' राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी राइट हासिल करने हेतु कितने केसेज़ रेवेन्यू अदालत में चल रहे हैं तो मैंने उत्तर दिया कि कोई नहीं। दफा १६ की तहत जो राइट्स मिलते हैं उसको दफा २० में देते हैं।

श्री किशनाराम : दफा १६ की तहत खातेदारी राइट्स मांगने वालों के कितने केसेज चल रहे हैं और कितनी दरख्वास्तें चल रही हैं। आप कहते हैं कि कोई नहीं, वह किस आधार पर कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह मान लेना चाहिये। जब माननीय मंत्री कहते हैं कि 'कोई नहीं' तो उन्होंने सब अदालतों से जानकारी मंगा कर ही कहा है।

श्री किशनाराम : हम सब जानते हैं कि कितनी अर्जियां पेन्डिग पड़ी हुई हैं और आप कहते हैं कि कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप एक-दो मिसालें दे दीजिये माननीय मंत्री उसको देख लेंगे।

श्री किशनाराम : मैं चैलेंज देता हूँ कि बहुत सी अर्जियां लोगों की, कई मामले पेन्डिग पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बता दें कि अमुक मामले में नहीं हुआ है।

श्री किशनाराम : जब मैं लिख कर दूंगा, आप कुछ करेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : वे करेक्ट कर लेंगे।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ७१२

राव श्री नारायणसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री किशनाराम ।

एक्स–सोल्जर्स तथा उनके बच्चों को सरकारी सुविधाएं

७१३. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) राजस्थान में एक्स–सोल्जर्स के बच्चों को शिक्षण संस्थाओं में क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

(२) क्या यह सही है कि एक्स–सोल्जर्स के बच्चों से कॉलेजों में ट्यूशन फीस ली जाती हैं ? यदि हां, तो क्या क्या ?

(३) क्या यह सही है कि ए. सी. सी. तथा एन. सी. सी. में रिटायर्ड फौजी इन्सट्रक्टर्स का काम दे सकते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार रिटायर्ड फौजियों की बेकारी को रोकने के लिये उनकी इन्सट्रक्टर्स में नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) अलग से विशेष सुविधा नहीं दी जाती। सोल्जर्स बोर्ड द्वारा हायर सेकन्डरी तक के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाती है।

(२) जी हां। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भिन्न कक्षाओं की ट्यूशन फीस उनसे भी ली जाती है। यदि कोई छात्र ट्यूशन फीस से मुक्ति की प्रार्थना करता है तो १० प्रतिशत के अन्दर उस पर विचार किया जाकर संस्था के अधिकारी द्वारा उसे ट्यूशन फीस माफ करदी जाती है।

(३) ए० सी० सी० तथा एन० सी०सी० में इन्सट्रक्टर्स के स्थान पर रिटायर्ड फौजियों को रखा जाता है।

श्री किशनाराम : क्या ए. सी. सी. तथा एन. सी. सी. में रिटायर्ड सोल्जर्स को रखा जाता है ?

श्री अध्यक्ष : जी हां, यही कहा है।

श्री किशनाराम : क्या आप बता सकते हैं कि आज तक कितनों को नियुक्त किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कितने हैं, यह नहीं कह सकता। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि उन्हीं को रखा जाता है। जब यह कहता हूँ तो यह समझना चाहिये कि रखे जाते होंगे। इसके लिये कुछ री–अपोइन्टमेंट की एज लिमिट है। एन. सी. सी. के लिये ४६ साल और ए. सी. सी. के लिये ५२ साल की होती है। इसमें पांच वर्ष की मयाद है। पांच साल से ज्यादा का समय रिटायर हुए नहीं होना चाहिये। Pay and Allowances व Service Conditions रेगुलर पेन्शनर्स की जो होती हैं, वही हैं।

श्री किशनाराम : आपने फर्माया कि रखा जाता है। मेरे को मालूम है जैसा आपको मालूम है आपने जवाब दिया।

श्री अध्यक्ष : आपने यह नहीं पूछा कि कितनों को रखा गया है ?

श्री किशनाराम : सप्लीमेंटरी में पूछ सकते हैं । आप कहेंगे तो नहीं पूछूंगे ।

श्री अध्यक्ष : आप सीधा यही पूछ लेते ।

श्री किशनाराम : अगर यह पूछते तो आसानी से जवाब दे देंगे ?

(हंसी)

हंसी की बात नहीं है । सोल्जर्स के बारे में आपको अनुभव नहीं है, यह हम जानते हैं अच्छी तरह से । आप नहीं जान सकते ।

अकाल पीड़ित क्षेत्रों से बाहर जाने वाले पशु

७१४. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मंत्री—अकाल विभाग निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) गत अकाल में अकाल पीड़ित क्षेत्रों से कितने पशु बाहर गये व कितने वहीं रहे ?

(२) जंगलों में जो पशु गये वहां जाने के पश्चात् ३१ जनवरी, १६६१ तक किस किस काम के लिये कितने कितने रुपये सहायता के दिये गये तथा कितने अधिकारी एवं डॉक्टर सहायता के लिये गये ?

(३) जंगलों में भूख एवं थकावट के कारण कितने पशु मर गये ?

अकाल विभाग मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि गत अकाल में कितने पशु बाहर गये व कितने वहां रहे, क्योंकि बहुत से पशु बिना किसी सूचना दिये हुए ही चले गये। अन्तिम डिपो (कोटा) से लगभग ३०,००० पशुओं ने चारा लिया है किन्तु अन्दाजा यह है कि लगभग १,००,००० पशु बाहर गये होंगे ।

(२) ३१ जनवरी, १६६१ तक लगभग ५,०००) रु. के ऊनी कम्बल किसानों को बांटे गये, जो पशुओं को लेकर बाहर गये । निम्न-लिखित अधिकारी सहायता के लिये गये :—

(क) उप-जिलाधीश, बारां ।

(ख) जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ ।

(ग) प्रतिनिधि, कलेक्टर, झालावाड़ व पशु डॉक्टर ।

(घ) एमीग्रेशन ऑफिसर मय एमीग्रेशन इन्सपेक्टर ।

(ङ) पशु डॉक्टर ।

(३) भूख एवं थकावट के कारण पशुओं के मरने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कितने कम्बल बांटे गये अब तक ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको पांच हजार रुपयों के कम्बलों के लिए कहा, तादाद कम्बलों की तो मेरे पास नहीं है ।

Page No.16

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि वास्तव में कोई कम्बल नहीं बांटे गये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सजेशन बिल्कुल गलत है ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : कम्बल कब बांटे गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस वक्त लोग पशु लेकर बाहर गये; मध्यप्रदेश में भी दिये, रास्ते में भी दिये, इमीग्रेशन ऑफिसर ने दिये ।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : जब कम्बल बांटे गये तो सर्दी थी या गर्मी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सर्दी की मौसम में बांटे गये ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : पांच हजार की रकम के कम्बल बता रहे हैं तो कुल उनमें कितने कम्बल खरीदे गये होंगे यह तो साधारण सी बात है, बता सकते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : कम्बल पांच रुपये का भी हो सकता है, दस रुपये का भी हो सकता है और कम्बल १५) रु. का भी हो सकता है । मैं आपको इसका मैथेमेटिकल हिसाब लगा कर नहीं बता सकता । कम्बलों की तादाद मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या एक लाख पशु राजस्थान से बाहर गये या राजस्थान में एक जिले से दूसरे जिले में गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : राजस्थान से बाहर जाने की बात बता रहा हूँ । मैं डेफिनिट यह तो सूचना नहीं दे सकता हूँ कि कितने पशु किस जगह गये क्योंकि काफी पशु पटवारी, तहसीलदार आदि को बिना सूचना दिये और परमिट लिये ही बाहर चले गये । झालावाड़ से, लास्ट डिपो पर ३० हजार पशुओं को घास दिया गया, यह रिपोर्ट हमारे पास है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा गौ हत्या निरोध समिति, दिल्ली द्वारा सरकार को सूचना दी गई थी कि उन्होंने दौरा किया है और यह रिपोर्ट भी दी है कि पशु भूख से मर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो सूचना आई थी उसकी जांच करने पर यह सही नहीं मालूम हुई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस सूचना की जांच कराने से पहले गौ हत्या निरोध समिति को जिसकी ओर से शिकायत की गई थी उनको पूछा गया था कि जो सूचना दी है वह किस आधार पर दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अफसरों ने खुद ने रिपोर्ट की है कि भूख व थकावट से मरने की सूचना सही नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या जिस संस्था की ओर से यह एलीगेशन किया गया था कि जानवर भूख और थकावट से मर रहे हैं और कम्बल नहीं बांटे गये हैं, क्या इसको पूछताछ उस संस्था से की गई थी कि आधार क्या था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी कोई

(श्री दामोदरलाल व्यास)

शिकायत नहीं आई थी कि जानवर मर रहे हैं। वेटेरनरी डॉक्टर स्वयम् साथ थे, दौरा करके आये थे।

श्री भैरोंसिंह : उससे पहले जिस संस्था ने इस सम्बन्ध में सूचना दी थी तो क्या उनसे यह पूछना आवश्यक नहीं था कि उनके पास इसका क्या प्रमाण है ?

श्री दामोदरलल व्यास : मैंने सदन में इस सम्बन्ध में पहले पूरा विवरण दिया है कि कहां कहां से पशु बाहर जा रहे हैं, इसकी सारी सूची दी। इसके साथ साथ किन किन ऑफिसर्स ने दौरा किया, वह सब दिया। जो सूचना का आधार है उनका, उसको मैं सही नहीं मान सकता क्योंकि हमारे ऑफिसर्स खुद इसको देख कर आये थे और इसके बावजूद भी जो लोग वापिस मवेशी लेकर लौट रहे थे उनसे भी यह जानकारी ली गई थी। इसलिए जो सूचना थी वह सही नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : जिन्होंने सूचना दी है उनको बिना बुलाये ही जांच करा लेना और उनसे कोई आधार न लेना, यह कैसे मान लिया जाय कि उनकी सूचना गलत थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने क्या अर्ज किया था उसके जवाब को तो सुनते नहीं। उनके लिखने से ही जांच नहीं कराई गई। आम तौर पर जितने मवेशी गये हैं ऑफिसर्स टूर करते रहे हैं और हालात जानते रहे हैं और उसी आधार पर कहा कि उनकी सूचना ठीक नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : अगर कोई जिम्मेवार व्यक्ति या संस्था कोई तथ्य देती है तो उसकी जांच करनी चाहिये और उनको भी कहना चाहिये कि सुबूत दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक साहब ने लिखा था, संस्था ने नहीं, उनको सूचना दे दी गई थी। डिटेल्स तो उनके पास से कोई नहीं आई थी। गौ संवर्धन समिति ने दो साहबान को इस सम्बन्ध में नियुक्त किया है। उनके साथ हमारे ऑफिसर्स डेप्यूट कर दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : अभी आपने कहा था कि उनकी शिकायत पर जांच कराई जो गलत पाई गई तो यह किस आधार पर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हमारी जांच से सही नहीं थी। हमारे ऑफिसर्स ने दौरा किया था और जानकारी प्राप्त की उसके आधार पर उसको गलत पाया।

श्री भैरोंसिंह : क्या उन्होंने जैसी जांच की थी, उसको अब भी आप जांच कराने के लिए तैयार हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार पर यह एलीगेशन है कि जानवर मरे हैं, तो फिर सरकार ने उनसे पूछा नहीं कि आधार क्या है और फिर उस संस्था को कैसे गलत मानते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनको सूचना दी गई कि उनकी सूचना सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जिस संस्था ने सरकार पर एलीगेशन लगाया उससे सरकार ने जांच करने से पहले ही कोई प्रमाण लेना क्यों नहीं उचित समझा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उस चिट्ठी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उस चिट्ठी के कॉन्टेन्ट्स स्वीकार किये हैं या नहीं सरकार ने ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हमारे ऑफिसर्स ने दौरा किया था और रिपोर्ट दी थी। इससे अधिक प्रमाण की बात क्या हो सकती है ? चिट्ठी का जवाब उनको दिया वह इस समय मेरे पास नहीं है और इसके लिए मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

श्री भैरोंसिंह : यह किस आधार पर कह रहे हैं कि प्रमाण का मौका दिये बिना ही जांच करा ली, वह सही है ? यदि आप उनसे अब भी प्रमाण मांगें तो वे देने के लिए तैयार हैं और फिर सरकार उसकी जांच कराने के लिए तैयार है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा था कि उनको पत्र लिखा गया।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने यह पत्र लिखा कि वह सूचना सही नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : समिति का पत्र नहीं आया था, एक व्यक्ति का पत्र आया था।

श्री भैरोंसिंह : आप लैटर हैड देख लें, गौ-हत्या निरोधक समिति का नाम है और नीचे दस्तखत हैं श्री हरदेवसहायजी के।

श्री दामोदरलाल व्यास : श्री हरदेव-सहाय का लैटर आया है।

श्री भैरोंसिंह : फिर क्यों ऐसा कहते हैं कि संस्था का लैटर नहीं था। जो संस्था सरकार पर एलीगेशन लगाती है अब भी क्या सरकार उस संस्था से प्रमाण लेकर उनकी जांच कराने के लिए तैयार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : श्री हरदेव-सहायजी का मेरे पास लैटेस्ट लेटर आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पशु जा रहे हैं। हमने उनके लिए घास का इन्तजाम करवा दिया।

श्री भैरोंसिंह : यह लेटेस्ट आया होगा। लेकिन पहले की कम्प्लेन्ट को उन्होंने विथड्रॉ नहीं किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : उनको यह सूचना दे दी गई कि उनकी सूचना सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जो संस्था सरकार के सामने प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, जिसको सरकार सुनने का भी मौका नहीं देती और उसके लिए यह कह दे कि उनकी शिकायत बिल्कुल गलत है, यह किस आधार पर कह सकते हैं ? जबर्दस्ती किसी संस्था के एलीगेशन को न मानना और बिना प्रमाण लिये ही कह देना कि गलत है, क्या आधार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपसे कहा कि उनकी शिकायत थी कि पशु मर रहे

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हैं। उनको हमारे ऑफिसर्स की रिपोर्ट के आधार पर और जो किसान पशु लेकर लौट कर आये थे उनकी जानकारी के आधार पर सूचना दे दी थी कि उनकी सूचना सही नहीं है। गोसंवर्धन समिति ने स्वयम् दो व्यक्ति नियुक्त किये हैं जिनके साथ हमने अपने ऑफिसर्स को नियुक्त कर दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : बार बार आप यह कह रहे हैं कि जो सूचना दी वह सही नहीं है। यदि सही मान कर चलते हैं तो फिर उनको बुला कर पूछते और उनके प्रमाण देने पर आप उनकी जांच कराते तो मालूम हो सकता था कि उनकी सूचना सही नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जो जबाब दिया उसको तो आपने सुना नहीं और बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं। मैंने कहा कि गौ संवर्धन समिति ने दो व्यक्तियों को नियुक्त किया है और हमने भी ऑफिसर्स को डेप्यूट कर दिया है, जहां वे जावेंगे उनके साथ वे जावेंगे।

श्री भैरोंसिंह : जो गौ हत्या निरोध समिति की ओर से शिकायत आई थी उसके लिए आप जांच कराने के लिए तैयार हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं तीन दफा जबाब पेश कर चुका हूँ कि वह शिकायत सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : शिकायत जिसने की उसको सुनने का सरकार ने मौका नहीं दिया तो फिर किस आधार पर कहा जाता है कि सही नहीं थी ?

श्री मुरलीधर व्यास : उनको बुलाया नहीं, जांच नहीं की और इस तरह से यहां सदन में सूचना दे दी कि सही नहीं है। यह सदन को गुमराह करना है। दुबारा जांच कराइये, वे प्रमाण देने के लिए तैयार हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच कराने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती कि ऑफिसर्स ऑलरेडी जाकर आये हैं। किसान लौट कर आये हैं उनसे भी जानकारी कर ली है।

श्री भैरोंसिंह : पशु तो अब लौट कर आ रहे हैं। मेरा प्रश्न तो उस समय के लिये है जिस समय यहां से पशु बाहर गये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह सूचना बिल्कुल गलत है।

श्री मुरलीधर व्यास : किस आधार पर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हमारे पास जो जानकारी है उस आधार पर।

श्री भैरोंसिंह : आपकी जानकारी गलत है। सरकार ने क्या जांच करवाई है ? जिस पार्टी ने शिकायत की उस पार्टी को बुलाकर उसके सामने जांच करवाई या बिना जांच किये आप कहते हैं कि जिस संस्था ने रिपोर्ट की है वह गलत है ?

श्री किशनाराम : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि आपके अधिकारी या कर्म-

(श्री किशनाराम)

चारी जो बात कहते हैं वह सच मानते हैं और जनता के प्रतिनिधि कहते हैं उनकी आप जांच तक नहीं करवाते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जो कुछ जानकारी आपको दी है वह इन्क्वायरी करके दी है। केवल अधिकारियों के कहने पर किसी बात को सही माना नहीं जाता, मंत्री उसको फिर देखते हैं और फिर इन्क्वायरी करने के बाद जो कुछ जवाब आता है वह दिया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : जब आप कम्प्लेन्ट करने वाले को नहीं बुलाते तो आपकी जांच निरर्थक रही।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अदब के साथ अर्ज करूंगा कि जो जवाब दिया गया इन्क्वायरी के बाद दिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : इन्क्वायरी का भी एक तरीका होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपसे निवेदन किया, जांच के बाद जवाब दिया गया है, किसी बात को केवल ऑफिसर द्वारा कहने पर सही मान लेते हैं, यह बात गलत है। हमें किसी इन्क्वायरी में सन्देह होता है तो हम अधिकारी के कहने को नहीं मानते, हम उसकी इन्क्वायरी करते हैं, इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो सूचना आपको दी गई है वह रीजनेबल है, सही है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपका तरीका इन्क्वायरी का क्या है ? जिस व्यक्ति की तरफ से शिकायत होती है उसको तो आप बुलाते नहीं हैं। उसकी मौजूदगी में इन्क्वायरी होनी चाहिये।

श्री किशनाराम : जो रवैया आपने अख्तियार कर रखा है उसको कोई कीमत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त-शास्त्री।

जयपुर जिले के कस्बों में चम्बल से बिजली

७१५. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर—सु०) : क्या विद्युत मंत्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) चम्बल से प्राप्त बिजली जयपुर जिले के कौन कौन से कस्बों को कब तक दी जावेगी ?

(२) कानोता में जो जयपुर शहर से केवल ८ मील दूर है कब तक बिजली पहुँचाई जावेगी।

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जयपुर से जिन स्थानों को अब बिजली मिल रही है उनको इस वर्ष जयपुर में चम्बल से, इस वर्ष बिजली आने पर, चम्बल की भी बिजली मिलेगी और नये स्थानों पर वितरण की योजना (Load-Survey fund) और माल की प्राप्ति पर निर्भर है। परन्तु आशा है सन् १९६१-६२ में जयपुर जिले के कुछ और कस्बों को भी बिजली मिल सकेगी।

(श्री हरिश्चन्द्र)

(२) अभी कोई योजना नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : किन किन कस्बों को मिलेगी, यह बता दीजिये ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि जिनको अब बिजली मिल रही है उन सब को मिलेगी ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : जिनको मिलेगी उनके नाम बता दीजिये ?

श्री अध्यक्ष : एडीशनल किस किस को मिलेगी वह ही बता दीजिये ।

श्री हरिश्चन्द्र : गोविन्दगढ़, कालाडेरा, फुलेरा, बांदीकुई, चौमू वगैरह वगैरह ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आपने फुलेरा के लिये कल कहा था १९६१ में ही मिल जायेगी, आज १९६२–६३ में कह रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : फुलेरा को १९६१–६२ में मिलेगी ।

प्रश्न संख्या ७१६

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट ।

भूमिहीन भूतपूर्व सैनिकों द्वारा गंग केनाल क्षेत्र में भूमि आवंटन हेतु प्रेषित प्रार्थना–पत्रों पर कार्यवाही

७१७, **श्रीमती सतवन्तकौर** (श्री करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) गंग केनाल क्षेत्र में भूमिहीन भूतपूर्व सैनिकों द्वारा जो भूमि स्थाई रूप में लेने के लिए प्रार्थना–पत्र पेश किये थे उस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

(ख) क्या यह सच है कि श्री करणपुर तहसील में उन्हें भूमि न दी जाकर उनके प्रार्थना–पत्र राजस्थान केनाल बोर्ड के पास भेज दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब अगली टर्न पर दूंगा ।

श्रीमती सतवन्तकौर : अगली टर्न तक तो असेम्बली खत्म हो जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : असेम्बली खत्म हो जावेगी तो आपको जवाब बता दूंगा ।

सरकारी कॉटन और आइस फैक्ट्रीज के विक्रय या लीज की बकाया रकम

७१८. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार की जिन कॉटन और आइस फैक्ट्रीज़ को सन् १९५१ के पश्चात् सरकार द्वारा बेचा गया या लीज़ पर दिया गया उस सम्बन्ध की कब कब से कितनी रकम किन किन व्यक्तियों में बाकी है और क्यों ?

Page No.22

(श्री भैरोंसिंह)

(२) यह रकम बिक्री अथवा लीज़ पर दी गई शर्तों के अनुसार कब कब जमा होनी चाहिये थी ?

(३) इन शर्तों का पालन न करने की स्थिति में सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): १. तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

२. यह सूचना इस तालिका के कॉलम ६ पर दी गई है।

३. यह सूचना इस तालिका के कॉलम ८ पर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : उनको सेल ऑफ की गई। सेल डीड के अनुसार रकम का भुगतान न करने पर और कार्यवाही की जा सकती है, क्या इस बात का उसमें उल्लेख है !

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पी० डी० आर० के तहत कार्यवाही चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : पी० डी० आर० के तहत लेना चाहें तो ले सकते हैं लेकिन सेल डीड के अन्तर्गत क्या इस प्रकार की कन्डीशन थी कि अगर वे उन कन्डीशन्स का पालन नहीं करते हैं तो अमुक कार्यवाही कर सकते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह दूसरा सवाल है, एग्रीमेन्ट को देखने पर ही बताया जा सकता है। अलग अलग आदमियों के अलग प्रकार के एग्रीमेंटस हैं, बिना उनको एग्ज़ामिन किये ऑफ हेन्ड मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : सेल डीड के अनुसार रकम चुकाना एग्रीमेंट में था या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : समय समय पर जिस जिस का जिस जिस तारीख को ड्यू था वह चुकाया है।

श्री अध्यक्ष : अलग अलग आदमियों ने कब कब चुकाया है, बता दीजिये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कॉटन एन्ड जिनिंग फैक्टरी, गुलाबपुरा : ५२,२००रु...

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न सीधा सा है, आप डिटेल्स जाने दीजिये; एग्रीमेंट के अनुसार जिस जिस तारीख को रकम जमा करानी चाहिये थी वह रकम जमा कराई है या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके लिये तो आपको एक एक फैक्टरी का अलग अलग पूछना चाहिये, इतनी रकम जमा करानी थी इतनी रकम बाकी है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा निवेदन है कि जिस जिस फैक्टरी में जितनी जितनी रकम जमा करानी बाकी थी क्या उन्होंने निर्धारित समय में कराई और अगर नहीं कराई तो एग्रीमेंट के अन्दर इस तरह से रकम जमा नहीं कराते हैं तो पी० डी० आर० के अलावा क्या कार्यवाही की जा सकती है ?

Page No.23

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एग्रीमेंट को जब तक एग्जामिन न कर लूं, मैं कुछ नहीं कह सकता। यदि आप कोई स्पेसिफिक सवाल पूछ लेते तो उसका जवाब मिल जाता।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय यह मामला बाकायदा पी० डी० आर० के तहत वसूली के लिये कलेक्टर्स को रेफर किया गया सरकार ने जांच कर ली कि पी० डी० आर० के अलावा दूसरा तरीका वसूल करने का और नहीं है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पी० डी० आर० में जा सकते हैं और वही कार्यवाही की गई।

श्री भैरोंसिंह : मेरा पूछना यह है कि एग्रीमेंट में क्या यह था कि पी० डी० आर० के अलावा दूसरी कार्यवाही भी कर सकते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निवेदन करूं, यह hypo the tical question है और जैसा कि मैं बार बार निवेदन कर चुका हूँ बिना एग्रीमेंट के देखे कह नहीं सकता। पी० डी० आर० के अलावा और कोई मैथड भी हो सकता है यह बगैर एग्रीमेन्ट के देखे कह नहीं सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एग्रीमेन्ट के अनुसार जिस समय उन्होंने कीमत नहीं चुकाई तब तक वह रहन रखी हुई थी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि उनके पास एग्रीमेंट की कॉपी नहीं है, अतः वे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंन्ट ने मामले पी० डी० आर० में रेफर कर दिये। उस पर यह मान कर चलना चाहिये कि और भी कई रेमेडीज हो सकती थी। जब आपने पी० डी० आर० में एक्शन लेने का निर्णय लिया तो मेरा यह पूछना है कि क्या एग्रीमेंट में और ऐसी कोई शरायत नहीं थी क्या जिसके मुताबिक पी० डी० आर० में न जाकर उसके अनुसार कार्यवाही हो सकती थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ जब तक हर एक का एग्रीमेंट एग्जामिन न कर लूं सही चीज मैं कह नहीं सकता कि दूसरा आल्टर्नेटिव था या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : जब सन् १९५६ से एक आदमी नहीं चुका रहा है ५६ से ६१ तक उस एग्रीमेन्ट को क्यों नहीं देखा ?

एग्रीमेन्ट में दूसरी शर्त, जिस समय सेल ऑफ किया यह थी कि पहले रकम जमा करनी होगी, लेकिन इन्टेन्शनली वह नहीं किया गया। इसलिये मेरा यह निवेदन है सरकार को जो बकाया रकम होती है वह भी चुकाई नहीं जाती है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा एग्रीमेन्ट मेरे पास नहीं है, बिना एग्रीमेन्ट देखे क्या क्या शरायत थी, कह नहीं सकता। He is saying something that is absolutely hypothetical.

श्री भैरोंसिंह : It is not hypothetical. It is absolutely correct and the information given by the Hon'ble Minister is absolutely incorrect.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

तहसील कार्यालय, सांगानेर में विद्युत की व्यवस्था

७१६. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर-सु०) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सांगानेर तहसील के ऑफिस में बिजली की लाईन नहीं डाली हुई है, जब कि वहां के ब्लॉक के कई क्वार्टर्स तक में बिजली लाइन दे दी गई है ?

(२) यदि हां, तो अब कब तक उक्त ऑफिस में बिजली की व्यवस्था कर दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी नहीं। बिजली का फिटिंग तहसील के ऑफिस में भी किया जा चुका है। अभी कनेक्शन नहीं दिया गया है ।

(२) आशा है इस वर्ष बिजली चालू हो जावेगी ।

महात्मा गांधी विद्यालय हाई स्कूल, अजमेर

७२०. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) महात्मा गांधी विद्यालय हाई स्कूल, अजमेर को सरकार द्वारा अपने अधिकार में कब लिया गया और क्यों ?

(ख) सरकार के अधिकार में लिये जाने पर इस स्कूल में कितना स्टाफ था ? कृपया इस स्टाफ की तालिका, नाम, योग्यता व सेवा-काल सहित, सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ग) इस स्टाफ में किन किन को अलहदा किया गया और क्यों ?

(घ) क्या जिस वर्ष स्कूल टेक ओवर किया गया उस वर्ष कुछ नये स्टाफ की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो किन किन की और क्यों ?

(ङ) क्या इस स्कूल को टेक ओवर किये जाने से पूर्व ग्रान्ट-इन-एड मिलती थी ? यदि हां, तो कितनी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) महात्मा गांधी विद्यालय हाई स्कूल, अजमेर, को सरकार ने दिनांक १.१.१९५९ से अपने अधिकार में लिया क्योंकि इस संस्था की कार्यकारिणी सभा ने इस विभाग से इस प्रकार की प्रार्थना की थी ।

(ख) सरकार के अधिकार में लिये जाने के समय इस स्कूल में संलग्न तालिका के अनुसार स्टाफ था, जिसमें उनका नाम, योग्यता एवं सेवाकाल का विवरण दिया गया है ।

(ग) उपरोक्त स्टाफ में से निम्नलिखित अध्यापकों को राज्य सेवा से पृथक किया गया है, जिसका कारण उनके नामों के समक्ष है:

(१) श्री डी० एस० मीरानी

(२) कुमारी शान्ति भागचन्दानी

Page No.25

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(३) कुमारी रूक्मणी

(४) कुमारी सावित्री गोपालानी

(५) ईश्वरी मंधानी।

इन अध्यापकों की नियुक्ति इसी सन् में १. ७. ५६ को या बाद में की गई। ये अध्यापक नौकरी में इस कारण नहीं रखे जा सके क्योंकि वे कॉलेज में विद्यार्थी बन कर विद्याध्ययन करना चाहते थे।

(घ) जी हां। सन् १९५६ में जिस वर्ष स्कूल टेक ओवर किया गया था उस वर्ष टेक ओवर करने से पूर्व निम्नलिखित अध्यापकों को स्कूल की कार्यकारिणी सभा ने नियुक्त किया था:—

(१) कुमारी शान्ति भागचन्दानी
११. ७. ५६

(२) कुमारी रूक्मणी
—

(३) कुमारी सावित्री गोपालानी
—

(४) श्री ए० एस० लोकवाणी
६-७-५६

(५) श्री डी० एस० मीरानी
१-७-५६

(६) श्री ईश्वर मंधानी
२०-७-५६

(७) कुमारी लीला बदलानी
१८-७-५६

स्कूल को टेक ओवर करने के पश्चात् विभाग द्वारा एक साइन्स अध्यापक बी० एस० सी० की नियुक्ति की गई क्योंकि स्कूल में साइन्स अध्यापक की आवश्यकता थी।

(ङ) जी हां। महात्मा गांधी हाई स्कूल, अजमेर को टेक ओवर करने के पूर्व ग्रान्ट-इन-एड मिलती थी, जिसका ब्योरा निम्न प्रकार है:—

१.४.५७ से ३१.३.५८ तक
१९५७-५८ ३७,००६ रु०

१.४.५८ से ३१.३.५९ तक
१९५८-५९ २५,०२६ रु०

१.४.५९ से ३०.६.५९ तक
१९५९-६० ६,२६७ रु०

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : जिनकी सर्विस टर्मिनेट की गई तो क्या उनको उनकी सर्विस टर्मिनेट करने का कारण बताया गया कि चूंकि कॉलेज में छात्र के रूप में रहते हुए अध्यापक का काम करना चाहते हैं इसलिये नहीं रखा जा सकता?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या उन सबको नोटिस दिया गया था?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनको

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ऑप्शन दिया गया था कि अध्यापक अगर बनाना चाहें तो उनको कॉलेज में पढ़ना छोड़ना पड़ेगा और अगर पढ़ना चाहते हैं तो अध्यापक नहीं रह सकते। उन्होंने अध्ययन करना मुनासिब समझा, अध्यापन करना नहीं।

श्री भैरोंसिंह : यह कैसे ?

श्री अध्यक्ष : उनको कहा गया कि या तो आप पढ़ाइये या फिर कॉलेज में अपनी शिक्षा जारी रखिये, दोनों में से एक कर सकते हैं, दोनों नहीं, यह कहा गया !

श्री भैरोंसिंह : यह ऑप्शन नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनको जानकारी दी गई थी कि कॉलेज में पढ़ते रहते हुए अध्यापन का कार्य करना चाहते हैं तो यह नहीं कर सकते और अगर कॉलेज में पढ़ाई बन्द कर दो तो अध्यापन का काम कर सकते हैं, इनमें से कौनसा ऑप्शन था?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रथम ऑप्शन यह था कि कॉलेज से नाम कटवाओ, दूसरा यह था कि अगर नहीं कटवाओ तो राज्य सेवा से त्यागपत्र दो। उन्होंने कॉलेज छोड़ने का ऑप्शन स्वीकार नहीं किया।

सन् १८५७ की शताब्दी के तहत स्मारक निर्माण

७२१. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में सन् १८५७ की शताब्दी मनाने के लिये किन किन स्थानों पर स्मारक बनाने की योजना की गई थी ?

(२) क्या सभी स्थानों के स्मारक बन कर यथास्थान लगा दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) राजस्थान में सन् १८५७ की शताब्दी मनाने के लिये निम्नलिखित स्थानों पर स्मारक बनाने की योजना की गई थी : नसीराबाद, निम्बाहेड़ा, आहुवा, कोटा और सीकर।

(२) सीकर के अतिरिक्त सभी स्थानों पर स्मारक बन गये हैं। सीकर में तांतिया टोपी की मूर्ति स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मूर्ति बनाने का कार्य जेमिनी मूर्ति कलाकार, जयपुर को दिया गया है। मूर्ति तैयार होने पर स्थापित कर दी जावेगी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह ठेका कब दिया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें काफी अर्सा लग गया, पर अब ताकीद कर दी गई है कि जल्दी से जल्दी बना दी जाय, आपका प्रश्न आने के बाद।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कब तक हो जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया इसमें ज्यादा सख्ती के साथ ताकीद की गई है आपके सवाल के आने पर।

Page No.27

सरदारशहर–रावतसर सड़क

७८२. **श्री रामकिशन** (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरदारशहर–रावतसर सड़क की तामीर चालू है ? यदि हां, तो कब तक यह पूरी हो जावेगी ?

(२) क्या इस सड़क को पल्लू के पास से पूर्व की तरफ ऊंचे टीबों में से निकालने की तजवीज़ है ? यदि हां, तो क्यों तथा इससे कितना व्यय बढ़ने की सम्भावना है और उसकी उपयोगिता क्या होगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां, आशा है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल के आखिर तक पूर्ण करने का प्रयास किया जावेगा ।

(२) पल्लू ही इस सड़क के बीच में अच्छी आबादी वाला गांव है और इसी कारण सड़क को पल्लू के पास ले जाया गया है । यह सड़क कम से कम लम्बाई वाले मार्ग पर बन रही है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : पड़ूं आ पल्लू ?

श्री हरिश्चन्द्र : पल्लू ।

श्री रामकिशन : यह तीसरा मेरा प्रश्न क्यों काट दिया ?

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : इन्होंने तीन प्रश्न पूछे थे । तीसरा इस उत्तर में नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : क्या है तीसरा ?

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : इनके प्रश्न का यह मतलब है कि पहले जो सड़क का चुनाव हुआ था तो वह इस पल्लू गांव के नज़दीक से होकर था । पर बाद में किन्हीं आदमियों द्वारा ओवरसियर वगैरह को समझा बुझाकर पल्लू गांव से बहुत दूर गहरे टीबों में से निकाल दिया, जिससे इस सड़क की लम्बाई बढ़ गई है । तो प्रश्न यह है कि लम्बाई से खर्चा भी सरकार को ज्यादा पड़े और गांव से भी दूर रहे तो इसका क्या कारण है ? यह इनके पूछने का मतलब है ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जैसे कहा पल्लू के पास ले जाया गया है ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): पास तो ले जाया गया पर पहले का अलाइनमेन्ट है उसमें और अब के अलाइनमेन्ट में कोई अन्तर है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है ।

श्री रामकिशन : नम्बर तीन काटा क्यों गया ?

श्री अध्यक्ष : तीन में आपका प्रश्न यह था कि जागीरदार को फायदा कराने के लिये काटा गया, ऐसी बात आपने पूछी है जो इससे ताल्लुक नहीं रखती तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछने देते ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप अलाऊ नहीं करते, माना, पर क्या परिवर्तन करना है, क्या नहीं; इसमें माननीय सदस्य को बता कर काटें तो ठीक रहे ताकि उनका क्या मतलब है उससे यह स्पष्ट हो जाय।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब स्पष्ट है। आपने कहा था कि एरिया बदल गया, इसका उत्तर आ गया है।

श्री रामकिशन : पल्लू से कितनी दूर है यह सड़क ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

स्थगित प्रश्न

(२४. २. ६१)

ग्रामों में मकानों पर लगाये जाने वाले टीन के नम्बर

३१. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा-सु०) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(क) क्या ग्रामों में मकानों पर टीन के नम्बर लगाने का कार्य राज्य सरकार की आज्ञा से किया जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी कर्मचारी उक्त कार्य को कर रहे हैं अथवा किसी कम्पनी को ठेका दिया गया है ? यदि ठेका दिया गया है, तो किस कम्पनी को ?

(ग) नम्बर लगाने में सरकार का क्या अभिप्राय है ? क्या नम्बर लगाते समय जन गणना के नम्बरों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता ?

(घ) यदि उक्त कार्य राज्य सरकार की आज्ञा से नहीं किया जा रहा है, तो क्या यह भी सही है कि नम्बर लगाने वाली पार्टी के पास स्थानीय सरपंच, तहसीलदार एवं कलेक्टर के ऐसे पत्र थे जिनसे जनता से इनके कार्य में सहयोग को प्रार्थना की गई थी ?

(ङ) यदि हां, तो राज्याधिकारियों ने ऐसा क्यों किया ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) यह कार्य पहले जिलाधीशों की अनुमति से कुछ स्थानों पर किया गया था। अब अधिकांश स्थानों पर बन्द कर दिया गया है।

(ख) सरकारी कर्मचारियों द्वारा यह कार्य नहीं किया गया, बल्कि कई स्थानों पर कम्पनियों अथवा फर्मों ने इस कार्य को करने की आज्ञा सम्बन्धित जिलाधीशों से प्राप्त कर ली थी। किसी भी कम्पनी को सरकार की ओर से ठेका नहीं दिया गया।

(ग) नम्बर लगाने की अनुमति देने में जिलाधीशों का यह अभिप्राय था कि जन-गणना या निर्वाचन के लिए स्थाई नम्बर लग जावें। जनगणना के नम्बरों का ध्यान रखने के लिये कम्पनियों को हिदायत दे दी गई थी।

(घ) उक्त कार्य को करने के लिए कम्पनियों तथा फर्म्स के पास सम्बन्धित कलेक्टर्स के आदेश थे, जिसमें जनता को सूचित किया गया था कि ३७ नये पैसे फी प्लेट के हिसाब से अपनी इच्छानुसार जो लोग लगवाना चाहें वे लगवा लें। स्थानीय

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अधिकारियों को भी सहयोग देने के लिए कहा गया था।

(ङ) राज्याधिकारियों ने यह अनुमति इस भावना से दी ताकि भविष्य में गांवों के मकानों पर स्थाई रूप से नम्बर प्लेट लग जावे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या यह सही है कि अब वे प्लेटें किसी प्रकार से उपयोगी नहीं रही हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, कई जगहों के लिये इस प्रकार की शिकायत आई और जनगणना विभाग से भी जो तरीका बतलाया गया था उसको अपनाया नहीं। इसमें दो-तीन बातें खास थीं। अपने मकान पर प्लेट नहीं लगा सकते तो उन पर शर्त लगाई गई थी कि खाली नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह से सेंसस का तरीका है, बाईं तरफ चलते जावें इसको भी वायोलेट किया। इनकी जब सूचना आई तो कलेक्टर ने काम बन्द करा दिया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस प्रकार के गैरकानूनी कार्य से जनता के हजारों रुपये बर्बाद हुए, क्या सरकार को यह मालूम है?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह गैर-कानूनी नहीं था। दूसरे, जनता पर इसका दबाव भी नहीं था। पर कलेक्टर ने यह इसलिये कहा कि इससे स्थाई सहूलियत हो जावेगी, तो लोग चाहें तो लगा लें, नहीं चाहें तो उन पर जबर्दस्ती नहीं है। सरकारी ऑर्डर में भी यही है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जो 'चाहें' का यहां मतलब कुछ नहीं है। बाकायदा सरकार के कर्मचारी साथ रहते थे और लोगों को जबर्दस्ती ही लगाना पड़ा है।

श्री अध्यक्ष: श्री गणपतिलाल वर्मा।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : यह किस कानून के अनुसार ऑर्डर हुआ है, यह बतला दिया जावे?

श्री दामोदरलाल व्यास : जबर्दस्ती की कोई बात नहीं थी। जनता का ऑप्शन था वह चाहे तो लगा लें।

श्री किशनाराम : पर किस कानून के अन्तर्गत आपने यह कराया?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें तो किसी कानून की आवश्यकता नहीं थी। कोई आदमी अपने मकान पर नम्बर लगाना चाहे और कलेक्टर भी यह चाहे कि इससे स्थाई सहूलियत हो जावेगी तो इसमें कानून की कहीं आवश्यकता नहीं थी और फिर किसी को मजबूर नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि सरकार ने इस तरह की नम्बर प्लेटें पहले ही तैयार करवा ली थीं और इसके बाद ऑर्डर निकाला?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग आदमियों को जिलाधीशों ने सहूलियत दी कि अगर वे तरीके से नम्बर प्लेटें लगाते

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हैं तो इसमें सरकारी अधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा और जनता को भी सहूलियत होगी। फिर यह बात थी कि जो लगाना चाहे लगा ले, कम्पल्सरी नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल तो यह है कि सरकार की जगह कलेक्टर सही, क्या कलेक्टर को जिन स्थानों पर नम्बर प्लेट लगानी थीं उनकी नम्बर प्लेट पहले से ही तैयार करवा ली और उसके बाद में उन्होंने मकान पर लगवाई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कलेक्टर के नम्बर प्लेट लगवाने का सवाल नहीं है २६ में से २४ जिलों के जिलाधीश हैं उनके पास में कुछ फर्म्स ने दर्ख्वास्तें पेश की थीं कि हम नम्बर प्लेट लगा सकते हैं और वह शर्तों का पालन करने के लिए तैयार थे। कलेक्टर ने अपनी तरफ से यह किया कि कोई जनता का आदमी अपने मकान पर नम्बर प्लेट लगवाना चाहे तो उसको कोई एतराज नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : कलेक्टर उन नम्बर प्लेट्स की जो कीमत है उसकी वसूली की एजेन्सी थी या कलेक्टर ने खुद ने वह नम्बर प्लेट्स लगवाई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : न कलेक्टर वसूली की एजेन्सी थी और न कलेक्टर ने लगवाई। कलेक्टर ने तो केवल जिन्होंने दर्ख्वास्त दीं उनको इस शर्त पर इजाजत दे दी कि जनता की राय से नम्बर प्लेट लगायें और उन शर्तों का पालन करें। जैसे नम्ब-रिंग हाउस के थे उनको ध्यान में रखते हुए नम्बर प्लेट लगायें।

श्री भैरोंसिंह : कई जगह नम्बर प्लेट्स लगवा दी गई और अब माननीय मन्त्रीजी कहते हैं कि सरकार का कोई रुख नहीं था। नम्बर प्लेटस जबर्दस्ती लगाई गई। पैसे वसूल कर लिए गए और गांव वाले कहते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है।

श्री किशनाराम : मैं माननीय मन्त्री महोदय को आपकी मार्फत बताना चाहता हूँ कि चूरू के कलेक्टर साहब का आदेश है कि नम्बर प्लेट लगवानी पड़ेगी।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री दलपतसिंह (आबू) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दे दिया जाये। प्रश्न संख्या ६६८.

जिला जालोर के पॉवर हाउसेज

६६८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) [श्री दलपतसिंह (आबू) द्वारा पूछा गया] : क्या विद्युत मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) जिला जालोर में किस किस जगह पर पॉवर हाउस बिजली सप्लाई करने के लिए बने हुए हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि जालोर व भीनमाल में पॉवर हाउस होते हुए भी वहां के अस्पतालों में बिजली नहीं दी गई है ? यदि

(श्री लक्ष्मीचन्द)

हां, तो क्यों और अब कब तक बिजली देने का विचार रखती है ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : राजस्थान स्टेट विद्युत मण्डल का पॉवर हाउस केवल जालोर में बना है।

(२) भीनमाल में विद्युत मण्डल का कोई पॉवर हाउस नहीं है, जालोर में है और वहां स्थित मरदाने व जनाने अस्पतालों को बिजली दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ७०० का उत्तर दिलवाया जाये, यह बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब फिर रिपिटीशन कराना होगा।

हाई स्कूल, उनियारा का परीक्षा केन्द्र

७००. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सदैव से हाई स्कूल, उनियारा का परीक्षा केन्द्र टोंक में रहा है ? अगर हां, तो क्या अब उक्त केन्द्र वहीं पर है ? अगर नहीं, तो कहां पर है और क्यों ?

(ख) जो अब हाई स्कूल, उनियारा का परीक्षा केन्द्र है क्या वह टोंक से अधिक दूरी पर है ? अगर हां, तो उनियारा से दोनों की दूरी में क्या अन्तर है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि हर हालत में इस नये केन्द्र पर पहुंचने के लिए टोंक होकर ही जाना पड़ता है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां, १९५९ तक परीक्षा केन्द्र टोंक में रहा है बाद में टोंक से बदल कर मालपुरा कर दिया गया क्योंकि टोंक में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो गई थी तथा स्थान की कमी के कारण दूसरा केन्द्र मालपुरा खोलना पड़ा।

(ख) जी हां, मालपुरा का परीक्षा केन्द्र उनियारा से टोंक के बनिस्बत अधिक दूरी पर है।

(ग) जी हां।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब इतनी दूर परीक्षा केन्द्र रख दिया गया तो उनियारा के विद्यार्थियों को ज्यादा सुविधायें थीं या आपके मालपुरा के विद्यार्थियों को ज्यादा सुविधायें थीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दोनों को।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या सरकार का यह विचार है कि टोंक से डिग्री कॉलेज हटा कर मालपुरा में बना दिया जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका सुझाव है, सरकार का तो विचार नहीं है, इसके लिए धन्यवाद है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं कहता हूँ कि केन्द्र टोंक के अन्दर सदैव से था। टोंक में ज्यादा संख्या होने की वजह से वहां कर दिया गया तो क्या यह सही है कि टोंक के मुकाबिले में मालपुरा में भवनों की संख्या ज्यादा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको जवाब दे दिया है। टोंक में विद्यार्थियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि अकोमोडेशन नहीं थी और दूसरा सेन्टर खोलने का था इसलिए उनियारा के विद्यार्थियों का परीक्षा केन्द्र मालपुरा में रख दिया गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि टोंक के नज़दीक तो निवाई है, देवली है वहां पर भेज देते, मालपुरा क्यों भेजा ? यह तो उनियारा के स्टुडेन्ट्स को डेलीबरेटली तकलीफ देने के लिए ऐसा किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री दलपतसिंह (आबू) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ७०२ का उत्तर दे दिया जाये।

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत जालोर जिले में सड़कों का निर्माण

७०२. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) [श्री दलपतसिंह (आबू) द्वारा पूछा गया] :- क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

जालोर जिले में तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौनसी सड़क का मैटल्ड रोड बनाया जावेगा व कौन कौन सी सड़कें ग्रेवल रोड बनाई जावेगी ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : तृतीय पंचवर्षीय योजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है, अतः निश्चित नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह

टोंक-उनियारा-सवाईमाधोपुर सड़क

७०६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि टोंक-उनियारा-सवाई माधोपुर सड़क तैयार हो चुकी है ? अगर नहीं, तो कितनी बाकी है ?

(ख) क्या यह सही है कि गलवा नदी और बड़े बड़े नाले जो बीच में आते हैं उनके बनने का एस्टीमेट तैयार हो चुका है और टेन्डर ले लिए गये हैं ? यदि हां, तो सबसे ऊंचा टेन्डर किसका था और सबसे कम किसका था ?

(ग) उक्त गलवा पुल कहां बनाया जावेगा व उस पर कितना खर्चा होगा ? क्या काम चालू हो गया है ? यदि नहीं, तो कब होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी नहीं। टौंक से उनियारा तक की सड़क करीब करीब पूर्ण कर दी गई है, सिर्फ ४ फर्लांग का टुकड़ा बाकी है और करीब ६ फर्लांग का टुकड़ा उनियारा से सवाई माधोपुर तक बाकी है।

(ख) सिर्फ गलवा के नाले के एस्टीमेट बनाये गये हैं और इस कार्य के टेन्डर आमंत्रित किये गये हैं। श्री रतनदास ठेकेदार की दर ऊंची थी तथा दीवान मायादास ठेकेदार की दर नीची थी।

(ग) गलवा पुल उनियारा में गणेशजी के मन्दिर के पास बनाया जा रहा है। उस पर करीब ६५,२०० रु० की धनराशि लगेगी। जी हां, प्रश्न नहीं उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह काम कब तक शुरू हो जायेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : अभी तो एस्टीमेट आये हैं। जांच हो रही है उसके बाद होगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री का ध्यान आपकी मार्फत आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप कभी कृपा करके उस सड़क पर होकर सवाई माधोपुर पधारें तो सब स्थिति मालूम हो जायेगी। कभी प्रोग्राम रखें।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): कभी निमन्त्रण दीजिये।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : रात को उनियारा में ही विश्राम करें ताकि सारी स्थिति का ज्ञान कराया जा सके।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

राव श्री नारायणसिंह मसूदा।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला

(अनुपस्थित)

श्री गणपतिलाल वर्मा।

श्री सुगनचन्द जैन (बेगूं) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ४३० का जवाब दे दिया जाये।

दिनांक २० मार्च, १९६१ का स्थगित प्रश्न

मांडलगढ़ एस. डी. ओ. ऑफिस में गलत ढंग से झंडा फहराया जाना

४३०. **श्री गणपतिलाल वर्मा** (मांडलगढ़) [श्री सुगनचन्द जैन (बेगूं) द्वारा पूछा गया] : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गत १५ अगस्त के पर्व पर माण्डलगढ़ एस० डी० ओ० ऑफिस पर किसी अधिकारी ने गलत ढंग से राष्ट्रीय

(श्री गणपतिलाल वर्मा)

झण्डा फहराया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या एक्शन लिया गया है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जी नहीं। वास्तव में भूल से झण्डे में ठीक तरह पिन न लगने के कारण उसका एक भाग खुलने से रह गया और तेज हवा के कारण झण्डे के पोल की दूसरी तरफ लिपट गया। इस प्रकार किले के नीचे खड़ी हुई जनता को वह अन्दर की तरफ मुड़ा हुआ मालूम होने लगा। फिर भी तहसीलदार तथा एस० डी० ओ० को भविष्य में सावधानी बरतने की चेतावनी दे दी गई है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री दलपतसिंह (आबू) : अध्यक्ष महोदय, श्री तेजाराम गहलोत के प्रश्न संख्या ६६७ का उत्तर दिलवा दिया जाये। मैं जरा इसकी ऑथोरिटी होस्टल के कमरे में भूल आया हूँ।

जोधपुर तथा जयपुर डिवीजनों में खातेदार तथा गैर खातेदारान की लगान दरें

६६७. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) [श्री दलपतसिंह (आबू) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में जोधपुर व जयपुर डिविज़नों में किन किन तहसीलों में खातेदार व गैर खातेदारान के लिये लगान की अलग अलग दरें दिनांक १५-१०-५५ को थी ?

(ख) उक्त डिवीजनों में किन किन तहसीलों में उन कृषकों से जो दिनांक १५-१०-५५ के पहिले गैर खातेदार थे व दिनांक १५-१०-५५ को ब-हैसियत कृषक काबिल होने से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा १५ के अनुसार खातेदार माने गये फिर भी गैर खातेदारी दर से ही लगान वसूल किया जाता है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : Again we are going back ?

अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आ सका और सूची को तैयार होने में करीब १५ दिन लगेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(१२.९८. म० प०)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री हीराभाई ने दिनांक २० मार्च, ६१ से १४ अप्रेल, ६१ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा चाही है। क्या सदन को आज्ञा है कि इन्हें अनुपस्थित रहने दिया जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

आज्ञा प्रदान की गई ।

राजस्थान कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९६१

(पुर : स्थापन)

श्री रामचन्द्र चौधरी (कर मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६१ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६१ को पुरःस्थापित करने को आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

(१२.२० म०प०)

राजस्थान वित्त विधेयक, १९६१

(विचारार्थ)

श्री रामचन्द्र चौधरी (पृथक राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान फाइनेन्स बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : डॉ चन्द्रकला ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान फाइनेन्स बिल जो सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं । अध्यक्ष महोदय, ९ मार्च, १९६१ को जब माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस सदन में बजट प्रस्तुत किया था उस समय लगभग १०५ लाख रुपये के नये करों के प्रावधान उन्होंने सदन के सामने प्रस्तुत किये थे और इसके अतिरिक्त लगभग ३० लाख रुपये जो एक्साइज ड्यूटी और कोर्ट फीस के रेट्स में चेन्जेज के कारण आमदनी होने वाली थी उसका भी उसमें संकेत था । इस चालू वित्तीय वर्ष की दृष्टि से लगभग १३५ लाख के टैक्सेज की व्यवस्था की गई थी और राज्य का १९६१-६२ का जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें जो कुल घाटा दिखाया गया है, वह ३२७ लाख का है ।

अध्यक्ष महोदय, १३५ लाख का करारोपण के द्वारा वसूल करने का प्रावधान किया गया । २८ लाख रुपये हमने इकोनोमी के द्वारा बचाने की व्यवस्था की । इस प्रकार १६३ लाख रुपये हुए और ३२७ लाख का जो घाटा था उसमें से १६४ लाख अनकवर्ड डेफिसिट के रूप में रहा । आज जो फाइनेन्स बिल सदनमें पेश किया गया है उसमें जो १०५ लाख के नये टैक्सेज़ की दृष्टि से व्यवस्था की गई है, अध्यक्ष महोदय, मैं उसका विरोध करता हूं और कुछ आंकड़े प्रस्तुत करने से पहले मैं सदन के सम्मुख २–४ बातें मुख्य रूप से ये रखना चाहूंगा कि इनमें से जो नये टैक्सेज लगा रहे हैं, उन टैक्सेज की दृष्टि से सबसे अधिक जो टैक्स लगा रहे हैं वह सेल्स टैक्स के रूप में ७१ लाख की धनराशि का है । मोटर विहीकल्स में १ लाख रुपये हैं ।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एन्टर्टेनमेंट टैक्स में ५ लाख की वृद्धि की गई, स्टाम्प्स ड्यूटीज़ में १२ लाख की वृद्धि की गई है। सेल्स टैक्स के जरिये से ७१ लाख रुपये वसूल करने का प्रावधान हैं।

अध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स की जो वृद्धि की गई है वह कुछ इस प्रकार के मदों में की गई है जिसका कोई समर्थन नहीं किया जा सकता। राजस्थान फाइनेन्स बिल में जिस प्रकार की व्यवस्था है, राजस्थान सेल्स टैक्स के कानून के तहत जो पहले व्यवस्था थी उसमें एक शिडयूल थी और उस शिडयूल में लिखा हुआ था कि जिन आइटम्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा उसमें सबसे पहला आइटम " Cereals and pulses in all forms including bread and flour, Maida, Suji and Bran."

अध्यक्ष महोदय, यह जो आज विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है उसके द्वारा इन सीरियल्स और पल्सेज के ऊपर सेल्स टैक्स का जो एग्जेम्शन था उसको विथड्रा कर लिया है, यानी इस पर बिक्री कर लगा रहे हैं। यह मैं समझता हूं कि इस पर बिक्री कर लगाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता और विशेषकर उन परिस्थितियों में अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान उसी शिडयूलकी और दिलाना चाहूंगा जिस शिडयूल में आगे लिखा हुआ है, आइटम नं० १४

"Desi sweetmeats prepared by Halwais, including Bhujias, Puris and Paranthas."

यानी एक कानून उन्होंने बनाया जिस कानून में हमने सेल्स टैक्स से एग्जेम्शन दिया उनको जो पूड़ी पराबठा बनायेंगे और दूसरा कानून आज बना रहे हैं कि जिसमें एग्जेम्प्शन है सीरियल एन्ड पल्सेज इन्क्लूडिंग ऑल फार्म्स ऑफ ब्रेड एण्ड मैदा इत्यादि को। मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ब्रेड का मतलब वे क्या समझते हैं। क्या पूड़ी और पराबठा ब्रेड नहीं है। क्या पूड़ी और पराबठा ब्रेड में नहीं आती है, या ब्रेड से मतलब उनका वह है जो छोटे छोटे दुकानदार गली गली में छोटी छोटी दुकानें खोले बैठे हैं जहां कि गांव के गरीब किसान या काश्तकार या शहरों में मजदूरी करने वाले, छोटे छोटे मजदूर लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, वे छोटे छोटे होटलों और छोटी छोटी रोटी की दूकानों में खाना खाने जाते हैं, वहां पर जो रोटी मिलेगी उस पर एग्जेम्प्शन नहीं होगा? बड़े बड़े हिन्द होटल, लक्ष्मी मिष्ठान्न भंडार, दिल्ली मिष्ठान्न भंडार या नीरोज जैसी बड़ी बड़ी होटलों में जो पूड़ी और पराबठा मिलेगा उन पर एग्जेम्प्शन रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामर की जानकारी रखता हूं। डिक्शनेरी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ब्रेड में पूड़ी और पराबठा आता है। या तो वे कहें कि पूड़ी-पराबठा जो बड़े बड़े हलवाइयों के यहां या होटलों में बनता है उसको एग्जेम्प्शन देना चाहता हूं। छोटी छोटी दूकानों में, नान और तंदूर की छोटी दुकानों में छोटे छोटे लोग, मेहनतकश लोग खाते हैं, उनमें एग्जेम्प्शन नहीं देना चाहिए। या तो वे कहें कि यदि उनकी मन्शा यह है कि आटे से बनने वाली कोई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भी चीज है वह रोटी के अन्तर्गत आती है, चाहे पूड़ी, परावटा, ब्रेड और केक हो, कोई भी किसी प्रकार को वस्तु है उस पर सेल्स टैक्स में एग्जेम्प्शन रहेगा। तो मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार की इन्कॉन्सिस्टेन्सी कानून में क्यों पैदा की है कि एक विचित्र स्थिति जयपुर में आये, स्थान स्थान पर छोटे छोटे दूकानदार जो आटे की रोटी बनाकर बेचते हैं आज सेल्स टैक्स के अधिकारी उन पर टैक्स लगायेंगे उन पर कोई एक्जेम्प्शन नहीं।

इतना ही नहीं, माननीय मंत्री महोदय यह कहेंगे कि उनके लिए एग्जेम्प्शन सर्टीफिकेट लेने की व्यवस्था कर दी है। तो क्या करें कि आज इन छोटे छोटे दूकानदार जो छोटी छोटी गलियों में, इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जयपुर के कई बाजारों में ऐसी अनेक थड़ियां हैं जिनमें पुरुषार्थी बन्धु या गरीब लोग छोटे छोटे तवे रख कर, २-४ रुपये की रोटी बनाते हैं, और जो छोटे छोटे मजदूर लोग हैं वे आकर रोटी खाते इसका मतलब यह हुआ कि वे हिसाब किताब रखें और एग्जेम्प्शन सर्टीफिकेट के लिए एप्लीकेशन दें, अपना हिसाब किताब आपको दें और उसके बाद आप सारी सेल्स टैक्स की कार्यवाही करें। इस प्रकार गरीबों के संबंध में, मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रकार का अध्ययन भी किया है और जहां तक मैं समझता हूँ साधारण बुद्धि का आदमी कोई भी पूड़ी, पराँठा और ब्रेड में डिस्टिन्क्शन नहीं करेगा। मैं नहीं समझता कि उनका क्या उद्देश्य था जिस उद्देश्य के कारण उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की है।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आज राजस्थान में सीरियल्स और पल्सेज़ के ऊपर से इस प्रकार के एग्जेम्प्शन को विथ्ड्रा करने की व्यवस्था की है वह किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। आज दाल बनाते हैं और दाल बनती है और यहां से एक्सपोर्ट होती है। दाल का सेल होता है इसलिए चना खरीद कर कोई दाल बनाये तो आप सेल्स टैक्स लगा सकते हैं, पर्चेज़ टैक्स की व्यवस्था कर सकते हैं। दाल के रूप में दाल बना कर बाहर भेजे उस पर किसी प्रकार के कर की व्यवस्था होना, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, और भी चीजें हैं जिन पर विशेष कर आपत्ति की बात हो सकती है। राज्य सरकार द्वारा कई बार कहा जाता है कि वे काश्तकार और किसानों की भलाई के लिए कानून बनाते हैं। सेल्स टैक्स के माननीय मिनिस्टर साहब स्वयं भी किसानों के इलाके से आते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि मूल शिड्यूल में केटल फीड्स को एग्जेम्प्ट कर दिया है। केटल फीड्स के ऊपर फिर सेल्स टैक्स कैसे लगायेंगे "Cattle feeds including oil cakes but excluding Gowar and Cotton seeds." मैं नहीं समझता कि जानवरों के खाने के लिए राजस्थान में क्या है ? आज राजस्थान में पशुओं के खाने के लिए ३-४ प्रकार की चीजें होती हैं। एक चारा, दूसरा ग्वार, तीसरा बिनौला और चौथा खल। आपने बिनौला और ग्वार के ऊपर सेल्स टैक्स लगाया। आपने उस पर से एग्जेम्प्शन विथड्रा किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि क्या किसी पशु वृद्धि की दृष्टि से राजस्थान में गाय और भैंस का दूध बढ़ाना चाहते हैं, आप डेरी की स्कीम लागू करना चाहते हैं, शुद्ध दूध लोगों

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को देना चाहते हैं, दूध में वृद्धि करना चाहते हैं, गाय और भैंस जितना दूध देती हैं उस दूध को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिये ग्वार और बिनौले खिलाये जायं। मैं यह समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि दूध बढ़ाना चाहते हैं, पशुओं के दूध में वृद्धि करना चाहते हैं गाय भैंस के दूध में वृद्धि करना है तो यह जरूरी है कि जो किसान गाय और भैंस रखने वाला है वह उसको बिनौले और ग्वार खिलाये। और जब तक बिनौला नहीं खिलायेंगे तब तक गायों या भैंसों से दूध अच्छा नहीं निकलेगा। और घी अच्छा नहीं होगा। और जब तक अच्छा घी नहीं निकलेगा तब यह हो सकता है कि आपका यह कदम डालडा के प्रचार के लिये या डालडा खाने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये हो। लेकिन राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था करना कदापि उचित नहीं है। हमने कॉटन सीडस और ऑयल सीड्स को एक्सक्ल्युड किया है इस पर आप विचार कर लें कि जहां तक बिनौले का सवाल है इस पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा।

इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, इसमें एक ambiguity और है। सेन्ट्रल सेल्स टैक्स में कॉटन सीड्स को एक्सक्ल्यूड किया है। बिनौला ऑयल सीड्स में आता है और इस पर २ पर्सेन्ट टैक्स लगता है। ऑयल सीडस में कॉटन सीड्स आ गये तो आप उस पर दुबारा टैक्स किस तरह से लगाना चाहते हैं? आप यदि नोटिफिकेशन देखना चाहें तो नोटिफिकेशन गजट में निकला है उसे देख लें।

इसके साथ ही मैं तीसरी बात और कहना चाहूँगा; वह यह कि हमने फाइनेन्शियल बिल पास किया है, नया नोटिफिकेशन निकाला है उसमें आइटम नं. ४५ है उसमें नया टैक्स प्योर सिल्क पर ७ पर्सेन्ट लगाया है। मैं मंत्री जी का ध्यान ९ मार्च के नोटिफिकेशन की ओर दिलाना चाहूँगा जिसके आइटम नं. ४५ पर लिखा है, प्योर सिल्क पर ७ पर्सेन्ट लगेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं उनका ध्यान ६ मार्च के गजट नोटिफिकेशन की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जो ३ दिन पहले नोटिफिकेशन महकमे द्वारा निकाला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि महकमे में कितना अंधेर है। ६ मार्च को जो नोटिफिकेशन निकलता है उसमें लिखा है :

"In exercise of the powers conferred by subsection (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956, the State Government, being satisfied that it is necessary so to do in the public interest, directs that as from the first day of March, 1961, no tax under the said Act shall be payable by any dealer having his place of business in the State of Rajasthan in respect of the sale by him from any such place business of ofpure silk fabrics manufactured in the mills and power looms in the course of inter-State trade or commerce."

और इसके साथ ही उन्होंने आगे इस प्रकार से लिख दिया :

"In exercise of the powers conferred by sub-sectin (2) of Section 4 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954, the State Government, being of the opinion that it is necessary in the public interest so to do, does hereby

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

exempt the sale of pure silk fabrics manufactured in mills and power looms from the payment of the tax payable under the said Act as from the first March, 1961"

६ मार्च को गजट नोटिफिकेशन निकाला और १ मार्च, १९६१ से प्योर सिल्क पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होगा, प्योर सिल्क टैक्स से एग्जेम्पट होगा और ८ मार्च को फिर गजट नोटिफिकेशन निकालते हैं कि प्योर सिल्क पर ७ पर्सेन्ट सेल्स टैक्स लगेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस चीज को आपने टैक्स से एग्जेम्ट किया उस पर कैसे लेना चाहते हैं और जिस वस्तु पर सेन्ट्रल टैक्स लगता है उस पर आप लगा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। जिस वस्तु पर सेन्ट्रल टैक्स लग गया उस पर आप कैसे बढ़ा सकते हैं। ६ मार्च को जो नोटिफिकेशन निकल गया उस पर टैक्स ले नहीं सकते लेकिन आपने इनक्रीज कर दिया, बढ़ोतरी कर दी और इतना ही नहीं, जो नोटिफिकेशन्स निकला है उसमें कोई क्लेरिफिकेशन दिया नहीं है कि किस प्रकार से कलेक्शन होगा, ८ मार्च से क्या व्यवस्था होगी। राजस्थान में आम तौर से व्यापारियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आज आपने राजस्थान में जो टैक्स बढ़ाये हैं या जो टैक्सेज का रेशनलाइजेशन किया है उसके कारण राजस्थान के व्यापारियों की दिक्कत बढ़ी है। ऑइल सीड्स में या इस प्रकार की दूसरी चीजों में जो डील करने वाले व्यापारी हैं वे छोटे छोटे व्यापारी हैं उन पर आप जिम्मेदारी डालते हैं कि एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लें और दफ्तरों के चक्कर काटें और वे अपना हिसाब-किताब अच्छी तरह से रखें और सेल्स टैक्स ऑफिसर्स को अधिकार दिया है कि वे उनका हिसाब चैक कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है। आज हम इस प्रकार का इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन लगाना चाहते हैं, इसका असर व्यापारियों पर नहीं पड़ता है। व्यापारियों को सिर्फ हिसाब किताब रखने की दिक्कत रहती है और सेल्स टैक्स ऑफिसर्स को हिसाब किताब चैक करने का अधिकार दिया है उससे करप्शन बढ़ता है और गलत हिसाब भी चला दिया जाता है।

जिस प्रकार से रेट्स में चेन्जेज़ किये हैं और जो नयी रेट्स फाइनेन्स बिल में लगाई हैं उनका सबसे ज्यादा असर गरीब काश्तकारों पर पड़ता है। सेल्स टैक्स की जो व्यवस्था की है, सेल्स टैक्स की पोटेन्शियेलिटी को देखे बिना की है। मैं कहूँगा कि मन्त्रीजी इस पर विचार करें और आज जो परिस्थिति टैक्सेशन के फलस्वरूप है और जहां तक सेल्स टैक्स का सम्बन्ध है कई प्रकार की कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हुए हैं। अनुभव बताता है कि इससे व्यापारियों की दिक्कत बढ़ी है और मैं अध्यक्ष महोदय, यह भी कह सकता हूँ कि इससे करप्शन बढा है और बहुत ज्यादा बढा है। व्यापारियों को अकाउन्टस बुक रखनी पड़ती है और हिसाब में गड़बड़ी हुआ करती है उस सबका असर पड़ता है कन्ज्यूमर्स पर, जो चीजें खरीदते हैं उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इसलिये मैं सरकार से कहूँगा कि टेक्सेशन पॉलिसी पर फिर से विचार करें और सेल्स टैक्स जैसा कानून जिसे मैं अध्यक्ष महोदय, काला कानून कह सकता हूँ क्योंकि यह करप्शन को बढावा देता है, उसके बजाय दूसरी कोई व्यवस्था करनी चाहिये जो इसको सब्स्टिट्यूट

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कर सके ताकि यह इतने आदमियों पर असर नहीं कर सके। सेल्स टैक्स का कानून रद्द करना चाहिये, इसे विथ्ड्रा करना चाहिये और उसके स्थान पर किसी दूसरे प्रकार से टैक्स लगाया जा सकता है, किसी दूसरे तरीके से सरकार की आमदनी बढ़ाई जा सकती है क्योंकि मैं यह भी मानता हूँ कि किसी न किसी प्रकार से सरकार को आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। मुख्य मन्त्रीजी ने सदन में स्वीकार किया था कि राजस्थान का सर्वे करायेंगे। सदन में कई बार कहा गया कि राजस्थान में आमदनी का ज़रिया सबसे ज्यादा टैक्सेज़ से है। राजस्थान में जितनी रेवेन्यू से इन्कम होती है वह टैक्सेज से होती है, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है, नोन टैक्स रेवेन्यू कम है। अब सोचना यह होगा कि नोन टैक्स रेवेन्यू को कैसे बढ़ावें और यदि टैक्सेज से रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाते हैं तो कौनसी ऐसी सोसाइटीज़ हैं और कौनसे ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे तबके हैं जो ज्यादा पे कर सकते हैं। राजस्थान में टैक्स पेइंग पोटेन्शियलिटी की जांच नहीं की और आये दिन ऐसा शकुन सा बन गया है कि कोई भी बजट जब पास होता है तब हर साल जब तक टैक्सेज नहीं बढ़ालें तब तक चैन नहीं पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने यह बताने की कोशिश की है कि जो कर बढ़ाये हैं उनसे १३५ लाख की आमदनी करना चाहते हैं, लेकिन यह भ्रम है, धोखे में डालने वाली बात है। जिस प्रकार की वास्तविकता पिछले ५ वर्षों में रही है उससे आमदनी टैक्सेज से केवल १३५ लाख की ही नहीं होगी लेकिन कई करोड़ों में पहुंचेगी। मैं मन्त्रीजी और सदन की जानकारी के लिये निवेदन करदूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने ६ करोड़ के टैक्सेज़ लगाने की व्यवस्था की थी लेकिन सन् ५८ में हमने उसको रिवाइज़ किया और १ करोड़ के बजाय १२ करोड़ रखा और ५ साल में जो एक्चुअली वसूली हुई वह १२ करोड़ के बजाय १३॥ करोड़ थी। इसका मतलब यह हुआ कि जनता को यह बताना चाहते हैं कि हम टैक्सेज ज्यादा नहीं लगा रहे है? आम चुनाव सामने आ रहे हैं हम जनता को बताना चाहते हैं कि ३२७ करोड़ का घाटा था और १३५ लाख के टैक्सेज लगाये हैं। इस प्रकार से लोगों को बतायेंगे कि ज्यादा टैक्सेज नहीं बढ़ायेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आपने १३५ लाख की आय का अनुमान लगाया है और जिस ढंग से टेक्सेज लगाये हैं उनसे कहीं ज्यादा आमदनी निश्चित रूप से होगी। वह कई करोड़ की हो सकती है। लेकिन हम बताते नहीं हैं, सामने आते नहीं है क्योंकि हिम्मत नहीं है। सदन में इस दृष्टि से कई बार आलोचना हुई है। एन्टरटेनमेन्ट कानून पास किया था हमने उसमें कुछ रेट फिक्स की थी, कुछ टैक्सेज लगाये थे। सदन के बाहर आये तब जिन पर इसका असर पड़नेवाला था उन्होंने एक पार्टी की व्यवस्था की एट होम किया और वहीं पर घोषणा कर आये। सदन का जितना समय लिया, माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये, सुझाव दिये कि टैक्स नहीं लगाना चाहिये लेकिन यहां यह नीति बरती कि अमेन्डमेन्ट स्वीकार करने का अधिकार शायद छीन लिया गया है। तो उनको कोई पॉवर नहीं है, लेकिन जब सदन के बाहर छोटी सी पार्टी दे दी, छोटी सी दावत दे दी,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तो टैक्सेज़ में रिलीफ दे दिया, वह रिलीफ इसलिए दे दिया क्योंकि उसमें बड़े बड़े व्यापारी आते थे। इस तरह के प्रश्न इस सदन में आये कि किस प्रकार राज्य सरकार टैक्सेज़ के प्रपोज़ल्स रखती है, किस तरह टैक्सेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है, लेकिन जब मौका आता है, बड़े बड़े व्यापारी सरकार के पास पहुँचते हैं, एप्रोच करते हैं, सम्बन्धित माननीय मंत्री के ऊपर इस प्रकार के दबाव डालते हैं कि इस प्रकार टैक्सेज़ में छूट दे दी जाय और हमारी राज्य सरकार द्वारा छूट दे दी जाती है।

(१२.४० म० प०)

(उपाध्यक्ष, श्री निरंजननाथ आचार्य, पदासीन)

और वह छूट दे दी जाती है अपने स्वार्थों की दृष्टि से। मैं समझता हूँ कि सरकार इस प्रकार की नीति अपना रही है कि पहले वह टैक्स लगाती है और उसके बाद बड़े बड़े व्यापारी, चन्दा देने वाले व्यापारी, आपसे सम्बन्ध रखने वाले व्यापारी, प्रलोभन देने वाले व्यापारी, दावत देने वाले व्यापारी उन टैक्सेज़ से छूट ले लेते हैं और वह छूट दे दी जाती है। जब छूट दे दी जाती है तो उन व्यापारियों को पैसा वापिस करना पड़ता है। वह पैसा सरकार जनता से टैक्स वसूल किये पैसे में से दे देती है, क्योंकि उनकी बात आप सुनते नहीं हैं, आप उनको बात मानते हैं नहीं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि फाइनेन्स बिल के द्वारा जिन टैक्सेज़ की व्यवस्था की है, उसको पास करने से पहले राजस्थान की स्थिति पर विचार करें।

आज राजस्थान सरकार कह सकती है कि राजस्थान में स्टैन्डर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा उठ रहा है, क्योंकि राजस्थान का विकास हो रहा है। इसलिए राजस्थान की विकास योजनाओं की दृष्टि से टैक्सेज़ की आवश्यकता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री ने भाषण दिया था और उन्होंने यह भी कहा था कि जनसंघ के लोग टैक्सेशन का विरोध करते हैं। जनसंघ के लोग, जब टैक्सेशन के बारे में कोई प्रोपोज़ल्स आते हैं तो उसके विरोध में जनता को बताते हैं, जनता की दुहाई देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही और उसके एक पक्ष पर विचार किया। हम इसलिए टैक्सेज़ का विरोध नहीं करते हैं कि टैक्सेज़ नहीं लगने चाहिए, हम इसलिए विरोध करते हैं कि राजस्थान की जनता का जो इकोनामिक डेवलपमेंट होना चाहिए, टैक्स पे करने की पोटेन्शियलिटी बढ़नी चाहिए, विकास योजनाओं पर जितना खर्चा किया है, उसके मुकाबले में जितना जनता का स्तर ऊंचा उठना चाहिए, जितनी टैक्स पेइंग केपेसिटी बढ़नी चाहिए, जो नहीं बढ़ी है, इसलिए राजस्थान की जनता पर और टैक्सेज़ का भार डालना किसी प्रकार भी न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि राजस्थान की पर-केपिटा इन्कम कितनी है, टैक्स पेइंग केपेसिटी, अन्य प्रान्तों के मुकाबिले में क्या है? मैं समझता हूँ कि इन बातों की जानकारी किये बिना, हम अन्धेरे में बढ़ते रहें, विकास के नाम पर गरीब जनता पर टैक्स लगाते रहें, विकास योजनाओं के नाम पर टैक्स का भार डालते रहें, मैं समझता हूँ यह न्यायोचित नहीं कहा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)-

जा सकता । इस लोकतांत्रिक युग में जो जनता के सुझाव प्रगट करने वाले हैं, उनके सुझावों पर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं दो-चार बातें और कहना चाहूँगा । माननीय मुख्य मन्त्रीजी सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसके लिए सदन को और हमें अफसोस है । मुझे जानकारी है कि जब कि राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही तीन महीने चलती है लोकसभा की कार्यवाही छः महीने चलती है । मुझे कभी की जानकारी नहीं है कि लोकसभा की बैठक दिल्ली में चल रही हो और दिल्ली से बाहर गये हों हमारे प्रधान मन्त्री । वे लोकसभा में नहीं जाते हों, ऐसी मुझे जानकारी नहीं है । लोकसभा में बजट पास हो रहा हो, बजट प्रस्तुत किया हुआ हो, लोकसभा में फाइनेन्स बिल पेश किया हुआ हो और हमारे केन्द्रीय वित्तमन्त्री मुरारजी भाई लोकसभा में उपस्थित नहीं हो और किसी अन्य स्थान पर उद्घाटन करते रहें या आराम करते रहें, या जिस संस्था से सम्बन्धित है, उसके हिसाब-किताब की देखभाल करते रहें । लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, इस सदन का दुर्भाग्य है कि हमारे वित्तमन्त्री, जिनको फाइनेन्स बिल को पॉइलट करना चाहिये, जो सुझाव हम प्रस्तुत करते हैं, जो विचार हम रखते हैं, उनको सुनने के लिए हाजिर होना चाहिये, मैं उनकी मुसीबत को जानता हूँ, उनकी दिक्कत को समझता हूँ कि वे हिसाब-किताब को देखने में व्यस्त हैं, या हट्टूंडी गये हुए हैं हिसाब किताब देखने, क्योंकि इस सदन में उसके सम्बन्ध में आरोप लगाये गये थे लेकिन यह जरूरी है कि सदन में वे हाजिर होते । यह लगता है, उपाध्यक्ष महोदय, कभी इस बात की डिमान्ड चेयर से करना पड़ेगी, जैसा कि लोकसभा में होता है और वहां के अध्यक्ष ने मन्त्रियों को आदेश दिये हैं । मैं समझता हूँ कि यह हाउस के प्रति डिसरिगार्ड है, वे समझते हैं यहां बैठने की क्या आवश्यकता है, पन्द्रह मन्त्रियों में से एक मन्त्री को यहां बैठा रखा है, जिनका फाइनेन्स से सम्बन्ध नहीं है ; वे पॉइलेट कर रहे हैं । यहां पर जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी की बात, कलेक्टिव रेस्पान्सिबिलिटी की बात कही जा सकती है । लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यह एक स्वस्थ परम्परा नहीं है । कानून के अनुसार, नियमों के अनुसार यह हो सकता है कि उनके लिए सदन में बैठना जरूरी नहीं हो लेकिन लोकतन्त्र की दृष्टि से, हाउस की सेन्क्टिटी की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय सदन में उपस्थित हों । बजट के मामले में बहस चले, तो ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिये जिस दिन वित्तमन्त्री यहां उपस्थित नहीं हों । कोई दिन ऐसा नहीं हो कि विधान सभा की बैठक चले........

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ब्लड-प्रेशर की तकलीफ हो तो भी हाउस में उपस्थित रहें ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ब्लड-प्रेशर की तकलीफ हो तब अनुपस्थित रहें, लेकिन हट्टूंडी के हिसाब किताब........

श्री उपाध्यक्ष : But at the same time, I don't treat it as a part and parcel of the debate.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी स्वस्थ परम्परा और लोकतन्त्र की बात करते हैं लेकिन सदन की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखते और सदन में उपस्थित नहीं रहते, यह चिन्ता की बात है। मैं निवेदन कर रहा था कि टैक्स वगैरह की बात आती है, वे टैक्स लगायें। लेकिन उन टैक्सेज़ के सम्बन्ध में, राज्य सरकार के कोष के दुरुपयोग के सम्बन्ध में सदन में जो तथ्य रखे जाते हैं, उन तथ्यों के सम्बन्ध में कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ? मैं समझता हूँ पिछले एक महीने में जितने तथ्य इस सदन में प्रस्तुत किये गये हैं, जितने फैक्ट्स प्रस्तुत किये गये हैं, वे इस बात का प्रमाण हैं कि राज्य सरकार राज्य कोष के दुरूपयोग को रोकने में राज्य कोष की रक्षा करने में असमर्थ है।

मैं इसके आगे यह कह सकता हूँ कि राज्य कोष का दुरुपयोग करने में, अपव्यय करने में कुछ मात्र अंशों में कुछ व्यक्ति सम्बन्धित है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। उसके साथ साथ आप टैक्स बढ़ाने की बात करें और टैक्स के बिल को विकास के नाम पर, विकास योजनाओं के नाम पर पारित करने की कोशिश करें, मैं समझता हूँ यह किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं है। इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, तीन-चार दिन पहले एक तथ्य रखा था इस सदन के सामने, जिसके द्वारा मैंने बताने की कोशिश की थी। मैं समझता हूँ कि टैक्स का हम कभी विरोध न करें, यदि राज्य सरकार यह दृष्टिकोण अपना ले कि जो धन का दुरुपयोग होता है, जो लीकेज होता है वह इस राज्य में न हो। मैं समझता हूँ कि हमें उन टैक्स के बारे में कुछ एक्सटेंट तक वास्तव में विरोध नहीं होगा और कुछ एक्सटेंट तक हम उसका स्वागत कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस इस बात का है कि सदन में जो चार्ज लगाये जाते हैं, सदन में जो जो रुपये के दुरुपयोग की बात रखी जाती है, उनका ध्यान नहीं रखा जाता, उनका जवाब नहीं दिया जाता, उन पर कार्यवाही नहीं की जाती है।

आज से एक सप्ताह पूर्व इस सदन में मैंने विचार प्रगट किये थे एप्रोप्रियेशन बिल पर, उस समय सदन के सामने तथ्य रखे थे और यह साबित करने की कोशिश की थी राजस्थान में सवा करोड़ की धन राशि शिक्षा के ऊपर खर्च करते हैं, राजस्थान में जो शिक्षण संस्थायें प्राइवेट रूप से चलती हैं, उनको अनुदान के रूप में दिया जाता है। मैंने यह साबित किया था कि लगभग ५० हजार रुपये का दुरुपयोग होता है, जो कि न तो अध्यापकों को मिलता है और न राज्य कोष में जाता है, वह प्राइवेट संस्था चलाने वालों के पास जाता है। आज प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री इस सदन के सामने आंकड़े प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि राजस्थान में इस प्रकार का शिक्षित व्यक्तियों का पर्सेन्टेज है। मैं पूछना चाहूँगा कि आज शिक्षा का स्टेन्डर्ड क्या है, स्टेन्डर्ड ऑफ एज्यूकेशन क्या है। आज एज्यूकेशन इन्स्टीट्यूशन्स किस प्रकार की क्रियेट हो रही हैं ? कैसा करेक्टर पैदा हो रहा है ? मैं कह सकता हूँ और मेरी बात न भी मानें तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि राजस्थान में जिस प्रकार का मैटीरियल हमारे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सामने कॉम्पीटीटिव एग्जामिनेशन में आता है, उसको देख कर दावे के साथ कह सकते हैं कि राजस्थान में एज्यूकेशन का स्टेन्डर्ड गिरता जा रहा है और जिस तरह शिक्षा की दृष्टि से विकास होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। मैंने उस सिलसिले में एक तथ्य रखा था एक इन्स्टीट्यूशन के बारे में।

मैंने आपके सामने एक सुबूत रखा कि जितना अनुदान दिया जाता है, जितना वे खर्चा बताते हैं, उतना खर्चा नहीं होता। उतना खर्चा नहीं होता है, इसके साथ ही मिनिस्टरी को तनख्वाह नहीं दी जाती है और सरकार से ज्यादा ग्रान्ट ले ली जाती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी एक ही नहीं, राजस्थान में अनेकों संस्थायें हैं, जो जाली हिसाब बना कर, झूठे हिसाब बना कर, फोर्ज्ड हिसाब बना कर, डबल हिसाब बनाकर राज्य सरकार धोखा देकर पैसा लेती है। राज्य सरकार कह सकती है कि हमारे पास जानकारी नहीं है, फेक्ट्स नहीं हैं हम कार्यवाही कैसे करें, उनके खिलाफ कदम कैसे उठायें ? मैं समझता हूँ इस सदन में जो जानकारी दी जाती है, इस सदन में फैक्ट्स रखे जाते हैं, उन पर कार्यवाही नहीं होती। मैंने २३ मार्च को एक शोर्ट नोटिस क्वेश्चन दिया, वह इसलिए दिया कि इस संस्था को ग्रान्ट-इन-एड मिल रही है, इसका बिल पैंडिंग है, इसे ग्रान्ट न मिल सके, लेकिन मैन्युपुलेशन चलता है। शोर्ट नोटिस क्वेश्चन तीन दिन में आना चाहिए, वह आ नहीं सकता। इस बात का ख्याल नहीं है। सदन में तथ्य रखते हैं, उनकी डाइरेक्टर इन्क्वायरी नहीं करता, गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं दिये, डाइरेक्टर ने कार्यवाही नहीं, एज्युकेशन की सेक्रेटरी नहीं सोचते आप मैं तो कहूँगा कि एज्युकेशन मिनिस्टर ने कार्यवाही नहीं की। हमने इस सदन में तथ्य रखे, क्वेश्चन भेज दिया, उसके साथ एक ट्रू कापी पेश की थी। मैंने पुराने हिसाब किताब की प्रमाणित प्रतिलिपि सवाल के साथ लगाई यह साबित करने के लिये। और मैंने अध्यक्ष महोदय को विश्वास दिलाया था कि मेरे पास उसके ओरीजिनल अकाउन्ट्स हैं, ओरीजिनल कापीज हैं। यह सब करने के बाद मैंने समझा था कि इस पर इन्क्वायरी का ऑर्डर दिया जायगा, इन्क्वायरी की जायगी और उस संस्था को ग्रान्ट-इन एड रोक दी जायगी। पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ भी नहीं हुआ। न इन्क्वायरी हुई, न ग्रान्ट-इन-एड रोकी गई क्योंकि इसके प्रेसीडेन्ट राजस्थान के राजस्व मन्त्रीजी हैं, वाइस प्रेसिडेन्ट है हमारे मुख्य मन्त्रीजी की गृह पत्नीजी और उस संस्था के चान्सलर हैं राजस्थान के गृह मन्त्रीजी। गलत हिसाब बनाने में, राजस्थान सरकार को धोखा देने में, गलत तरीके से पैसे लेने में जिस संस्था का हाथ है उसके लिये जिम्मेदार प्रेसीडेन्ट, वाइस प्रेसीडेन्ट और चान्सलर होते हैं। पर तथ्य पेश करने के बाद भी ओरीजिनल कॉपीज़ अकाउन्ट्स की पेश करने के बाद भी कुछ नहीं किया जाता है, इन्क्वायरी नहीं की जाती, ग्रान्ट-इन-एड बन्द नहीं की जाती।

आप इन्डस्ट्रीज़ चलाते रहें, घरू तौर पर इन्स्टीट्युशन चलाते रहें, उन पर हाथ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रखा जाय कि परवाह मत करो, सदन में सवाल रखा तो हम यहां पर कुर्सियों पर बैठे हैं, क्या डर है तुमको ? जब तक हम यहां पर बैठे हैं तब तक परवाह मत करो। इस तरह से राजस्थान को जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग किया जाता है और फिर विकास के नाम पर मुख्य मन्त्रीजी सदन में कहें कि टैक्सेज़ का विरोध क्यों करते हैं, टैक्सेज के बिना विकास के लिये पैसा कहां से आयेगा, राजस्थान के हित में टैक्सेज लगा रहे हैं, राजस्थान के हित में सोचना चाहिये। तो मैं समझता हूँ उनकी अपील थोथी अपील है। जिस समय मैंने ये सारे फैक्टस् सदन में रखे, ओरीजिनल कॉपीज़ हिसाब की रखीं और सब साबित करने का कहा उस समय मुख्य मन्त्रीजी सदन में मौजूद थे, फिर भी उन्होंने कार्यवाही नहीं की। आप इसमें कार्यवाही नहीं करना चाहते तो मुख्य मंत्रीजी अपने घर में तो जाकर कह सकते थे कि इस प्रकार की संस्था से इस्तोफा दे दो, पर मालूम होता है घर में भी उनका बस नहीं चलता। इस प्रकार की निकम्मी संस्थाओं को पनपाने का जिम्मा राजस्थान सरकार ने ले रखा है। राजस्थान सरकार को धोखा देकर पैसा लिया जाता है। इस तरह से राजस्थान के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, ऐसी दशा में न केवल राजस्थान विधानसभा के विरोधी दल का, न केवल ट्रेज़री बैंचेज़ का, बल्कि लोकतन्त्र में विश्वास करने वाले प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है कि ऐसी दशा में इस प्रकार के टैक्सेज़ लगाये जाते हैं गरीब जनता पर उनका डट कर विरोध करें।

इन सारी परिस्थितियों में, जो सदन में यह फाइनेन्स बिल पेश किया गया है, उसका मैं विरोध करता हूँ और माननीय उपाध्यक्ष, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, पर मेरे पास सारे फैक्ट्स हैं सब महकमों के बारे में। कोई महकमा ऐसा नहीं, किसी भी मन्त्रीजी का सौभाग्य नहीं कि उनके अन्डर में चलने वाले विभाग में गड़बड़ घोटाला नहीं हो। सब विभागों में गड़बड़ घोटाले हैं। मैं कोई घर से घोटाले बना कर लाता नहीं, उनके विभागों में घोटाले होते हैं। चम्बल में हमारे देश के प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू आये थे, स्वागत समारोह हुआ। जयपुर से ट्रक में भर कर वायर्स गये थे, कोई छोटी मोटी चीज की चोरी हो सकती है पर ट्रक भर कर वायर्स गये थे, ६५००० रुपये का माल था, कोटा गया। इस बांध के सुअवसर पर जब देश के प्रधान मंत्री उद्घाटन करने वाले थे, यहां से भवानी-मण्डी के लिये रवाना हुए, यहां से इश्यू कर दिये, यहां सारे इन्द्राज कर दिये गये पर वे वहां पहुंचे नहीं, वहां रजिस्टर में कोई इन्द्राज नहीं। खोज हो रही है, ३० पन्नों की रिपोर्ट एक बड़े अधिकारी ने पेश की है कि किस प्रकार घोटाला हुआ, पर उस रिपोर्ट को रेफ्रीजरेटर में रख दिया गया है। दूसरे अधि-कारी को भेज कर भवानीमण्डी में जांच करवाई जा रही है, वहां डुप्लिकेट रजिस्टर, डुप्लिकेट सारे कागजात बनाये जायं इसलिये उस दूसरे अधिकारी को भेजा गया, पर वहां क्लर्क कन्सर्न्ड ने मना कर दिया कि मैं डुप्लीकेट चीजें नहीं बनाता। इस प्रकार की कार्यवाहियां की जाती हैं और धन का दुरुपयोग किया जाता है; फिर राजस्थान की गरीब जनता से टैक्स देने के लिये कहा जाता है।

आज राजस्थान की जनता को इसलिये

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तैयार करना है कि वह राजस्थान की विकास योजनाओं के लिये टैक्स दे तो वह खुशी से टैक्स देगी, पर उस हालत में खुशी से देगी जब कि उसे हम विश्वास दिला सकेंगे कि राज्य द्वारा जन-धन का अपव्यय नहीं होता, घोटाले नहीं होते, मिसएप्रोप्रियेशन नहीं होते, एम्बेज़लमेंट्स नहीं होते। पर अफसोस इस बात का है कि अपव्यय होता है, घोटाले होते हैं। आज राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? लोगों ने पैसा मारने के लिये इन्डस्ट्रीज़ खोल रखी हैं, अपने अपने घर बनाने के, पैसा कमाने के, गबन करने के मिसएप्रोप्रियेशन करने के रास्ते बना रखे हैं।

इसके सम्बन्ध में विशेष न कह कर केवल एक ही बात रखूंगा। हमारे यहां एक इन्स्टीट्यूशन है, वह हाइयेस्ट इन्स्टीट्यूशन राज्य का हो सकता है, वह है सेक्रेटेरियेट, गर्वनर महोदय का। गवर्नर महोदय हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता पर उनके नीचे काम करने वाले किस तरह की बातें करते हैं। धौलपुर हाउस के, धौलपुर स्टेट के टाइम के ६ गलीचे दिल्ली चले गये और मामला रफा-दफा कर दिया गया। जानकारी करना चाहें तो मैं सारी ऑडिट की रिपोर्ट पेश कर सकता हूँ कि किस प्रकार इनके सेक्रेटरी, ऊपर का पता नहीं, किस प्रकार धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। कॉन्स्टीट्यूशन के तहत हम चार्ज्ड बजट पर नहीं बोल सकते पर सदन को सोचना चाहिये कि चार्ज्ड बजट रख कर नीचे के लोग हैं वे कॉन्स्टीट्यूशन के इस अधिकार का कितना दुरुपयोग करते हैं। गवर्नर हाउस के गलीचे स्पोर्ट्स कौंसिल ने खरीद लिये, इसके बारे में हम बोलेंगे, इन्डियन स्पोर्ट्स कौंसिल को गवर्नर हाउस के गलीचे बेच दिये। अगर उन माननीय सदस्या के यहां गलीचे मेन्युफेक्चर होते हों तो कोई बात नहीं, पर वे गलीचे मेन्युफेक्चर नहीं करतीं, फिर गलीचे आये कहां से? तो दूसरे स्थानों पर इतना रुपया खर्च करते हैं. उन रुपयों का इस प्रकार दुरुपयोग होता है और फिर टैक्स लगा कर जनता से पैसा लेना चाहते हैं।

मन्त्री महोदय यहां बैठे हैं, उनको पॉवर नहीं, ऐसा लगता है; मुख्य मंत्री होते तो उनको कहता, मुख्य मंत्रीजी को हमने कई बार पत्रों द्वारा निवेदन किया है, यह चीज रिप्रेज़ेन्टेशन में लाये है कि राजस्थान में इस मिसएप्रोप्रियेशन, एम्बेज़लमेंट, करप्शन और धन के दुरुपयोग को मिटाना है तो इसकी शुरुआत नीचे से नहीं करके सबसे ऊपर से करना होगा कि कितना दुरुपयोग होता है। सदन में जब जब भी पैसा देने का सवाल खड़ा हुआ तो हमने पैसा दिया है, पैसा देने से इन्कार नहीं किया है। सदन में डिमान्ड आई थी १० लाख रुपये की, गवर्नर हाउस को फर्निश करने के लिये हमने १० लाख रुपया दे दिया।

आज देखा जाय तो सेक्रेटरी साहब का घर गवर्नर साहब के हाउस से ज्यादा सजा हुआ है। गवर्नर हाउस के नाम से खरीदे गये गलीचे, फर्नीचर और दूसरा सामान उनके यहां लग गया, अगर जांच करना चाहें तो साबित हो सकता है। तो इस प्रकार चार्ज्ड बजट के नाम से रुपया रखा उसका दुरुपयोग इस तरह किया जा सकता है। सदन के माननीय सदस्य इस बात पर विचार करें, इस परिस्थिति को सोचना चाहिये, हमारे ऊपर इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, बड़े व्यक्ति का पता नहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है, पर जो करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते ? ऑडिट रिपोर्ट से साबित हो सकता है कि कौन आदमी कर रहा है। गवर्नर हाउस के सेक्रेटरी, मिस्टर खन्ना, कर रहे हैं जिनके घर में गवर्नर हाउस के गलीचे बिछे हुए हैं, फर्नीचर लगा हुआ है, तस्वीरें लगी हुई हैं, गवर्नर हाउस के लिये एक तस्वीर ५,०००) रु० में खरीदी जाती है उसकी जगह ५ रु० की तस्वीर रिप्लेस कर दी जाती है और वह अपने घर में रख दी जाती है। मैं साबित कर सकता हूँ कि हाइयेस्ट व्यक्ति के यहां काम करने वाले व्यक्ति इस तरह से कर रहे हैं, जांच करेंगे तो सब साबित हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : मिस्टर सतीशचन्द्र....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान का भला चाहने वाले हैं तो अवश्य जांच करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Shri Satish Chandra, it is a convention not to discuss matters pertaining to the Secretariat of the Governor and I hope this convention would be maintained. I, therefore, disapprove the details which have been given by the Hon'ble member about the secretary to the Governor.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I have not given details about the Governor's Secretariat but about the Secretary to the Governor himself.

श्री उपाध्यक्ष : It is a convention not to discuss the Secretary attached to the Governor as well.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : We have been forced to discuss it, and the circumstances permit.

श्री अध्यक्ष : Order ! Order Please !!

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान फाइनेन्स बिल द्वारा इस वर्ष के बजट में नये करों का प्रावधान किया गया है उस पर में विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से यह फाइनेन्स बिल आया है और नये करों का भार जनता पर होगा इसके लिये मैं विशेष रूप से इस बात पर जोर दूंगा कि करों की चोरी होती है उससे यह भार जनता पर पड़ता है और मैं विशेष रूप से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर सरकार इसको रोकने की कोशिश करे तो मैं समझता हूँ कि इतने करों को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं यह कहूँगा कि कोई भी ऐसा कर नहीं है जिसमें करों की चोरी नहीं होती हो।

सबसे पहले मोटे रूप से मोटर विहीकल्स पर टैक्स लगाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें भी यात्री कर लगाया गया है क्योंकि इससे भाड़े में बढ़ोतरी होगी। मैं यह कहूँगा कि इस कर में कितनी चोरी होती है और उसको कितना रोक सकते हैं, इसके बारे में विचार करें तो मालूम होगा। वैसे तो मामला सरकार का अपना ही है, इसमें चोरी करते हैं सरकार

Page No.48

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

के कर्मचारी और इस कारण से चोरी और बचत होती है वह बराबर है। मगर सरकारी कर्मचारियों के चोरी करने का असर जनता के दूसरे लोगों पर बहुत बुरा पड़ता है। अगर सरकार अपने कर्मचारियों को चोरी करने से रोक देगी तो बाकी की जनता पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा और वह यह समझने लगेंगे कि सरकार के कर्मचारी अब चोरी नहीं करते हैं इसलिये हमें भी अब चोरी नहीं करनी चाहिये और वे भी चोरी करना बन्द कर देंगे। तो लोगों के मन में इस प्रकार के भाव पैदा हो जावेंगे और वे चोरी करना बन्द कर देंगे।

मोटर व्हीकलों में आप देखेंगे कि पुलिस के कर्मचारी मुफ्त में सफर करते हैं। माननीय मंत्री महोदय को आजकल तो साधारण मोटरों में जाने का अवसर नहीं मिलता क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से राजस्थान मोटर गैरेज से मोटर मिली हुई है, वर्ना वे भी अगर मोटरों में यात्रा करें तो उनको भी अनुभव होगा और वे भी अनुभव करेंगे कि जितने पुलिस के कर्मचारी हैं वे सब मुफ्त में सफर करते हैं। आगे की सीट रिज़र्व होती है वह बस वाले के लिये होती है, लेकिन वह थानेदार ले लेते हैं और अगर कोई भी व्यक्ति बैठ जाता है तो उसको उठा कर उसके स्थान पर थानेदार जी बैठ जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I fail to understand how does it come within the purview of this Bill.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह तो टैक्सेशन पर असर डालता है।

श्री उपाध्यक्ष : These are minor details which the Hon'ble member like you should not place. We have been repeating these points right from Budget Session to this day.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मेरे कहने का मतलब यह है कि वे मुफ्त में सफर करते हैं तो मोटरों का टैक्स कम आता है। जब वह टैक्स कम आता है तो यह कहा जाता है कि यह टैक्स बढ़ना चाहिये। इस साथ साथ चोरी कौन करते हैं ? सरकारी अधिकारी ही चोरी करते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि जनता पर ज्यादा बोझ पड़ता है। मोटर टैक्स में चोरी होती है, एन्टर्टेनमेंट टैक्स में चोरी होती है। ये सब बिजली विभाग के लोग या दूसरे लोग, सरकारी कर्मचारी ही करते हैं जिससे लोगों पर टैक्स का भार बढ़ता है। इसके अलावा दूसरे लोग भी चोरी करने लग जाते हैं। इसलिये मैंने यह कहा है। मैं आपको इसके लिये उदाहरण दूं कि किस प्रकार एन्टर्टेनमेंट टैक्स की चोरी बिजली विभाग के कर्मचारी करते हैं। यह सारी का सारी परसों की बात है, एक अखबार में खबर प्रकाशित हुई, सीकर की बात है, वहां के एक बिजली के कर्मचारी शराब पीकर सिनेमा में गये....

श्री उपाध्यक्ष : Well I will not allow a thing which has appeared in the papers and which paper is not before you. According to the conventions such matters should not be

(श्री उपाध्यक्ष)

referred.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अच्छी बात है, मैं तथ्य ही आपके सामने रखता हूँ। बिजली विभाग के एक अधिकारी शराब पी कर सिनेमा हाउस में चले गये। इस प्रकार का एक तरह से रिवाज सा है कि पुलिस के कर्मचारी और बिजली विभाग के कर्मचारी सारे के सारे मुफ्त में सीनेमा देखने को चले जाते हैं। जब सिनेमा के अधिकारियों ने कहा कि बिना एन्टर्टेनमेंट टैक्स दिये आपको अन्दर नहीं जाने दूंगा तो उसने कहा कि पुलिस वाले और बिजली वाले टैक्स नहीं देते। जब उनको हाउस में नहीं जाने दिया तो उन्होंने कहा कि मैं भी देखता हूँ आप किस प्रकार से सिनेमा चलाते हैं। उसने आदेश दिया कि सारी बिजली को बन्द कर दिया जावे। वह शराब पीए हुए था उसने ऐसा किया कि जहां ट्रान्समीटर था वहां से लाइन काट दी। इसका नतीजा यह हुआ कि सारे शहर की बिजली कट गई। कर्मचारियों को सिनेमा नहीं दिखाने के फलस्वरूप उन्होंने शहर की सारी लाइन काट दी। जब यहां पर एक शल्य चिकित्सा का शिविर चल रहा था और मरीज लोग ऑपरेशन की टेबल पर पड़े ए हुथे। बिजली कट गई और इसका नतीजा यह हुआ कि कई लोगों के ओपरेशन खराब हो गये। इस प्रकार का एक केस सीकर का मिसाल के तौर पर है। दूसरा इसी प्रकार का केस कोतवाल का था जिसको बगैर एन्टर्टेनमेंट टैक्स दिये पकड़ा था। अनेक केसेज इस प्रकार के हैं जहां टैक्सेज में चोरी होती है।

अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि रेशम में किस प्रकार टैक्स की चोरी होती है। काश्मीर से रेशमी कपड़ा आता है उस पर टैक्स की चोरी होती है। माननीय उपाध्यक्ष, मेरी जानकारी है कि वे १० पर्सेन्ट विभाग को पे नहीं करते। विशेष रूप से काश्मीर से आने वाली सिल्क का टैक्स है। इसके लिये स्पेशल अधिकारी को लगाया गया और उनको कुछ केसेज रेफर किये गये कि इसमें जांच होनी चाहिये। लेकिन वे यह नहीं चाहते कि काश्मीर से जो सिल्क आती है उस पर टैक्स लगे। जिस प्रकार पी. ए. सी. की रिपोर्ट थी उस पर कोई अभी तक मुकदमा नहीं चला है। दूसरी बात यह है कि चूरू व सीकर में कुछ केसेज पकड़े गये लेकिन कोई भी मामला अभी तक अदालत में नहीं गया है। लाखों रुपयों के रेशम के मामले हैं और इसके लिये विशेष अधिकारी की नियुक्ति हुई है, इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। माननीय मंत्री इस पर क्यों नहीं कार्यवाही करते हैं ? मैं यह कहूँगा कि सारे के सारे टैक्सेशन के मामले हैं उनमें सरकारी कर्मचारी चोरी करते हैं और इस वजह से सरकार के पास टैक्स पूरा नहीं आता और जब टैक्स पूरा नहीं आता तो घाटा रहता है और यह कहा जाता है कि टैक्सेज बढ़ाये जाने चाहिये।

इसके अलावा कपड़े और खाने-पीने की चीजों पर जो कर लगा हुआ है उसको दूर करना चाहिये क्योंकि इस पर सेल्स टैक्स लगने से बेईमानी फैलती है। ग्राहक बेईमान बनते हैं और दुकानदार भी बेईमानी करते हैं। सरकार के कर्मचारी व व्यापारी सब इसकी वजह से बदमाशी और बेईमानी करते

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हैं। इस कर से चारों तरफ बेईमानी फैलती है इसलिये मैं यह कहूँगा कि इस कर को बन्द कर दिया जावे। इस एक कर को बन्द करने से बहुत बेईमानी बंद हो जाती है। लेकिन हमारी सरकार ने जिन चीजों पर टैक्स माफ किया वहां दूसरी चीजों पर नये टैक्स लगाये। आप यहां मरने पर टैक्स, जीने पर टैक्स, मृत्यु होने के बाद भी टैक्स लगाते हैं मगर अब तो आपने खाने पर भी टैक्स लगा दिया है। मरण और जीवन पर टैक्स और दूसरी चीजों पर जो भी टैक्स है उसको भी नहीं सह सकते फिर हमारी सरकार ने अनाज और रोटी पर भी टैक्स लगा दिया। अनाज पर टैक्स, रूई पर टैक्स। यह व्यवहारिक नही है। इसके लागू करने में बड़ी बेईमानी होगी और किसी प्रकार से भी सरकार को इससे लाभ होने वाला नहीं है यदि सरकार यह सोचे कि इससे उसको लाभ होगा। अगर सरकार अनाज पर टैक्स लाना था तो लैंड रेवेन्यू बढ़ा सकती थी।

लैंड रेवेन्यू बढ़ाने की बात तो नहीं हो सकती थी क्योंकि काश्तकार नाराज होता और अनाज पर टैक्स बढ़ता। मान लीजिये कि रेवेन्यू बढ़ा हुआ होता तो काश्तकार भी बढ़ा कर ही बेचता। लेकिन रेवेन्यू बढ़ाने से तो सरकार घबराती है क्योंकि आम चुनाव सामने आ रहे हैं और काश्तकारों से वोट जो लेने हैं, उनके वोट अधिक हैं इसलिए सरकार ने रेवेन्यू बढाने की बात नहीं सोची। अनाज पर जहां टैक्स बढाना था उसकी जगह रेवेन्यू बढा सकते थे। इससे टैक्स की जो चोरी होती है, बेईमानी होती है वह चोरी और बेईमानी नहीं होती। लेकिन सरकार को चोरी को, चोरी को बढाना है, सरकार को तो बेईमानी को फैलाना है, कर्मचारियों में सरकार को भ्रष्टाचार फैलाना है इसलिए सरकार ने इस प्रकार का रोटी, अनाज, दालों पर टैक्स लगाया। उसका सारा भार जनता पर पड़ने वाला है। टैक्स की योजनाओं से कितना फायदा सरकार को मिलने वाला है, यह तो एक दूर की बात है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि सरकार ने १ करोड़ रुपयों के टैक्स लगाये हैं। सेल्स टैक्स से १० लाख की आमदनी होगी, बताया। जयपुर में सुना है एक सिनेमा आया है, गोगियापाशा की जादू की बातें हैं, जादू के टैक्स की जांच का पता नहीं लगता। सदन में तो कह देते हैं कि इतना टैक्स लगेगा, पर आमदनी नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार से कोई साधु बन कर सोना बनाने का जनता को धोखा देकर पैसा ऐंठ ले जाता है उसी प्रकार से सरकार को मालूम नहीं है वास्तव में कि उसकी इससे कितनी आमदनी होगी और उस टैक्स से सरकार को डयोढ़ी और दुगनी आमदनी होती है, टैक्स ड्योढा दुगुना वसूल हो कर आता है। सरकार के पास आंकडे नहीं हैं, या सरकार की जान बूझ कर जनता को धोखे में रखने की प्रवृत्ति है कि जनता को थोड़ा सा ही टैक्स बताया जाय, जिससे जनता इसको न जान सके। लेकिन वही टैक्स डबल वसूल होकर आता है। बजट में घाटा इ लिए रखा जाता है। वह अनकवर्ड कहां से आवेगा। बजट में कहां नहीं बताया गया कि इस प्रकार से आवेगा। आवेगा इस प्रकार से डयोढ़ा दुगुना वसूल होकर इससे सरकार की नीयत का साफ पता चलता

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

है । इस प्रकार से सरकार ने स्वयं चोरी करने का प्रयास किया है, जनता को धोखे में रखने का प्रयास किया । सरकार नहीं चाहती कि ईमानदारी से टैक्स लगाये जाय । सरकार टैक्स की जो चोरी होती है उसको रोक नहीं सकती । एक्साइज़ एन्ड टैक्सेशन विभाग के अधिकारी हैं, रेशम की चोरी होती है उसको रोकने में असमर्थ रहते हैं और यदि उसको रोकने का सरकार प्रयास करे तो मैं कहूंगा कि टैक्स लगाने का प्रयास ठीक है ।

इसके अलावा पंचायत समितियों को यह छूट दी है कि निम्नांकित टैक्स लगाने के लिए उनको सरकार का समर्थन रहेगा । ज विधेयक पारित हो रहा था इसका विरोध किया था । प्राथमिक शिक्षा पर जो सेस लगाया जा रहा है गांवों में और जिनके लिए पंचायत समिति को अधिकार दिया गया है, मैं उसका विशेष विरोध करता हूँ । एक ओर तो हम कहते हैं कि हम प्राथमिक शिक्षा कम्पलसरी और निःशुल्क देंगे और भारत के संविधान में भी इसका प्रावधान है । उस संविधान को सारे नागरिक मानते हैं और सरकार का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि उस भारतीय संविधान के प्रावधान को उच्च दृष्टि से देखे और माने और उस दृष्टि से इस प्रकार के सेस को हटा देना चाहिये । प्राथमिक शिक्षा पर जो सेस लगेगा यदि ऐसा सब जगह के लिए कर देते तो कोई बात हो सकती थी, लेकिन केवल गांवों में उसको लगाने के क्या माने हैं ? सरकार शहरों में उसको लगाने के लिए तैयार नहीं है । सरकार की हिम्मत होती तो स्वयम् लगाती ! लेकिन नहीं, पंचायत समिति के द्वारा उसने यह व्यवस्था की है । यदि सरकार इसको लगाती तो समान रूप से सब नागरिकों पर इसका असर पड़ता और इस दृष्टि से वह सारे प्रान्त पर लगता । सरकार इसको स्वयम् नहीं लगाना चाहती क्योंकि बदनामी होती है । शहरों में लोग ज्यादा गड़बड़ी मचाते हैं, आन्दोलन करते हैं । गावों में पंचायत समिति की मार्फत लगेगा, पंचायत समिति स्वयम् चाहे तो लगावे । यह बिल्कुल एक प्रतिगामी कदम है । जो घोषणा है प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और कम्पलसरी करेंगे या तो उसको वापिस ले या इसको हटावें । ग्रामीण जनता पर आप यह सेस लगाना चाहते हैं । या तो सरकार समानरूप से लागू करें या इसको विथड्रॉ करें । इस प्रकार से केवल ग्रामों के लिए इसको लागू किया है उसका मैं घोर विरोध करता हूँ और सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको वापिस ले ।

श्री उपाध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : फाइनेन्स की तरफ से टैक्स लगा है इसके वास्ते मेरे से पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने काफी इस पर प्रकाश डाला है । मेरा निवेदन यह है कि इतनी कमी बजट में रही उसको पूरा करने के लिए टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है यह एक विचारणीय विषय है । टैक्स के वास्ते तो यह देखा जा सकता है विपत्ति पड़े, देश में कमी पड़े और वैसे कामों के वास्ते जिसमें नेशन को दिक्कत रहती हो, वहां टैक्स जरूर लगाना चाहिये । लेकिन बजट की कमी और बेशी के प्रश्न को लेकर इस प्रकार से सदा ही टैक्स बढाते रहना, इसका कभी अन्त होगा भी या

Page No.52

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

नहीं ? यह एक विचारणीय विषय है। पहले के वक्त में, राजाओं और जागीरदारों के वक्त में जिस प्रकार का टैक्स लगता था, वह थोड़ा या मामूली चीजों का टैक्स होता था, लेकिन यहां तो इस प्रकार से सदा ही टैक्स बढ़े ही हैं, उनसे पीछे नहीं जाते। यदि भयंकर विपत्ति आ रही हो तो जनता भी कर देने के लिये तैयार रहती है लेकिन कई बातों की ओर माननीय सदस्यों ने बराबर कहा है, उस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। कई छोटे छोटे मामले कम कर दिये जा सकते हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग कहेंगे कि it is more luxury than necessity ज्यादा खर्चा जहां होता है वहां कम कर दिया जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई बात होती नहीं है। बराबर इस प्रकार से टैक्स बढाते रहेंगे। कहतसाली पड़ रही है, उसके बावजूद नाना प्रकार के टैक्स जिनकी गिनती ही नहीं, जनता पर लगा रहे हैं और आगे इस प्रकार से बढ़ते रहेंगे तो यह एक विचारणीय विषय है। मेरे ख्याल में इस पर दो दफा विचार करने की आवश्यकता है। इधर भाव बड़े मंहगे हैं, जनता को खाना पीना मुश्किल हो रहा है। गरीब काश्तकार शहरों में माल लेकर आते हैं, यहां जो लेबरर्स हैं शहरों में उनके ऊपर इस प्रकार से रोटी दाल पर भी टैक्स लगाते हैं, यह एक विचारणीय विषय है। लंका के अन्दर हनुमानजी की पूंछ बढ़ती ही गयी और आग लगा देने पर उन्होंने उसे समुद्र में जाकर बुझाई थी, इस प्रकार से यह टैक्सेज़ कब तक चलेंगे········

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जब तक लंका जल नहीं जावेगी।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इसके लिए क्यों कहलवाते हैं कि कौन कौन जलेगा।

आज इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है, केवल देखने का ही फर्क है, जरा से आयोजन पर थोड़ा खर्चा घटा देने से इसकी व्यवस्था हो सकती है, आयन्दा ये टैक्स बढ़ायें ही क्यों ?

यहां पर फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय मौजूद नहीं हैं लेकिन उनकी एवज में जो मन्त्री महोदय काम कर रहे हैं उनसे जरूर निवेदन करूंगा कि जब कर लगाने की स्थिति आप ठीक समझते हैं तो वैसी स्थिति में इस पर दो बार विचार करें और इस बात को सोचें।

इसके अलावा एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। भारत के इतर देशों में एक प्रकार की समस्या पैदा हो रही है, भगवान न करे अचानक वह विपत्ति इधर भी उपस्थित हो जाय। उस वक्त में और भी कई टैक्सेज लगाने होते हैं, उस समय बहुत से छोटे मोटे कार्य स्थगित हो सकते हैं। कहतसाली में टैक्स स्थगित किये जा सकते हैं। प्रश्न यह आता है कि स्थगित करने के वास्ते जब कि यह पांचवा साल है और आयन्दा साल में नये चुनाव होने वाले हैं माननीय मन्त्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे इसमें अगर यह सवाल आता है कि आयन्दा के वास्ते हमें चुनाव में वोट नहीं आयेंगे तो इसलिये वे करते हैं यह उचित नहीं है। आज हम देखते हैं लेबरर्स किसान पहले ही टैक्स के भार से बहुत दबे हुए हैं, इस

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

प्रकार की छोटी छोटी चीजों पर टैक्स लगा देते हैं तो यह बहुत ही भार स्वरूप मालूम होता है इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसे बहुत से खर्च हैं जिनमें कमी की जा सकती है। यही मेरा निवेदन है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान फाइनेन्स बिल, १९६१ सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करता हूं। इसका कारण यह है कि वैसे तो जब हम बजट पर विचार कर रहे थे उस समय इन सारी समस्याओं को सामने रख दिया गया था। लेकिन विरोधी दल के जो माननीय सदस्य हैं न जाने वे किस दृष्टिकोण से सोचते हैं। वे सोचते हैं कि राजस्थान में टैक्स का लगाना बड़ा भारी पाप है। टैक्स में अगर दो पैसे की भी वृद्धि हो जाती है तो उनकी दृष्टि से बहुत बड़ा जुल्म हो गया। माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, जब वे सरकार चलाने बैठेंगे तो क्या इस बात का विश्वास दिलायेंगे कि वे एक भी पैसे का टैक्स नहीं लगायेंगे....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : हमने हजारों वर्षों तक शासन चलाया है।

डॉ० बहादुरसिंह : उसमें किस प्रकार से जनता का शोषण होता था वह यहां कहने की जरूरत नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह तो इतिहास बतायेगा।

डॉ० बहादुरसिंह : इतिहास लिखने वालों का ही यह कहना है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : आप तो इसी इतिहास पर चलिये जो करेन्ट है।

डॉ० बहादुरसिंह : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस फाइनेन्स बिल द्वारा राजस्थान की तीसरी योजना पर जो खर्च होने वाला है उसका संकेत मात्र इसमें दिया गया है। संकेत मात्र से विरोधी दल यह समझता है कि १२३ लाख वसूल हो गये। संभवतया १९६२ में जो आम चुनाव होंगे कहीं उनकी जगह कांग्रेसी मेम्बर न आ जायें। उनको इस बात का गम नहीं रखना चाहिये कि उनकी जगह तीसरी योजना शुरू हो गई तो कांग्रेसी सदस्य आ जायेंगे। आज हमारे सामने सब से बड़ी बात है कि राजस्थान की गंगा यानी राजस्थान केनाल की योजना हमने इसमें शामिल रखी है जिस वक्त में राजस्थान में सामन्तशाही थी राजाओं का राज्य था उस समय किसी प्रकार की नहरें बनाने की योजना नहीं थी।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : गंग केनाल कब बनी, आप बता सकते हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह : वह तो बहुत छोटी नहर है। जब धौलपुर अलग राज्य था उस समय में पार्वती डेम जैसा डेम संभवतया धौलपुर के महाराजा की सात पीढी तक भी नहीं बन सकता था, अगर उनका राज्य रहता तो। उसी प्रकार से सड़कों को ही लीजिये, धौलपुर में जिस समय राजाओं का राज्य था उस समय केवल दस मील की सड़क थी, उस समय धौलपुर की तहसीलों में आने जाने को कोई सड़क नहीं थी। राजाखेड़ा तहसील में तो चोमासे में वहां जाना बिल्कुल असंभव था। ये छोटी-छोटी चीजें हैं लेकिन उस समय में

Page No.54

(डॉ० बहादुरसिंह)

ये भी होना असंभव था। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां हम राजस्थान का विकास चाहते हैं तो निश्चयपूर्वक अपनी राज्य की आमदनी बढ़ानी होगी। यह कहना आसान है कि हम अपने मतदाता के सामने फख्र के साथ कह सकते हैं कि हम बगैर टैक्स के राज्य चलायेंगे लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा हो नहीं सकता। आप बिना टैक्स किस किस प्रकार से राज्य चला सकेंगे ? नोट क्या आसमान से टपकेंगे ? सोने चान्दी की खेती होती नहीं। हम जब जनता के वेलफेअर के लिये काम करते हैं तो हमें उसके लिये अवश्य टैक्स लगाना होगा। आज जहां हम प्रजातन्त्रीय तरीके से राज्य चला रहे हैं, यह उस साहूकार की तरह है जो इधर से लेता है और उधर खर्च कर देता है। यह उस आसमान के बादल की तरह है जो समुद्र से पानी लेकर वापिस पृथ्वी पर बरसा देता है। इसी तरह से जिन लोगों से टैक्स लिया जाता है वह उन्हीं लोगों की भलाई के लिये लगा दिया जाता है। राजस्थान जहां शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ मानते हैं वहां हम इस राज्य की आय का २४ प्रतिशत खर्च शिक्षा पर करते हैं, स्वास्थ्य पर ११ प्रतिशत और law and order पर ६ प्रतिशत खर्चा करते हैं। हम जब टैक्स लेते हैं तो वह जनता की भलाई के लिये खर्च करते हैं। टैक्सेज के मामले में हमें जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिये। इस बारे में कई मामले ऐसे भी हैं जिन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। जैसे कि हमारे कृषि आय कर के बारे में विचार करते समय देखा गया कि पुराने केसेज पड़े हुए हैं उनको राइट ऑफ करने के लिये अधिकार चाहिये। इसी तरह की ये सारी चीजें हैं। इन पर सदन विचार करे और इस बिल को स्वीकार करे।

इसके साथ साथ मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ। आपने जो सरचार्ज लगाया है, क्लॉज २ में दस नये पैसे का उसका हिसाब देखा जाय "On every whole rupee: 30 Naye Paise." एक रुपये पर तीस नया पैसा लगाया है इसका चौथाई हिस्सा ८ नये पैसे होता है, वहां हमने दस रखा है. मैं समझता हूँ जब क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेंगे तो यह भी ध्यान में रखा जायगा।

इसके अलावा दूसरा मोटर के टैक्सेज के बारे में, वहां हमने १५ रुपये से बढ़ाकर १७॥ रुपया किया है। पन्द्रह रुपये के चार हिस्से हम कर सकते हैं वे इक्वल हो जाते हैं किन्तु १७॥ के चार हिस्से नहीं हो सकते इसलिये या तो इसको १८ करना चाहिये या फिर १६ करना चाहिये। जब क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेंगे तो इस पर विचार कर लिया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करता हूँ कि इस बिल को स्वीकार किया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान फाइनेन्स बिल पर हम विचार कर रहे हैं। मैं आगे कुछ कहूँ इससे पहले इसके उद्देश्य और कारणों के विवरण को थोड़ा सा पढ़ना आवश्यक समझता हूँ। इसमें लिखा है :

"तीसरी योजना को कार्यान्वित करने के लिये अधिक आय की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु प्रस्तुत विधेयक में स्टाम्प शुल्क, बिक्री कर, मनोरंजन कर और यात्री तथा माल कर की दरों में वृद्धि करने का प्रावधान

(श्री मुरलीधर व्यास)

किया गया है। विधेयक में एक घोषणा भी सम्मिलित है जो राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अस्थायी कर संग्रहण अधिनियम, १६५८ की धारा ३ के अन्तर्गत निविष्ट कराई गई हैं।

तो, तीसरी योजना के लिये धन की आवश्यकता है, इस बात को लेकर इस प्रकार के प्रावधानों के द्वारा पांच-सात बातों पर टैक्स लगाने की बात आई है। मैं मानता हूँ योजना बड़ी है, पर इतनी सी आमदनी से उसमें कोई अड़चन आएगी, यह मैं नहीं मानता। इसके विपरीत अगर सरकार अपनी व्यवस्था को ही थोड़ा ठीक कर दे तो मैं समझता हूँ इन टैक्सों से होने वाली रकम से अधिक रकम वसूल की जा सकती हैं। पर राजस्थान सरकार इस मूल मुद्दे पर नहीं सोचती। अपनी व्यवस्था को ठीक नहीं करना चाहती। उसकी व्यवस्था में होने वाली फिजूल खर्ची को दूर नहीं करती। सरकार को इस बारे में अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिये। खास कर उस स्थान के लिये जहां कि जनता पिछड़ी है और जिनकी आर्थिक आमदनी अन्य राज्यों से कम है। इन्डेक्स नम्बर अन्य राज्यों से आपका बढता जाता है तो ऐसी हालत में उस राज्य की ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि नये टैक्स लगाने की बात न सोचें बल्कि यह सोचें कि हमारा राज्य जो पिछड़ा है उसको ठीक करने के लिये जितने हमारे पास साधन हैं उनको किस तरह पूरी तरह से उपयोग में लाया जाय। दूसरा तरीका हो सकता है तो यह हो सकता है कि टैक्स की नीति इस प्रकार की करें कि जिससे डाइरेक्ट टैक्स का भार उन पर पड़े जिनके पास साधन कुछ ज्यादा हैं, आमदनी ज्यादा है। यह नहीं कि आप सब पर टैक्स लगा दें जिसके पास खाने पीने को कुछ न हो, पर फिर भी एक पैसे की चीज खरीदनी पड़े तो उसे भी टैक्स देना पड़े।

मैं कहता हूँ कि आपने जब समाजवादी समाज रचना को अपना आधार और लक्ष्य माना है तो टैक्स के सम्बन्ध में भी एक नीति स्थिर करनी पड़ेगी। आप यह कहें कि विरोधी लोग तो ऐसे ही कहते हैं। मैं समझता हूँ आपके दिलो दिमाग में एक नीति नहीं है। नीति स्पष्ट होनी चाहिये। आज केन्द्रीय सरकार ने इन्डाइरेक्ट टैक्स लगाये। इसका हर आदमी पर असर पड़ा। पार्लियामेन्ट में श्री अशोक मेहता ने कहा कि ६७–६८ करोड़ रुपया इन्डाइरेक्ट टैक्स से आवेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हर गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रोजाना दो आना प्रति व्यक्ति टैक्स देना पड़ेगा। अब उसी नीति पर चल कर यह सरकार भी इन्डाइरेक्ट टैक्स लगावे और इस तरह एक व्यक्ति पर तीन आना रोज पड़े चाहे बेचारा फिर छः आना रोज कमाता भी न हो या जिसकी रुपया–आठ आना रोज की मज़दूरी हो।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : कर का बोझ उन पर नहीं पड़ता।

श्री मुरलीधर व्यास : यह ठीक है; आपने कह दिया जीरे पर, धनिये पर कर नहीं लगेगा, आपने पांच-छ चीज़ों पर बताया उन पर लगेगा। पर इसका बोझा सब पर पड़ा है। आखिर क्या है ? हर चीज के लिये मिर्च, जीरा, धनिया इस्तेमाल होता है। ये

Page No.56

(श्री मुरलीधर व्यास)

पांच छः चीजों का तो नाम छोड़कर कहा है। पर और बहुत सी चीजें है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या धनिया मिर्च पाव-पाव, डेढ-डेढ पाव थोड़े ही खावेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो कहता हूँ जो टैक्स पांच छः चीजों पर छोड़कर बढ़ाया है। वैसी हजारों चीजें हैं उन सब पर इसका असर पड़ेगा। हर आदमी इसको खरीदता है। आपने ५६ में जिस वक्त एक आना, दो पैसा सेल्स टैक्स लगाया था तो यह कहा था कि इससे किसी प्रकार से ज्यादा नहीं करेंगे। परन्तु यह सत्य है कि वह निरन्तर बढ़ता चला गया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): कितना क्या चला गया ?....

श्री मुरलीधर व्यास : यह सही है आपकी नीति क्या हो, क्या नहीं; पर कहना चाहता हूँ कि आज के जमाने में इसका हर आदमी पर असर पड़ता है। अब हर आदमी पर असर नहीं पड़ता, यह आप कहते हैं क्योंकि विरोधी पक्ष वाले कहते हैं, चिल्लाते हैं। पर मैं कहूँ अभी आपने खुद ने कहा। लोगों को सुनाने में तो ठीक मालूम पड़ा कि हर आदमी पर नहीं लगना चाहिये। यह भी कह दिया इस तरीके से वसूल करें कि जिनके पास देने का साधन हो उन पर ही जोर पड़े। नीति में तो आपने भी विरोध कर दिया क्योंकि दोनों नीतिये एक साथ लागू नहीं हो सकतीं। एक जगह पर आप बैठे हैं, ऊपर से आदेश हों कि इसकी तारीफ करो, उस तरह से बात कर दी। आप टैक्स को नीति के बारे में कह सकते हैं, यह भी आप कह सकते हैं कि जनता हमें चाहती है। पूछ कर देखिये। मैं दावा करता हूँ कि राजस्थान सरकार ने टैक्स की नीति रखी है इसके बारे में आपसे कह सकता हूँ कि किसी भी स्थान पर आम जनता की सभा में आप उसकी राय ले लीजिये कि आपकी नीति ठीक है कि नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह : आम जनता की राय तो मतदान पर होती है।

श्री मुरलीधर व्यास : आम जनता की राय तो जैसी होती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सभी जानते हैं। आज तो उनके वोट पैसे के बल पर बिकते हैं। आप के पास पैसा है, आप खरीद लेते हैं। जब जनता पढ़ी-लिखी होगी तब देख लेंगे। आज तो आप पैसे के बल पर जीतते हैं। अपने पुण्याई के बल पर नहीं जीतते हैं। जिनके पास सरकार है उनके पास पैसा आता है और वह कैसे आता है यह आप भी जानते हैं। आप भी तो कह रहे थे उस दिन कि किस तरह से पैसा हासिल किया जाता है। लोग वसूल करते हैं सेल्स टैक्स के नाम से, उसको पहले लगा कर और बाद में हटाकर। तो यह पैसा कैसे लेते हैं यह आप ही तो कह रहे थे। मैं ही नहीं कहता, आप भी कहते हैं मौका आता है तब। मौके हैं सत्ता के आपके पास, इसलिये पैसा वसूल करते हैं।

तो, मैं नीति की बात कह रहा था, आपको एक नीति निर्धारित करनी पड़ेगी। आप निश्चित् समाजवाद की निति पर चलना चाहते हैं तो आपको अपना लक्ष्य बनाना

(श्री मुरलीधर व्यास)

पड़ेगा, अपनी नीति निर्धारित करनी होगी ।

हम पिछड़े हैं, आप भी मानते हैं, केन्द्रीय स्तर पर जब पैसे लेने की बात आती है तब । पर जब टैक्स लगाने की बात करते हैं तब आप ध्यान नहीं रखते कि पिछड़े इलाके में हम फिर कैसे टैक्स लगायें । केन्द्रीय सरकार को आपको कहना चाहिये कि वह विशेष मदद करें । टैक्स लगाने की यह नीति रखेंगे तो मैं नहीं समझता कोई लाभ होने वाला है ।

फिर एक बात और है, दो योजना तक तो आप कह सकते थे । पहली योजना पर कहा कि इतना पैसा दो, इससे नहरें आवेंगी, बिजली होगी, पांच साल में हम लोगों का जीवन स्तर ऊंचा कर देंगे । पहली योजना में इस तरह आपने कोई ४०० करोड़ खर्च किया । दूसरी योजना में ४८०० खर्च किया । तीसरी में और भी ऊंचा जाना चाहते हैं । आपने दो योजनाओं में इतना खर्च किया और इस बहाने वोट लिये कि जनता देगी तो उसका लाभ उसको मिलेगा । पर दो योजना के बाद भी आज आप वही रुपया मांग रहे हो उससे और भी । मैं पूछता हूँ आपने जनता को इन दो योजनाओं के बदले दिया क्या ? आप कह सकते हैं इतनी नहरें बनाई, इतनी सड़कें बनाई । मैं पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा काम किसने किया, नहरें कौन लाया । बीकानेर में गंग नहर आई, हिन्दुस्तान में इसके मुकाबले में कोई नहर नहीं है । आप बतला दीजिये हो तो, अगर उसके मुकाबले की पक्की नहर हो तो । जिस वक्त वह राज्य राजस्थान में मर्ज हुआ पांच करोड़ रुपया सरप्लस का देता था । कर्जदार नहीं था । पर बाद में देखते हैं आज हम चार सौ करोड़ के तो कर्जदार हो गये हैं पर आखिर में हमें मिला क्या है ? हालत तो आपने यह कर दी । हालत तो सुधरी नहीं, और रुपया ऊपर से मांगते जा रहे है । दूसरी ओर आप तुलना करते हैं तो वह तुलना नहीं बैठती । एक गंग नहर निकाल कर उसका खर्चा पूरा करके पांच करोड़ रुपया बचाया । आपकी नीति कुछ समझ में नहीं आती । आश्चर्य यह है कि आप कहते हैं तुलना मत करिये । पहले भी लोगों से पैसा लिया गया था, टैक्स लगाया गया था । पर कम हुआ है । उनकी एक नीति थी । गंगानगर में बैटरमेंट लेवी भी लगी । पर वह लगी १८) जहां आपने आज २६०) तक लगाई है । फिर भी घाटा ही घाटा दिखा रहे हैं, तीसरी योजना आ गई तब तक भी मांग रहे हैं आप पैसा, और कर्जदार हैं सो अलग । आप और नहर ले आये, ठीक है, पर मैं पूछता हूँ आपने किसानों को दिया क्या ? बैटरमेन्ट लेवी हैवी से हैवी आपने किसान से ली, टैक्स उससे लिया, अब दूसरी चीज भी किसान से ले रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूँ, आप दे रहे हैं उससे ज्यादा तो टैक्स लोगों से ले रहे हैं ।

तो इसलिये पूछता हूँ कि आप इस स्थिति पर विचार करें और इसके साथ ही यह कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की दो योजनाएं समाप्त हो गई अब तो यह होना चाहिये था कि दो योजनाओं के प्रोडक्शन से उसकी आमदनी से तीसरी योजना बनाते ।

यह योजना तो नहीं बनाई । जहां हमने अरबों रुपया खर्च कर दिया और उसके बाद

Page No.58

(श्री मुरलीधर व्यास)

में भी आप हमारे ऊपर टैक्स लगाते रहें तो उससे हो सकता है कि एक दो दफा आपकी बात को मानते रहें लेकिन आने वाला जमाना आपकी बात को नहीं मानेगा। आपको अपनी टैक्स की नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जो कर हैं, चाहे वह मनोरंजन कर हो, मैंने इसके सम्बन्ध में गत समय भी कहा था कि इन करों में इतनी चोरी होती है और जो इनसे वसूल करना चाहते हैं उससे चौगुना तो चोरी में चला जाता है। टिकट ठीक ढंग से नहीं होते। जो सरकारी टिकटें लगती हैं वे ठीक तरह से नहीं लगाई जाती हैं। मैं कहूँ कि जहां एक पैसे या दो पैसे की टिकट लगाई गई है वहां पर १० नये पैसे की टिकट लगानी चाहिए थी। आपने जिन आदमियों को चोरी पकड़ने के लिए रखा हुआ है वे भी चोरी कर लें तो फिर उस कर की वसूली कैसे ठीक प्रकार से हो सकती है? क्योंकि आपको तो पैसा चाहिए इसलिए ठीक है कि जो सिनेमा देखने जाता है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। पर यह टैक्स किसके ऊपर लगता है? यह हर व्यक्ति के ऊपर लगता है। पहले तो जिन तरीकों से चोरियां होती हैं आप उनको रोकिये। पहले यहां विधान सभा में सवाल आया था कि बीकानेर का गंगा थियेटर है उसको सरकार ने लीज़ पर दे दिया। उसको जिसने लीज़ पर लिया वह उसको इसलिए नहीं चलाता है कि दूसरे जो वहां पर और दो थियेटर हैं उनका भी मालिक वही है जिसने कि वह गंगा थियेटर लीज़ पर लिया है। अगर कोई तीसरा आदमी उस थियेटर को लेता तो कम्पीटीशन होता और उसको नुकसान होता इसलिए उसने अपने नुकसान को बचाने के लिए तीसरा थियेटर भी ले लिया और उसको चलाता नहीं है और वह चलाता इसलिए नहीं है कि अगर कोई तीसरा आदमी आ जाता तो कम्पीटीशन होता और उसको नुकसान होता। वह सरकार को पैसा दे देता है। जब बहुत ज्यादा आवाज उठाते हैं तो उसका किराया मात्र दे देता है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तीन साल से वह थियेटर बराबर चलता तो कम से कम मनोरंजन कर की बहुत ज्यादा आमदनी हो जाती।

तो मनोरंजन कर को ही किस तरह से ठीक तरह से वसूल कर सकते हैं और किस प्रकार से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं उसके संबंध में विचार करके इसके लिए कोई व्यवस्थित तरीका निकालना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यह मनोरंजन कर अकेला इतना है कि जिससे आपकी काफी आमदनी हो सकती है। परन्तु आज ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से मोटर टैक्स को आप बढ़ाते जाइये। मुझे मालूम है कि आपने एक दफा बीकानेर से जयपुर सरकारी ट्रान्सपोर्ट बस चलाई और वह बन्द हो गई। वह बस चलती थी उसमें जितने भी यात्री आते जाते थे उनका किराया भी जेबों में जाता था और टैक्स भी जाता था। बीकानेर से यहां आने में कभी तो बस में ७ यात्री बताये, कभी १५ बताये, कभी दो बताये। इस प्रकार से बीकानेर से जयपुर आने में दो यात्री और ७ यात्री बताये गये। आपको आखिर बस बन्द करनी पड़ी। उनमें हालांकि लोग तो ४०-५० बैठकर आये, यात्रियों को रास्ते में भी बैठाते थे लेकिन न तो सरकार के पास

(श्री मुरलीधर व्यास)

किराये का ही पैसा आया और न ही टैक्स का पैसा आया । नतीजा यह होता है कि आपकी लापरवाही से जो टैक्स लगाते हैं उनका लाभ किसको मिलता है । उसका लाभ काम के संचालक को मिलता है और उसका बोझा आप जनता के ऊपर आप डालते हैं । आपको चूंकि पैसे वसूल करने के अधिकार विधान सभा ने दिये हैं तो ठीक तरह से वसूली करने के रास्ते तो आप अपनायें । परन्तु वे रास्ते आपके पास नहीं हैं । जितनी भी मोटरें राजस्थान सरकार की तरफ से चली हैं सबकी व्यवस्था इसी प्रकार से है । उनमें किस प्रकार के टिकट होने चाहिए, उनका चैकिंग किस तरह होना चाहिए इसकी व्यवस्था तक आपके पास पूरी नहीं है । टिकटों के नम्बर तक बदल देते हैं, किताबें बदल देते हैं और नतीजा यह होता है कि उसका लाभ हमको नहीं मिलता ।

आप अनाज के बारे में कहते हैं । कितना माल बाहर जाता है । चुपचाप ट्रकों में आता है और ट्रकों से चला जाता है । आपके पास कोई चैकपोस्ट नहीं हैं । आप चैकपोस्ट हर जगह रखें तो उससे ही बहुत कुछ लाभ मिल सकता है । परन्तु इस तरह की व्यवस्था तो आप करते नहीं है । आप हमारे इस सारे ढांचे को बदलें और इतना मजबूत और इतना अच्छा बनायें कि जिससे हमारे करों की ठीक तरह से वसूली हो । परन्तु होता यह है कि पैसे वालों के पास पैसा जाता है और गरीबों से लिया जाता है । केन्द्रीय सरकार कोई टैक्स लगायेगी, सेल्स टैक्स लगायेगी तो उसका पहले फायदा माल बनाने वाले लेते हैं । क्या होता है कि जब उस माल को निकालते हैं तो इस प्रकार से बिक्री दिखा देते है और वह माल इधर से उधर चला जाता है और टैक्स भी ज्यादा लेते हैं और वह टैक्स सरकार के खजाने में भी नहीं आता है । मैं कहता हूँ कि राज्य सरकार चैक पोस्ट बैठाये और दूसरे जिन लोगों के पास हिसाब है जो लोग हिसाब रखते हैं उन्होंने कौन कौन सा माल बाहर से मंगाया था यह देखें । वह जो माल बाहर से मंगाता है जहां तक रेल्वे का सवाल है तो उसकी बिल्टी होती है उससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि इतना इतना माल बाहर से उसके यहां आया और फिर उसके ऊपर टैक्स लगाया जाये । ऐसे न जाने कितना माल आता है और चला जाता है । अगर आने वाले माल की चैकिंग आपके पास हो और कितना माल आया कब आया, उसकी चैकिंग रखें तो उससे आपको लाभ लाखों रुपये का हो सकता है । मैं कहना चाहता हूँ कि बिक्री कर के मामले में क्योंकि यह बिल्कुल इनडाइरेक्ट टैक्स भिखारी से लेकर बड़े से बड़े आदमी के ऊपर पड़ता है तो ऐसे टैक्स नहीं बढ़ाने चाहिए बल्कि उनमें कमी करनी चाहिए जिससे नीचे वालों को कुछ लाभ मिले । अगर नीचे वालों को ऊंचा उठाने का कोई रास्ता है तो यही है कि आप अनाज के भाव पर नियंत्रण रखें और कर उसको कम देना पड़े और तीसरे जो उसका वित्तीय स्तर है उसको ठीक तरह से व्यवस्थित कर सकें तब तो नीचे का आदमी ऊपर उठ सकता है और वह जी सकता है, नहीं तो नीचे वाला आदमी किसी तरह नहीं जी सकता । इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जहां तक सेल्स टैक्स का सवाल है आपने जो तरीका अख्तियार कर रखा है वह वैज्ञानिक होना चाहिए ।

(श्री मुरलीधर व्यास)

वर्तमान तरीके में परिवर्तन करना चाहिए। आप कहेंगे कि हमने अनाज के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया। मैं मानता हूँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर लाइसेन्स लेने में आपको छूट मिल जायेगी। परन्तु आपने क्या किया कि जो आपने ६ तारीख को इस साल का बजट रखा तो आपने यह किया कि अनाज के व्यापारियों से १० रुपये के हिसाब से लाइसेन्स के वसूल कर लिए और वह लाखों रुपया वसूल कर लिया....

डॉ० बहादुरसिंह : वह हजारों रुपये कमता है तो १० रुपये देता है तो क्या हर्ज है ?

श्री मुरलीधर व्यास : गांव वाले हैं, थोड़ा बहुत धंधा करते हैं। यह तो नीति का सवाल है। हजारों कमाते हैं तो क्या सरकार अपनी नीति को छोटे व्यापारियों के लिए छोड़ दे। ६ मार्च के पहले मान लीजिए कि किसी ने लाइसेन्स लिया तो फिर ६ तारीख के बाद फिर दूसरी साल का लाइसेन्स शुरू हुआ और फिर १० रुपये देने पड़े; अगर गांव में कोई थोड़ा बहुत धंधा कोई व्यापारी करता है तो उसका भी।

इस प्रकार के लाइसेन्स लेने की आपने व्यवस्था रखी है। कम से कम नीति संगत करना था, कर लगाते समय। इस प्रकार की व्यवस्था यह हो जाय कि १० या १५ दिन बाद की तारीख से लागू होगी थोड़ी सी सरकार नैतिक दृष्टिकोण से शुरू करती और उस नैतिकता के दृष्टिकोण से सरकार कहां तक जाती है। आपने बजट पास कर लिया लेकिन गांव के आदमी को क्या पता चले कि इस प्रकार से नये कर लगा रहे हैं और इसके लिए लाइसेन्स लेना जरूरी हैं। गांव में बैठे बैठे वह लाइसेन्स नहीं ले सकता है। नहीं लेगा तो नतीजा क्या होगा कि गांव में आपके इन्सपेक्टर लोग पहुंचेंगे और उससे कहेंगे कि आपके बही खाते बताओ, हिसाब बताओ, इतने दिनों का क्या क्या टर्न ओवर है। उससे पूछेंगे कि लाइसेन्स क्यों नहीं लिया ? लाइसेन्स लेना होगा। अब क्या होगा ? भ्रष्टाचार चलेगा। हर गांव के अन्दर चलेगा उस तरह से जगह जगह पर चलेगा। आपका इन्सपेक्टर सरकार की छोटी सी गलती के कारण गांव के हजारों लोगों को इस प्रकार से तकलीफ देगा। परन्तु टैक्स के रूप में ऐसा किया जाय यह नीति के रूप में अच्छी बात नजर नहीं आती है। केन्द्रीय सरकार भी टैक्स लगाती है तो गजट में शाया करती है कि यह टैक्स इस तारीख से लागू होगा। इतने दिनों से इस प्रकार से लागू होगा। इस प्रकार से गजट में घोषणा करते हैं कि राज्य सरकार का कौन से टैक्स का किस नागरिक पर किस किस प्रकार का असर होगा व किस तारीख से लागू होगा। इसमें कितनी दिक्कत छोटे छोटे दूकानदारों को होती है, चाहे और किसी पर होती हो, वह किस प्रकार से होगा, उसके बारे में कतई सूचना नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : There is no quorum, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Can I seek the help of Hon'ble Whip in this connection ?

(गणपूरक घंटी के पश्चात्)

श्री मुरलीधर व्यास : तो मैं मन्त्री महोदय से, खास करके यह जो इस प्रकार के लाइसेन्स की जो व्यवस्था है और यह १५ दिन के अन्दर दो दफा लाइसेन्स लेना पड़ेगा तो इस बात से हर गांव में दिक्कत होगी और इसके साथ साथ इन्सपेक्टर लोगों की ऊपर से हेरेस करने की स्थिति होगी, उसके बारे में निवेदन करूंगा कि स्वयं मन्त्रीजी विचार करेंगे और इस मामले में विचार करके निश्चित नीति में कोई न कोई परिवर्तन करेंगे।

दूसरा जो यह सवाल है खास करके इसी के अन्तर्गत यह भी हमने माना है कि गांवों में कुछ अधिकार पंचायतों को सरकार ने पहले दिये हुए थे, परन्तु इस अधिकार के अन्तर्गत मेले के ऊपर इस प्रकार से कर लगाने का अधिकार दिया है। अब इसके अन्तर्गत यहां तक भी दे दिया है कि प्राथमिक शिक्षा के ऊपर भी सेल्स टैक्स लगायेगें। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि नीति के दृष्टिकोण से प्राथमिक पाठशालाओं पर किसी प्रकार का अगर कर लगायेंगे गांव में तो यह................

श्री पी० के० चौधरी : यह कहां है ? इसमें नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : फाइनेन्स बिल के अन्दर है। अधिकार दिया है पंचायत एक्ट के मातहत। तो उसमें तृतीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐसा निश्चय किया गया है सरकार द्वारा कि हम इतने बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देंगे और अनिवार्य शिक्षा हमारे राज्य के अन्दर लागू करेंगे। एक ओर जहां अनिवार्य शिक्षा लागू होती है और दूसरी ओर इस नीति को मान्य करते हैं इस बात का अधिकार देते हैं तो नतीजा क्या होगा कि संघर्ष होगा। वे कहेंगे कि हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं। गांवों में छोटी छोटी सी बात के लिए, दो, दो पैसों के लिए लोग बात सोचते हैं तो गांव वालों के अन्दर अगर यह लगा दिया गया शिक्षा के अन्दर तो अनिवार्य शिक्षा हम चाहते हैं उसमें बाधा पड़ेगी........

श्री पी. के. चौधरी : This is not in this Finance Bill. This is in the Panchayat Act which has already been passed.

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं, पास तो हुआ है लेकिन............

श्री पी० के० चौधरी : It is not in this Finance Bill.

श्री मुरलीधर व्यास : उसमें जो है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का अधिकार रखा है। इसका नतीजा यह होगा कि जो अनिवार्य रूप से शिक्षा देना चाहते हैं, उस अनिवार्य शिक्षा में बहुत भारी बाधा पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इससे आमदनी तो होगी नहीं। इसलिए इस प्रकार के अधिकार पंचायत समितियों को न दें, ये अगर दे दिये गये हैं तो उनका दुरुपयोग होगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी (पृथक राजस्व मन्त्री) : किस विषय पर कहना चाहते हैं, मैं

Page No.62

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

समझा नहीं। सरचार्ज टैक्स स्टाम्प ड्यूटी का पहले पंचायतों के हाथ में अधिकार दिया गया था कि स्टाम्प्स पर सरचार्ज लगाया जाय। वह गवर्नमेंट ने लगा दिया है इसलिए वापिस ले लिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार चाहे तो दे सकती है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : सरचार्ज का अधिकार था एक्ट में उसको वापिस लिया है, दिया नहीं।

श्री पी॰ के॰ चौधरी : माननीय सदस्य ने समझा नहीं है।

डॉ बहादुरसिंह : दूसरे की आलोचना में भूल गये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : हिन्दी में जो ट्रान्सलेशन है उसका यह मतलब निकलता है।

श्री पी॰ के॰ चौधरी : This is an extract of the old Act. It is not in the Finance Bill.

श्री उपाध्यक्ष : You proceed with the other points of the debate.

श्री मुरलीधर व्यास : उसमें इस तारीख से है। पंचायत समिति को अधिकार दिया है। सरकार चाहे तो दिया जाय।

श्री पी. के. चौधरी : वह ऑलरेडी है। In the Panchayat Act they have got this. It is not a new imposition. It is already there.

श्री मुरलीधर व्यास : मगर है तो इस प्रकार का है, तो योजना के अन्तर्गत........

श्री पी. के. चौधरी : That Bill was passed unanimously by this House, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Please proceed.

श्री मुरलीधर व्यास : पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में उसके अन्तर्गत होने वाले पंचायत समिति के मेले के बारे में करे। प्राथमिक शिक्षा पर यह सेस........

श्री पी. के. चौधरी : वह सब पास किया हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो बात यह है कि फाइनेन्स बिल........

श्री पी॰ के॰ चौधरी : आपने युनेनीमिसली पास किया है।

श्री मुरलीधर व्यास : कौन कहता है कि पास किया है।

श्री उपाध्यक्ष : The point is we cannot discuss the provisions of an Act which has been passed already by this House. You cannot seek any help from them.

श्री मुरलीधर व्यास : इसके अन्दर फाइनेन्स बिल के साथ में उसको दिया गया है।

Page No.63

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस बात को रखा था और उसी बात को दोहराना इसलिए चाहता हूं क्योंकि यह योजना के अन्तर्गत था। अगर इस प्रकार का प्रावधान है और मंत्री महोदय कहते हैं कि नहीं है, हटा लिया है तो बड़ी खुशी की बात है, और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कम से कम टैक्स के बारे में जो डबल नीति अख्त्यार की है और इसी प्रकार से लाइसेन्स के सम्बन्ध में है जहां दिक्कत हर आदमी के ऊपर पड़ती है, इसके ऊपर विचार करेंगे और दो दफा लाइसेन्स लेने की नीति है इसको हर हालत में हटायेंगे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले जो कन्फ्यूजन माननीय सदस्य के यहां पर कहने से हुआ है उस सम्बन्ध में एक क्लेरिफिकेशन देना चाहूंगा। यह जो फाइनेन्स बिल के साथ में उसका एक्स्ट्रेक्ट जुड़ा हुआ है, पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट का एक्स्ट्रेक्ट इसमें जोड़ा गया है उसमें पंचायत समिति और जिला परिषद् को अधिकार दिया गया है कि वह एज्यूकेशन सेस लगा सकती है........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि हटा लिया है।

श्री पी. के. चौधरी : मन्त्री महोदय ने कहा है वह भी ठीक नहीं है। वे भी समझे नहीं हैं। उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी एक्ट का समझा है।

(माननीय मंत्री के खड़े होने पर)

am explaining.

जो इम्मूवेबल प्रोपर्टी ट्रान्सफर के लिए सरचार्ज अधिकार पंचायत समिति को दिये थे वे अधिकार पंचायत समिति लेकर स्टेट गवर्नमेंट अब लगायेगी, यह हटाया है।

श्री रामचन्द्र चौधरी (पृथक राजस्व मंत्री) : That is what I said.

श्री पी. के. चौधरी : जैसा कि माननीय सदस्य ने धन्यवाद दिया है इस बात का कि उन्होंने एज्यूकेशन सेस वगैरह हटा लिया है, यह बात गलत है। एज्यूकेशन सेस नहीं हटाया है।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद वापिस ले लीजिये।

(विराम)

श्री पी. के. चौधरी : इस फाइनेन्स बिल के जरिये से कोई एज्यूकेशन सेस नहीं लगाया जा रहा है। जो पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट, जिसको हमने इस सदन में यूनेनीमसली पास किया था, उसमें हमने पंचायत समिति को अधिकार दिया था कि....

श्री मुरलीधर व्यास : बहुमत से पास हुआ है, युनेनीमसली नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : रेकॉर्ड देख लेंगे........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : It is also irrelevant what he is talking.

श्री उपाध्यक्ष : What is irrelevant ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: His talking of cess about education. It is irrelevant.

श्री उपाध्यक्ष : Some irrelevant things are allowed just to give an explanation of the facts that have passed.

(२. म. प.)

श्री पी. के. चौधरी : मेरा कहना ठीक था। इर्रिलेवेन्ट नहीं था। दो माननीय सदस्यों, एक बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरे सीकर से आने वाले माननीय सदस्य, के भाषण मे ऐसा मालूम हुआ कि सरकार एज्यूकेशन सेस लगा रही है। मैं उनका निराकरण कर रहा हूँ कि सरकार एज्यूकेशन सेस नहीं लगा रही है। उन्होंने शायद इसको पढ़ा नही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर हुई चर्चा के दौरान में माननीय सदस्यों ने इन्डाइरेक्ट टैक्स लगाने के सम्बन्ध में ऐतराज किया है और कहा कि इन्डाइरेक्ट टैक्स नही लगने चाहिये। मैं एक बात कहना चाहता हूँ डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट टैक्सेज के स्कोप के सम्बन्ध में और वह यह कि स्टेट गवर्नमेंट इन्डाइरेक्ट टैक्स नहीं लगावे तो डाइरेक्ट टैक्स इन्कम टैक्स वगैरह हैं उनको लगाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है। नहीं तो इसका मतलब यह होगा कि या तो इन्डाइरेक्ट टैक्स लगालें या आमदनी अथवा रिसोर्सेज का जरिया बन्द कर दें। तो आज का जो ढांचा है उसको युनिटरी गवर्नमेंट के अन्दर ले लें जो सेन्टर में होता है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है इन्कम टैक्स वगैरह लगाने का और स्टेट को टैक्स लगाने का कोई जरिया नहीं है। अब स्टेट के पास इन्डाइरेक्ट टैक्स लगाने के अलावा और कोई जरिया नहीं है जो कि डाइरेक्ट टैक्सेज़ से आमदनी का जरिया कर सकें, रिसोर्सेज कर सकें।

अब सवाल आता है और देश में चर्चा भी होती है इस बात की कि इन्डाइरेक्ट टैक्सेज समाज के हरेक सेक्शन को हिट करते हैं और जो पूवर सेक्शन्स हैं उनको सबसे ज्यादा हिट करते हैं और डाइरेक्ट टैक्स सिलेक्टिव तरीके से हो सकते हैं जो पैसेवालों पर इम्पोज कर सकते हैं। यह बात सही है कि डाइरेक्ट टैक्सेज से इन्सिडेन्स ऑफ टैक्सेशन पर्टिकुलर सोसाइटी पर असर करता है। डाइरेक्ट टैक्सेज पर कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का नहीं रहता है लेकिन इन्डाइरेक्ट टेक्सेज का इन्सिडेन्स ब्रॉड स्प्रेड होता है, चारों तरफ से असर होगा।

अब सवाल यह आता है कि जब इन्डाइरेक्ट टैक्सेज का इन्सिडेन्स वाइडर है, समाज के हर आदमी पर पड़ता है तो क्या इन्डाइरेक्ट टैक्सेज इम्पोज नहीं करें ? और यदि नहीं करें तो रिसोर्सेज इकट्ठे करने के लिए, या धन इकट्ठा करने के लिए, विकास के काम के लिए जरिया क्या हो सकता है; इस सम्बन्ध में कोई सुझाव नही देते हैं। देश में समाचार पत्र भी यह सुझाव देते हैं कि इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन नहीं होना चाहिये

(श्री पी. के. चौधरी)

मैं भी यह राय रखता हूँ कि नहीं लगना चाहिये लेकिन इसका तरीका कोई नहीं बताता है कि उसके बजाय क्या करना चाहिये । डाइरेक्ट टैक्सेज़ हैं वे पर्टिकुलर इन्कम ग्रुप पर जाते हैं और रुपये में १५ आने डाइरेक्ट टैक्सेज़ से ले लिए जाते हैं। अब जिनसे रुपये में १५ आना ले लेते हैं या एक रुपिया ही पूरा ले लें तो फिर जो इन्वेस्टमैंट वर्क है या उसको जो इन्वेस्टमैन्ट करना पड़ेगा, इन्डस्ट्रीज़ में जो प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें इन्वेस्टमैन्ट करने के लिए कम से कम इतना इन्सेन्टिव रह जाय कि जो केपिटल उसके पास है उसको इन्वेस्ट कर सके डेवलपमेन्ट वर्क पर, इन्डस्ट्री बिल्ड-अप कर सके। तो डाइरेक्ट टैक्स की लिमिट होती है उस लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। उन पर इन्कम टैक्स लगाया, फिर वेल्थ टैक्स लगाया, फिर उन पर डेथ ड्यूटी लगाई, फिर एक्सपेन्डिचर टैक्स लगाया। जो आदमी रिचर सोसाइटी में है उसका हर प्रकार का खर्चा होती है उस पर टैक्स लगाया गया, कुल इकट्ठी सम्पत्ति है उस पर लगायी, वह मर जाता है और उसके बाद जो सम्पत्ति छोड़ जाता है उसका करीब आधा हिस्सा ले लेते हैं यह भी एक प्रकार का टैक्स है और एक पर्टिकुलर लेवल पर डाइरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है वह स्लाइडिंग स्केल में है। जैसे जैसे इन्कम बढ़ेगी वैसे-वैसे ले सकते हैं।

अब सवाल यह हो सकता है कि जितनी प्राइवेट प्रोपर्टी है उसको एबोलिश करदें और जितना धन जिसके पास है उससे ले लें, एक्वायर कर लें तो उसके बाद टैक्स लगाने का सवाल नहीं रहता है। प्राइवेट प्रोपर्टी ही नहीं रहेगी तो टैक्स का भार कैसे रहेगा। हमारे माननीय सदस्य प्रजा सोशलिस्ट हैं फिर तो सोशलिस्ट स्टेट बना दें। लेकिन ऐसी स्टेट में हम देखते हैं कि वहां टैक्स तो नहीं लगते हैं लेकिन फोर्स्ड लेबर होगी और इन्डिविजुअल इन्सेन्टिव को खराब कर देते हैं। स्टेट कन्ट्रोल इन्डस्ट्री पर होता है। हम भी यह चाहते हैं कि स्टेट कन्ट्रोल इन्डस्ट्रीज़ पर हो लेकिन यह भी महसूस करते हैं कि स्टेट कन्ट्रोल हो जाने के बाद इन्डिविजुअल इन्सेन्टिव नहीं रहता है इसलिए उसका दायरा अलग कर दिया है। जो बेसिक इन्डस्ट्रीज़ हैं वे गवर्नमेन्ट की तरफ से पब्लिक सेक्टर में चलेंगी जिनसे इन्कम भी बढ़ेगी। लेकिन बेसिक इन्डस्ट्रीज़ के अलावा छोटी छोटी या मीडियम स्केल की दूसरी इन्डस्ट्रीज़ हैं या दूसरी हैं उनको देश में प्रोत्साहन देना चाहते हैं, उनका प्रसार करना चाहते हैं उनके लिये यह जरूरी होता है कि उनमें इनिशियेटिव कौन ले और कौन उनको चलावे। उनको वे ही लोग चला सकते है जिनके पास पैसा होता है लेकिन वैसे वाला क्यों इन्सेन्टिव ले जो यदि आप रुपये में से १५ आने ले लें या रुपया का रुपया टैक्सेज़ के रूप में ले लें और उसके पास कुछ भी नहीं छोड़े। तो जो डाइरेक्ट टैक्सेज़ हैं वे इसलिए हैं कि उनको इन्सेन्टिव रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग ले सकें इसलिए डाइरेक्ट टैक्सेशन किया है।

अब सवाल यह आता है कि देश के विकास के लिये इन्कम की जरूरत है और सौ में से १५ व्यक्ति भी नहीं होंगे जो इन्कम

(श्री वी. के. चौधरी)

टैक्स पे करते हैं । बाकी लार्ज मेजोरिटी ऑफ दि पीपल हैं वे नहीं करते तो क्या केवल १५ पर्सेन्ट से ही इन्कम ले सकते हैं और बाकी को खैरात करेंगे या दान करेंगे ? मैं समझता हूँ, यह उचित नहीं है । देश के विकास के लिये, चाहे गरीब आदमी हो चाहे कैसी भी स्थिति का आदमी हो, सबका कन्ट्रीब्यूशन होना चाहिये । मिसाल के तौर पर निवेदन करूंगा कि जैसे एक स्कूल है, सरकार की ओर से चलती है, लेकिन लोग महसूस करें कि यह जो स्कूल चलती है वह सरकार की तरफ से दान या खैरात से चलती हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे पैसों से यह स्कूल चलता है तो ८०-८५ पर्सेन्ट पोपुलेशन में यह फीलिंग पैदा करने के लिए कि they are actually contributing in building this country देश के विकास में या देश के निर्माण के लिए वे अपना हिस्सा शक्ति के अनुसार देते हैं, इस भावना को पैदा करने के लिए भी यह जरूरी है कि इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ हों । यह सिर्फ रिसोर्सेज़ के लिए ही नहीं है ।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको मिसाल के जरिये बताऊंगा कि पंचायतों में या पंचायत समितियों में जो विकास कार्य सरकार की ग्रान्ट से, अनुदान से या सब्सिडी से कराते हैं उसमें हमने देखा है कि गांव के लोगों को इतना इन्ट्रेस्ट या दिलचस्पी नहीं रहती है । लेकिन जहां पंचायत की तरफ से टैक्स वसूल किया जाता है और काम कराया जाता है उसके एग्ज़ीक्यूशन में गांव का एक एक आदमी इन्ट्रेस्ट लेता है । सब लोग उसके ऊपर चैक रखते हैं कि काम हो रहा है या नहीं, काम की क्या तरक्की हो रही है ? काम की प्रोग्रेस क्या हो रही है । लेकिन जो विकास डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रान्ट से काम हो जाते हैं, अनुदान से काम हो जाते हैं, उनमें आम आदमी, गांव की पब्लिक की दिलचस्पी या इन्ट्रेस्ट नहीं रहता है । यही कारण है कि हम people's initiative या people's participation के लिए कहते हैं और विकास कामों में people's initiative लाने के लिए हमने डीसेन्ट्रलाइज़ेशन किया । इस डीसेन्ट्रलाइज़ेशन में एक फ्री फंड रखा । उसको रखने का मतलब क्या था ? सरकार की जितनी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स में ५० पर्सेन्ट, ७५ पर्सेन्ट गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान मिलता है लेकिन फ्री फंड में जो पैसा दिया है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से ४० पर्सेन्ट मिलता है और ६० पर्सेन्ट गांव के लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है । चाहे पंचायत समिति उसको चन्दे के द्वारा इकट्ठा करे, चाहे पंचायत समिति टैक्स इम्पोज़ करके करे । यह फ्री फंड का प्रावधान रखा है, वह इसलिए रखा है that the people should feel that they are contributing more than something in this particular work.

तो इसलिए यह जो इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन है, इसके द्वारा सरकार की तरफ से धन इकट्ठा किया जा रहा है यही नहीं है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वह यह है कि लोग महसूस करें कि विकास के कामों में धन वे लोग दे रहे हैं ।

दूसरी बात इसमें यह है कि indirect taxation से जब लोग महसूस करेंगे कि विकास के कामों के लिए सरकार को पैसा

(श्री पी. के. चौधरी)

दिया है तो सरकार के ऊपर निगरानी रखते हैं। कोई टैक्स इम्पोज़ किया, मान लीजिये एज्युकेशन सेस है, पंचायत समिति एज्यूकेशन सेस इम्पोज़ करती है, उसके बाद पंचायत समिति स्कूल न खोले तो सरपंच या प्रधान का गांव में ठहरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन टैक्स इम्पोज़ न करके गवर्नमेंट से अनुदान मिल जाय और फिर वे स्कूल न खोलें, तो उसकी चर्चा नही होती है। तो गवर्नमेंट जब टैक्स इम्पोज़ करती है, तो उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट को सचेत रहना पड़ता है और टैक्स के पैसे को काम में लाना पड़ता है और लोगों के दिमाग में वह धारणा बनानी पड़ती है कि जो टैक्स बढ़ा है वह विकास के काम के लिए बढ़ा है और वह काम होता है या नहीं, इसके ऊपर लोगों की दिलचस्पी रहती है। अगर वह काम नहीं होता है तो उसकी समालोचना होती है, इस सदन में समालोचना होती है, अखबारों में समालोचना होती हैं, सभा-मीटिंग में समालोचना करते है। तो इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन के दो पर्पज़ हैं, एक पर्पज़ है कि लोगों में यह भावना पैदा करनी है that they are contributing something. दूसरा पर्पज़ है कि स्टेट के लिए कोई जरिया नहीं कि डाइरेक्ट टैक्सेज़ लगा सके, ऐसा कोई साधन नहीं कि स्टेट डाइरेक्ट टैक्स वसूल कर सके। तो अगर सदन यह चाहे कि इनडाइरेक्ट टैक्सेज़ के बजाय डाइरेक्ट टैक्सेज़ वसूल करने चाहिए तो फिर तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट को एबोलिश कर दे और स्टेट स्वयंभू हो जाय और टैक्स वसूल करे। इसलिए टैक्स इम्पोज़ करने के लिए क्रिटिसाइज़ करना, समालोचना करना, टीका करना एक बात है और किस प्रकार उस काम को करना है उसके लिए सुझाव देना दूसरी बात है। आज मैं कह सकता हूँ चाहे अपोज़ीशन का व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो, उसके पास गवर्नमेंट आती तो गवर्नमेंट को किस तरह से चलाते।

आज तक, उपाध्यक्ष महोदय, एक धारणा हमारे दिमाग में काम कर रही है कि हमने वेलफेयर स्टेट का काम स्वतंत्रता आने के बाद शुरू किया है। लेकिन हमारे स्टेट का कन्सेप्शन आज तक चल रहा है वह पुलिस स्टेट का कन्सेप्शन चल रहा है, पुलिस स्टेट में सरकार को विकास करने का काम नहीं करना पड़ता, लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करके सरकार निश्चिन्त बैठी रहती है। लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने के लिए गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं रहती, जो लैंड रेवेन्यू से पैसा आता था, उससे काम चलता था लेकिन वेलफेअर स्टेट के लिए पैसे की जरूरत है। अब यहां टैक्सेशन के लिए कहते हैं कि इससे गरीबों के ऊपर भी असर पड़ता है। लेकिन यह पैसा लेकर उसके काम में सरकार इनवेस्ट नहीं करती है, दूसरे स्थानों में पैसा कमाने के लिए या जो धनी लोग हैं, या पैसे वाले लोग हैं, उनका पैसा अधिक बढ़ाने के लिए पैसे का उपयोग नहीं होता है। वह पैसा लेकर फिर उसी सेक्टर के लिए, जो कि समाज का दलित वर्ग है या समाज का जो दबा हुआ वर्ग है; ऑप्रेस्ड सेक्टर है, उस सेक्टर की वेलफेअर के लिए चाहे एज्यूकेशन के जरिये, चाहे हेल्थ सर्विसेज़ के जरिये, चाहे किसी प्रकार से खर्च होता है।

एक बात माननीय सदस्य ने कही, मैं

(श्री पी. के. चौधरी)

एक दृष्टि बिन्दु रखना चाहता हूँ कि किसी देश के लोगों की खुशहाली, उन पर ज्यादा टैक्स इम्पोज होते हैं या कम होते हैं, इससे तय नहीं होती है, किसी देश का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग वहां के लोगों पर ज्यादा कर भार है या कम कर भार है, लैस इन्सीडेंस ऑफ टैक्स है, या मोर इन्सीडेन्स ऑफ टैक्स है, इससे देश के जीवन स्तर का निर्धारण नहीं होता है, उनके जीवन-स्तर का निर्धारण होता हैं बाई देअर इन्कम । उस देश की एवरेज इन्कम क्या है, उससे उस देश के लोगों के जीवन स्तर का निर्धारण होता है और एवरेज इन्कम जो है, वह टैक्सेशन से नही होता है, एवरेज इन्कम जो है, वह देश की इन्डस्ट्रियल एक्टीविटीज़, इकोनामिक एक्टीविटीज जिसको कहते हैं, उनसे होता है। जिस देश में जितनी ज्यादा इकोनामिक एक्टीविटीज़ हैं, उस देश का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग उतना ज्यादा बढ़ता है । तो उसका फैसला टैक्स से नहीं होता है, ज्यादा कर हो गये तो ज्यादा गरीब हो गये, यह बात नहीं है। टैक्स कितने भी हों, मान लीजिये, एक रुपया टैक्स लगता है, उसकी जगह पांच रुपया टैक्स लग जाय, लेकिन जो इन्कम है वह ५० रुपये से बढ़ कर २०० रुपये हो जाती है तो यह टैक्स भार नहीं होता है, बल्कि यह स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग ऊपर उठाता है। आज सरकार विकास के काम में लगाने के लिए पैसा लेती है, चाहे वह पैसे को बांध बनाने के काम में लेती है, अब मान लीजिये उसमें पानी नहीं आया, फिर भी हजारों आदमियों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलता है । हम सड़क बनाने में पैसा लगाते हैं और वह सड़क बरसात में बह गई, लेकिन फिर भी हजारों आदमियों को वर्क मिलता है और उनकी इन्कम बढ़ती है । तो इस प्रकार रुपया डेवलपमेंट वर्क में खर्च करते हैं वह चाहे इकोनामिक एक्टीविटीज़ में खर्च होता है, लेकिन असली चीज है कि स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा बनाने के लिए है। इकोनोमिक एक्टीविटीज़ जितनी इन्टेन्सिफाइड होंगी उतना देश का स्टेन्डर्ड बढ़ेगा। तो टैक्स बढ़ाने से कोई फर्क नही होता है । मान लीजिये यह फैसला करते हैं कि टैक्स नही लगाते हैं, लेकिन साथ साथ हम इकोनामिक एक्टीविटीज जिसको इनीशियेट कर रही है सरकार-सरकार अपनी तरफ से जिसको चला रही है तो उन एक्टी-विटी का एक चैन रीएक्शन होता है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी चालू होती है,''उन एक्टीविटीज को बन्द कर दें तो क्या मान सकते हैं कि देश में खुशहाली बढ़ जायगी ? मैं समझता हूँ कि नहीं बढ़ेगी । मैं मानूगा कि टैक्स लेकर हम इकोनामिक एक्टीविटीज शुरू करें तो ज्यादा अच्छा है और इनडा-इरेक्ट टैक्सेज में जितने सिलेक्टिव हो सकते हैं, उतने करते हैं, कॉस्मेटिक्स, लगज़री गुड्स, इन पर ज्यादा हो और सीरियल्स, फूड ग्रेन्स हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं। क्योंकि देश में जो गरीब लोग हैं, वे ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, उनमें ८० पर्सेन्ट की खुराक है वह सिर्फ अनाज हैं। वे सब्जी खुद उत्पादन करके खाते हैं। बाकी और चीजों पर टैक्स लगाते हैं तो उन पर टैक्स नहीं लगता है आज भी। तो इनडाइरेक्ट टैक्स में जितने सिलेक्टिव टैक्स हो सकते हैं, लग्जरी गुड्स, हायर इन्कम वाले जिन चीजों का यूज़ करते हैं, उन चीजों पर टैक्स हम लगाते हैं।

(२. २० म. प.)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहूँगा। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि इम्मूवेबल प्रोपर्टी का, जिस बात के लिए माननीय मंत्री को धन्यवाद मिला, बीकानेर से आने वाले सदस्य से, सरचार्ज ओन स्टाम्प्स ड्यूटी, जो पंचायत समिति लेवी करती थी, उस अधिकार को छीन कर सरकार क्यों लेती है? और जब सरकार ने लिया है तो उसका क्या हिस्सा वह पंचायत समिति को देगी। मैं जानता हूँ, जो एन्टर्टेनमैंट टैक्स, जो सिनेमा के ऊपर टैक्स था, वह टैक्स पहले म्यूनीसिपैलिटी वसूल करती थी लेकिन म्यूनीसिपैलिटी से सरकार ने अपने हाथ में लिया तो एक निश्चित नियम बना दिया था कि एवरेज इन्कम के ऊपर इतने तक जो एन्टर्टेनमैंट टैक्स से पैदा आयेगा उसका अमुक पर्सेन्टेज सरकार म्यूनिसिपैलिटी को दे देगी।

तो इस प्रकार से मैं चाहूंगा कि यह इम्मूवेबल प्रोपर्टी के ऊपर कोर्ट फी, स्टाम्प ड्यूटी है उसके ऊपर सरचार्ज के अधिकार अब पंचायत समितियों से छीन रहे हैं, ये अधिकार आप छीन लीजिये पर जो एक्स्ट्रा चार्जेज़ आप लगायेंगे, रेट बढ़ायेंगे, वह तो आप ले लीजिये पर एग्जिस्टिंग रेट्स पंचायत समितियों के लिये मुकर्रर किये, जो कई पंचायत समितियों ने इम्पोज़ भी कर दिये, उससे जो इन्कम होती थी वह पंचायत समितियों को डिस्ट्रिब्यूट कर देना चाहिये। यह सुझाव मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

दूसरी बात है इन्डस्ट्रियल रॉ-मैटिरियल की, इस पर आपने ७ पर्सेन्ट से १० पर्सेन्ट रेट बढ़ाई है पर कुछ इन्डस्ट्रियल मेटीरियल हैं उनको exemption देना पड़े, कुछ मेटीरियल को एग्जेम्शन देने की आवश्यकता प्रतीत हो सकती है इसको देखने की कोशिश करनी चाहिये। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने ब्रास और कोपर दोनों के ऊपर पहले से भी ज्यादा दुगुना टैक्स इम्पोज़ कर दिया है, ३८० रुपया पर टन टैक्स लगा दिया है कोपर और ब्रास पर। कोपर का इम्पोर्ट बन्द है, ब्रास कोपर का एलाइ है। जयपुर और जयपुर के आस पास के इलाके में इसकी कॉटेज इन्डस्ट्री है, पीतल के बर्तन बनाने वाले काफी लोग हैं, इन लोगों के लिये रॉ-मेटीरियल की कीमत बहुत बढ़ा दी है। इसलिये इस तरह की कॉटेज इन्डस्ट्री का काम करने वाले लोग, पीतल के बर्तन बनाने वाले लोग जो स्क्रेप मेटीरियल है, आपके हमारे घरों में जा जा कर लाते हैं, पुराना पीतल लाते हैं और उसके बर्तन बना कर बेचते हैं, क्योंकि कोपर का इम्पोर्ट बन्द है। आज के अखबार में देखा कि छोटे छोटे मेन्युफेक्चरर्स की एसोसियेशन्स हैं उनके लोग फाइनेन्स मिनिस्टर से मिले और सेंटर के फाइनेन्स मिनिस्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि १५ प्रतिशत टैक्सेशन कम कर देंगे। तो ७ पर्सेंट से १० पर्सेंट करते हैं उससे जो नेसेंट एसेट इन्डस्ट्रीज हैं ब्रास वगैरह के बर्तन लोग बनाते हैं उन पर असर पड़ता है, इसकी एन्क्वायरी करनी चाहिये और हो सके तो उनको एग्जेम्शन देने की कोशिश करनी चाहिये। मैं तो यह

(श्री पी. के. चौधरी)

कहूँगा कि इन्सिडेन्स ऑफ टैक्सेशन होता है उसको जानने के लिये एक कमेटी मुकर्रर करनी चाहिये। आज भी टैक्सेज़ हैं, आगे भी टैक्सेज़ बढ़ाने हैं, indirect taxes लगाने हैं, रेट्स भी बढ़ानी पड़ेगी तो हमारे पास authoritative information, एक डेफिनिट नक्शा होना चाहिये कि इस प्रकार के टैक्सेशन से फलां-फलां वर्क पर इन्सिडेन्स ऑफ टैक्सेशन कितना-कितना होता है, इस प्रकार का नक्शा हमारे पास होगा तो हम उन चीजों पर टैक्सेज समझ बूझ कर लगायेंगे और जो आलोचना होती है, क्रिटिसिज्म होता है उसको मीट कर सकेंगे। इस माफिक इन्सिडेन्स ऑफ टैक्सेशन डिफरेंट ग्रुप्स पर क्या होता है, इसके स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे करने जरूरी हैं।

अन्त में मैं एक बात निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में वेस्टेज को कम करने के लिये कोशिश करनी चाहिये, प्रोपर चैकिंग होना चाहिये। प्रोपर चैक करने के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स अप करनी चाहिये, काम हुआ हो या नहीं हुआ हो, रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिये। अगर अच्छा काम किया है तो तरक्की दें, अच्छा काम नहीं करें तो those who have failed to execute a job, उनकी रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स करके डील करने का तरीका होना चाहिये। आज हम गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में किसी ऑफिसर को रेस्पोन्सिबल नहीं बना सकते। थर्ड फाइव इयर प्लान को एग्ज़ीक्यूट करना चाहते हैं तो रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिये और सारी गवर्नमेंट मशीनरी को ओवर ऑल करना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ में इस बिल का सपोर्ट करता हूँ।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : सभापति महोदय, अभी कुछ दिन पहले इस विधान सभा के सामने ६१-६२ का बजट पेश हुआ था और वह बजट कुछ घाटे का बजट था और उस घाटे के बजट की पूर्त्ति करने के लिये वित्त मंत्रीजी ने जो सुझाव रखे थे कि यह जो हमारा घाटा है उसको पूरा किस प्रकार कर लेंगे और अपने उन सुझावों के अनुसार घाटे के बजट की पूर्ति किस प्रकार की जावेगी उस चीज को पूरा करने के वास्ते यह बिल हमारे सामने आज है। सभापति महोदय, विरोध करना दूसरी बात है पर वास्तव में यदि हम ठंडे दिल से सोचें तो इस बात को मानना पड़ेगा कि किसी भी प्रगतिशील देश या राज्य में उसके विकास के लिये जो ठीक दिशा में कदम उठाते जा रहे हैं और उसके फलस्वरूप हमारा यह राज्य अपने प्रगतिपथ पर अग्रसर हो रहा है तो ऐसी दशा में प्रजा से कुछ धन विकास के कार्यों के लिये ले लेना कोई बुरी बात नहीं है। हमें देखना यह होगा कि जो धन जनता से प्राप्त किया जा रहा है, वह किस काम में लगाया जा रहा है। जब हम सब ही मिल कर यह अनुमान करते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये धन की आवश्यकता है और उसको पूरा करने के वास्ते राज्य सरकार ने, राज्य के अन्दर और राज्य के बाहर और सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जितने साधन प्राप्त हो सकते हैं उन सब साधनों को टटोलने

Page No.71

(श्री रामचन्द्र)

के पश्चात् यह अनुभव किया जा रहा है कि इस यज्ञ में जनता द्वारा भी करों के रूप कुछ आहुति की आवश्यकता है। तो मैं कहूँगा कि इस बिल के द्वारा हमारे करों को भिन्न-भिन्न मदों में दो-दो अथवा तीन-तीन पैसे की वृद्धि की गई है यह कोई बुरी बात नहीं है।

दूसरी बात है कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों को टैक्स लगाने के अधिकार पहले ही मौजूद हैं और उन अधिकारों के आधार पर जो रेटें थी, उन रेटों को बढ़ा कर टैक्सेज़ के वसूल करने का अधिकार बजाय पंचायत समिति के राज्य सरकार ने अपने हाथों में ले लिये हैं। पंचायत समितियों को टैक्स लेने का अधिकार था, पहले ही था। अब तक जनता से कर का पैसा पंचायत समिति के द्वारा इकट्ठा होकर विकास-कार्य में लगाया जा रहा था, वह अब राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाकर स्वयं राज्य सरकार खर्च करेगी। यह केवल वसूल करने की प्रणाली में परिवर्तन किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में विरोध करना मैं तो उचित नहीं समझता। जिला परिषद् और पंचायत समिति के कानून में संशोधन करके राज्य सरकार ने वसूली का यह कार्य अपने हाथ में ले लिया है, जो उचित है।

मोटर विहीकल टैक्स और एन्टर्टेनमेंट टैक्स पहले ही लगाया जा चुका है और यह पैसा विकास कार्य में लग रहा है। अगर विशेष आवश्यकता की वजह से प्रत्येक मद में दो-दो या तीन-तीन पैसे ज्यादा ले लिये जा रहे हैं और यह धन विकास कार्यों में लगाया जायेगा तो मैं कहूँगा कि राजस्थान सरकार कोई अनुचित काम नहीं कर रही है। देश की प्रगति में जितने धन की आवश्यकता है उसको जनता के सहयोग से पूरा किया जा रहा है। इसलिये सभापति महोदय, मैं कहूँगा कि इस समय जो बिल हमारे सामने लाया गया है वह उचित है, मैं इसका समर्थन करता हूँ और समर्थन इस आधार पर करता हूँ कि जो कुछ जनता टैक्सेज़ के आधार पर सरकार को देगी वह विकास काम में लगाया जावेगा।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार का प्रत्येक विभाग सेक्रेटेरियेट से लेकर तहसील लेवल तक जो धन खर्च करेंगे वे इस प्रकार से सोच-समझ कर करेंगे कि वह व्यर्थ में न जाए, ऐसा न हो कि इधर तो पब्लिक से पैसा ले और आंख मीच कर उसको खर्च कर दें। इसलिये हमको इतना ही ध्यान रखना चाहिये कि पब्लिक का पैसा जो खर्च हो वह अच्छे ढंग से खर्च हो और देश के विकास के कार्य में लगना चाहिये।

श्री नाथूलाल करोल (लालसोट-सु०) : सभापति महोदय, हमारे सामने फाइनेन्स बिल विचाराधीन है। मैं इस बिल का विरोध करता हुआ माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि क्या राज्य का काम टैक्सों के द्वारा ही चल सकता है या दूसरे जरिये भी हैं जिनसे अपनी आय नहीं बढ़ाई जा सकती। माननीय सभापति महोदय, आज जो मनोरंजन कर या बिक्री कर या माल कर या अन्य कर हैं वे पहले ही काफी बढ़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस यात्री कर या माल कर या बिक्री कर के द्वारा राज्य का क्या काम चलेगा

(श्री नाथूलाल करोल)

और तीसरी पंचवर्षीय योजना का काम इसी के द्वारा होगा। कोई दूसरी इन्कम का सोर्स नहीं हो सकता है क्या ? मैं बताना चाहूँगा कि एक्साइज़ डिपार्टमेंट है वह माननीय मंत्री के आधीन है। क्या नाजायज शराब बहुत निकल रही है इसके द्वारा राज्य की इन्कम दिन दिन घटती जाती है। क्या वजह है कि नाजायज शराब दिनों दिन बढ़ती जा रही है ? अगर सरकार इसको बंद करने के लिये सख्त कदम उठाए तो यह खत्म हो सकती है। इससे यह होगा कि राजस्थान डिस्टीलरी से जो शराब निकलती है उससे ज्यादा पैसा पैदा हो सकता है। अगर इस काम को अच्छी तरह से हाथ में लिया जावे और नाजायज़ शराब को रोका जावे तो इस शराब से काफी पैदावार हो सकती है। आज हम जिधर भी देखते हैं वहां पर नाजायज़ भट्टियें दिखाई देती है और काफी नाजायज़ शराब सप्लाई होती दिखती है और इस कारण से राज्य की इन्कम घटती जाती है। इसलिये जो टैक्सेज़ लगाये जाते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती और इसी से काफी इन्कम हो सकती है।

दूसरा जरिया मैं आपको बताऊं कि जिस समय भूतपूर्व राज्य थे तब एक्साइज़ डिपार्टमेंट और कस्टम्स डिपार्टमेंट थे और कस्टम्स के द्वारा कर वसूल करते थे मगर वे दिन—ब—दिन कर नहीं बढ़ाते थे, मगर फिर भी राज्य का काम अच्छी तरह से चलता था। माननीय सदस्य अब यह कहेंगे कि राजाओं के जमाने में लोगों का शोषण होता था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। मैं यह जरूर कहूँगा कि पब्लिक यह कहने के लिये तैयार है कि हम आज से अच्छे थे और खुशहाल थे। आज हम देखते हैं कि पब्लिक यह नहीं कहती कि वे खुशहाल हैं। क्या हम नाडियें और तालाब और बांधों के आधार पर कह सकते हैं कि हम खुशहाल हैं ? क्या हम इनसे खुशहाल हो सकते हैं ? आज काश्तकार इस वजह से खुशहाल है कि नाज के भाव में काफी मंहगाई आ गई है, और कोई वजह नहीं। उस वक्त अनाज के भाव काफी मद्दे थे, इस वजह से किसान खुशहाल नहीं था। इसलिये मैं टैक्सों का विरोध करता हुआ कहूँगा कि यात्री कर और माल कर को जरूर कम किया जावे।

दूसरा बिक्री कर में सैंट पर्सेन्ट बढ़ोतरी की गई है, इसको भी कम किया जावे। दूसरा मेरा यह निवेदन है कि दिन—ब—दिन जो दरों में वृद्धि करते हैं जब बजट सेशन आता है उस समय सरकार सोचती है कि टैक्स बढ़ाये जावें। हर साल क्यों बढ़ाये जाते हैं। एक बार जो कुछ आपको लगाना है लगा दें। लास्ट इयर लैन्ड रेवेन्यू सरचार्ज बिल आया और एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को खत्म किया। अब हमारे सामने एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स संशोधन बिल और आ रहा है।

श्री सभापति : इसकी चर्चा बाद में होगी।

श्री नाथूलाल करोल : मैं इसकी चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि आने वाला है। मैं यह निवेदन करूंगा कि टैक्सेज़ को दिन—ब—दिन ज्यादा बढ़ाते जाते हैं; कभी किसी पर दो पैसे, कभी एक पैसा। सभापति महोदय, मैं टैक्सों में वृद्धि के लिये

(श्री नाथूलाल करौल)

मैं विरोध करूंगा और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे एक्साइज़ में जरा नाजायज़ शराब की बिक्री को बंद करने में प्रयत्नशील हों। इससे गवर्नमेंट को काफी आय होगी जो दिनों दिन इस शराब में घटती जाती है। इतना कहते हुए मैं निवेदन करूंगा कि करों में जो वृद्धि हो रही है उसको समाप्त किया जावे।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा): सभापति महोदय, हम टैक्सेज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के टैक्सेज़ माननीय मंत्री ने प्रोपोज़ किये हैं और सदन में पेश किये हैं उनको देखते हुए मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा गया है कि किस किस की ज्यादा आमदनी है और कौन टैक्स पे कर सकता है? किसका स्टेन्डर्ड कैसा है? टैक्स देने योग्य उनकी आमदनी है या नहीं? उनकी आमदनी के सोर्सेज़ क्या हैं? मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। जिस प्रकार के टैक्सेज़ का आपने प्रपोज़ल दिया है मैं उसकी डीटेल्स में नहीं जाकर यही कहूंगा कि जो आपने स्टाम्प ड्यूटी का अधिकार जो जिला परिषदों को ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी पर दिया था आपने वह उनसे छीन लिया है उसको अब आप लेंगे। पंचायत समिति और जिला परिषद् के हाथ में जो आमदनी का जरिया था और ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी से अच्छी आय हो सकती थी उससे आप पंचायत समिति को महरूम रख रहे। एक तरफ तो हम यह चाहते हैं कि उनके आमदनी के जरिये निकाले जावें ताकि वे डेवलपमेंट के कार्य करें और उनका खर्चा चले। लेकिन दूसरी ओर आप उनकी आमदनी के जरिये होते हैं उनको आप लेना चाहते हैं जिससे वे आगे नहीं बढ़ सकते। एक जरिया आपने दिया उसको आपने वापिस ले लिया। इस प्रकार मैं यह कहूँगा कि जिला परिषद् से जो इम्मूवेबल प्रोपर्टी का ट्रान्सफर करते समय जो टैक्स का हक था उससे आपने उसको महरूम कर दिया है। वह क्यों किया है?

श्री सभापति : जिला परिषदों के हाथ में कभी यह पॉवर नहीं था।

श्री अनूपसिंह : पंचायत समिति के पास था। सरकार ने पंचायत समिति को इससे महरूम कर दिया है।

इसके साथ साथ दूसरा जैसा आपने सेल्स टैक्स में रखा है। आप यह चाहते हैं कि केटल फीड पर भी टैक्स लगे और आपने उन चीजों को भी इसमें शामिल कर लिया है जो पहले excluded थीं जैसे, गवार, कोटन, सीड आदि। पहले तो सारों को एक्सक्लूड कर दिया था। कटल फीड की चीजों को मामूली किसान काम में लेता है। इस पर टैक्स लगा कर आपने मामूली किसान को भी नहीं छोड़ा है। आपने मामूली किसान पर टैक्स लगाया है और आप यह चाहते हैं कि मामूली किसान भी टैक्स पे करें।

ऑलरेडी किसानों पर, मैं समझता हूं, बहुत वजन पड़ चुका है। टैक्स वे पे कर रहे हैं और जानवरों को खिलाने के लिए जो कुछ भी चारा वगैरह था उस पर यह टैक्स लगा रहे हैं। ऊपर वालों पर तो कोई

(श्री अनूपसिंह)

टैक्स नहीं लगाते हैं। नीचे का तबका जो पहले से ही कमजोर है, हर गांव में कोई न कोई व्यक्ति आपको जानवर रखता हुआ मिलता है उसको भी खिलाने के लिए आप टैक्स लगाते हैं। जो मिल मालिक हैं, जिनको काफी मार्जिन ऑफ प्रोफिट मिलता है, जिनका लिविंग स्टेन्डर्ड पहले से ही बड़ा हुआ है, अच्छा है, उन पर तो आप टैक्स नहीं लगाते हैं, उनका तो स्टेन्डर्ड आप घटाना नहीं चाहते और दूसरी और जो मामूली आदमी है, किसान हैं, जानवरों को फीड देता है उसके लिए आपने अलग किस्म निकाल कर टैक्स उस पर लगा रहे हैं, उसके स्टेन्डर्ड को और भी गिरा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा अर्ज करना चाहूंगा कि टैक्स प्रोपोजल्स ऐसे होने चाहिये कि जो किसानों पर लागू नहीं होने चाहिये। उसका असर बड़े तबके पर पड़े, उसका असर ऑर्डिनरी किसान पर नहीं पड़ना चाहिये कहने को तो बहुत कहते हैं कि हम किसानों के बड़े हिमायती हैं, उनके स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग आप बढ़ाने की बातें करते हैं, उसकी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार के टैक्स लगा कर आप कदम कदम पर किसानों पर ऐसा वजन रखते जा रहे हैं जिससे वह आगे कदम नहीं बढ़ा सकता।

आपने गुड्स ट्रान्स्पोर्टेशन पर भी टैक्स लगाया है। गांवों में आज-कल बस रूट्स चलने शुरू हुए हैं, गांव-गांव में सड़कें पहुँचाने की कोशिश हो रही है, वे पहुँची है, बसें-ट्रक्स चलते है, लोगों की भावना होने लगी कि इन बस ट्रक्स रूट से ही सामान ले जावे और लावें। उस पर भी आप टैक्स लगाना चाहते हैं। इससे ऑर्डिनरी आदमियों को भी आप नहीं छोड़ना चाहते हैं। यह भी किसानों पर एक भार डाल रहे हैं। ये तो बिल्कुल आपके डाइरेक्ट टैक्स के प्रोपोजल्स हैं। कल किसान टैक्स नहीं देता था वह आज टैक्स देगा, उसकी जेब से जावेगा। कन्डक्टर्स, मैनेजर्स या जो बसेज़ को चलाने वाले हैं उन पर यह भार नहीं पड़ता है बल्कि यह तो कन्ज्यूमर्स पर ही भार है। यह तो बिल्कुल ही डाइरेक्ट टैक्स पे नहीं करता था आज उसको जेब में से निकाल कर पैसा देना पड़ेगा। आप इसको इकोनोमिक भाषा में किस प्रकार समझा दें, जेब में से ही वह पैसा आता है। खाने को तो पूरा पड़ता नहीं....

श्री रामचन्द्र चौधरी (पृथक राजस्व मन्त्री) : माननीय सदस्य कोई टैक्स ऐसा बता दें कि जो टैक्स कन्ज्यूमर्स पर नहीं पड़ेगा आगे जाकर।

श्री अनूपसिंह : इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको कम से कम छोटे तबके तो छोड़ना चाहिये।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : (नसीराबाद) यह किसने कहा कि छोड़ दिया।

श्री अनूपसिंह : आपका ख्याल बिलकुल दुरस्त है। ऊपर वालों को इसलिए छोड़ते है कि पार्टी उन ऊपर वालों के ऊपर ही चलती है, छोटे वालों से चलती नहीं। उनसे तो फिर वोट लिये जा सकते हैं।

सभापति महोदय, एक बात अर्ज

Page No.75

(श्री अनूपसिंह)

करूंगा, सेल्स टैक्स का तरीका है उसके बारे में अर्ज करूंगा। आज यह बिल पास कर रहे हैं, कल ही शायद यह कानून बन सकता है और पांच-सात दिन बाद यह गजट में भी शाया होगा और कहीं गांव में बैठा हुआ आदमी है उसके पास सात दिन के बाद गजट शाया होने के बाद पहुँचेगा, वह तो पहले की ही रेट है उसके माफिक लेगा, वह तो एन्हान्स्ड रेट्स के बजाय ओल्ड रेट से ही सेल्स टैक्स वसूल करेगा। आप तो इसको आज पास करके यह मान लेते हैं कि एक पास कर दिया इस तारीख से, इसलिए it should come into force with immediate effect, गजट में शाया होने के दिन से गजट भी उनको १५ दिन के बाद मिलता है। पन्द्रह दिन तक तो वह ओल्ड रेट्स से ही लेगा। आप कहेंगे कि हमने तो अमुक डेट से बिल पास कर दिया, कानून बना दिया, जिस दिन उसको गजट मिला, उस दर्मियानी टाइम में उसी रेट से लेगा, आप तो कहेंगे कि एन्हान्ड रेटस से दे, कानून बना दिया। कायदे कानून की बात है। Ignorance of law is no excuse. हमने लॉ पास कर दिया, नयी रेट से टैक्स दे। आखिर उसके पास कौनसा ज़रिया है कि उसके पास असेम्बली की प्रोसिडिंग्स उस दिन पहुँच जाय ? ऐसी ऐसी जगह हैं जहां कि सात आठ दिन में जाकर तो पोस्ट पहुँचती है, गजट भी मान लीजिये कि गांव में मंगाने वाला है तो उसके पास वह कब पहुंचेगा ? इस प्रकार से सेल्स टैक्स वसूली में रोजमर्रा की जो यह झिक झिक रहती है सरकारी अधिकारी और सेल्स टैक्स देने वालों के बीच में। वे ओल्ड रेट्स से वसूल करते हैं और आप उनको नयी रेट से देने के लिए कहते हैं और उनसे ले लेते हैं। उसको जो घाटा पड़ता है उसको कौन देगा ? आपने इस प्रेक्टिकल चीज को सोचने की कोशिश नहीं की और की है तो हल भी आपने अब तक नहीं निकाला है।

माननीय सभापति महोदय, इस तरह से मैं यह देख रहा हूं कि टैक्स के प्रोपोज़ल्स तो सरकार की ओर से हमेशा निकलते जाते हैं और वसूली का जो तरीका है वह उस तरह का है और बड़ा डिफेक्टिव है। सेल्स टैक्स पहले से लगा है, आज दिन तक जिस ढंग से और जितनी वसूलात होनी चाहिये वह हुई नहीं है, होती नहीं है। एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स वसूल नहीं कर पाये और दूसरे टैक्स लगाये, लेकिन आप उनको भी वसूल नहीं कर पाये। इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि वसूल करने की जो मशीनरी है वह इतनी डिफेक्टिव है और टैक्स इवेड करने वालों के साइन्स और तरीके इतने अच्छे हैं कि आप उनको पहुँच ही नहीं सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपके पास यह रह जाता है कि जिस दिन बिल पास करके कानून बना दिया, बस नयी रेट से पैसा दे दो। ज्यादा से ज्यादा आप यही तो कर सकते हैं। सेल्स टैक्स वसूली का आपने कोई नया तरीका नहीं निकाला। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले जो टैक्स बढ़ाये हैं उनकी तो आप वसूली कर लें, काफी रुपया वसूल करने के लिए आपके पास पड़ा है, नये तरीके से फिर डीलर्स पर बर्डन डालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसलिए आपकी जो यह पुरानी मशीनरी है उसको ओवर ऑल करके ऐसा कर दीजिये कि टैक्स इवेड करने वाले हैं वे टैक्स इवेड

(श्री अनूपसिंह)

न कर सकें। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़े सूक्ष्म तरीके से इन बातों को अर्ज कर सका हूँ और समझता हूँ कि जो प्रेक्टिकल डिफिकल्टी है पे करने वालों की उसको आप समझ सकेंगे। आपकी टैक्स वसूल करने की साउन्ड पोलिसी नहीं है। छोटे छोटे तबके, गांव वाले हैं उन पर भार न डालें और बड़े बड़े तबके के हैं उन पर यह डालें। छोटे छोटे तबके के लोग इसको सहन नहीं कर सकते। ये ही मेरे विचार हैं।

श्री सभापति : श्री सम्पतराज जैन ।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान वित्त विधेयक, १६६१ पर सदन में विचार चल रहा है, उसके समर्थन में मैं अपने विचार प्रगट करना चाहता हूँ । सभापति महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना २३६ करोड़ रुपये की सदन ने स्वीकार की है। उसका प्रबन्ध करने के लिये ८० करोड़ रुपये अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त साधनों से प्राप्त करने होंगे, ८० करोड़ में से ३२ करोड़ रुपया नये टैक्सेज से हम इकट्ठा करना चाहते हैं और ४८ करोड़ रुपया अन्य साधनों से, अल्प बचत से या कर्ज लेकर हमें इकट्ठा करना होगा। इस तरह से २३६ करोड़ रुपये में इस पहले साल में हमने ३४ करोड़ रुपया खर्च करना तय किया है जिसका कि बजट हम पास कर चुके हैं। ३४ करोड़ रुपया किस तरह से प्राप्त होगा यह राज्य सरकार के सामने है। कुछ तो अल्प बचत योजनाओं से, अतिरिक्त करों से, कर्जा लेकर हम यह प्राप्त करना चाहते हैं इसीलिये यह वित्त विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है।

सभापति महोदय, जहां तक कल्याणकारी राज्य का सम्बन्ध है राज्य की जनता का जीवन-स्तर ऊंचा करने के लिये, राज्य की बेकारी दूर करने के लिये राज्य की सर्वांगीण उन्नति के लिये योजनायें तैयार करनी होती है और धन इकटठा करना होता है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि टैक्सेज़ का जो बोझ पड़ता है वह हरेक वर्ग पर पड़ना चाहिये। इसी तरह से पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी इस बात का ध्यान रखा गया है। जहां तक हो सका है समाज के निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग पर टैक्सेज का भार नहीं पड़ने दिया गया है। जब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू करने जा रहे है वहां ऐसा कोई वर्ग नहीं बच रहा है जो इस प्रकार के टैक्स से बच सका हो। इसके अलावा जहां हम बीस फीसदी लोगों पर ही यदि टैक्स लगाते हैं तो जितनी आवश्यकता सरकार को है उतना वे इकट टा नहीं कर सकते। अगर हमें अपना विकास करना है, जनता का विकास करना है तो हमें टैक्स लगाना होगा और प्रत्येक व्यक्ति से इकट्टा करना होगा। इसलिये इस योजना में कोई भी व्यक्ति टैक्सेशन से बच नही सकेगा। यह उसके लिये नामुमकिन है। अगर पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करना है और जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना है तो हर व्यक्ति को यह टैक्स देना होगा, प्रत्येक वर्ग को इस टैक्स का भार वहन करना होगा। इसलिये यह वित्त विधेयक कोई नई बात नहीं है, जो टैक्स पहले थे उनको थोड़ा बढ़ाया गया, इसका माननीय सदस्यों को विरोध नही करना चाहिये।

Page No.77

(श्री सम्पतराज जैन)

राजस्थान जिला परिषद् विधेयक की धारा ३३ की उपधारा (२) में पंचायत समिति को अधिकार दिया है इस टैक्स को वसूल करने का, लेकिन पंचायत समिति ने वह टैक्स आज दिन तक नहीं लगाया जब पंचायत समिति ने टैक्स नही लगाया । तो राज्य सरकार उसको अपने हाथ में लेती है और वह स्वयं लागू करती है, यह कोई नया टैक्स नही । इसका अधिकार पहले पंचायत समितियों को दिया जा चुका है उस अधिकार का उपयोग पंचायत समितियों ने नहीं किया है इसलिये पंचायत समिति से राज्य सरकार अपने अधिकार में ले रही है, इसमें नई बात नही है ।

इसी तरह से एक आपत्ति उठाई गई पशुओं को जो बांटा आदि दिया जाता है उस पर भी टैक्स लगाया गया है । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं कि ग्वार और बिनौलों पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है केवल खली पर बढ़ाया गया है, इसलिये इस बारे में आपत्ति निराधार है ।

सभापति महोदय, मोटर विहिकल्स पर भी टैक्स में वृद्धि की गई है । यह तो बड़े वर्ग पर टैक्स है इसका सम्बन्ध छोटे वर्ग पर नहीं आता । यह टैक्स १५ रुपये से बढ़ाकर साढे सत्रह रुपया कर दिया है, इस तरह से चार सीटों की गाड़ी पर प्रतिवर्ष १०.२५ रुपया अधिक देना होगा ।

इसके अलावा यात्री कर माल अधिनियम में जो संशोधन किया गया है वह इतना छोटा संशोधन है जिसमें किसी को एतराज नही होना चाहिये । मगर फिर भी गत वर्ष यह लागू हुआ था उससे थोड़ी बढ़ोत्तरी की गई है । इसमें यह निश्चित है कि इसके लिये यात्रियों को पैसा देना होगा; इसका बोझा सब लोगों पर पड़ेगा, इससे ६ लाख रुपया एडीशनल प्राप्त होगा जो इस योजना के प्रथम वर्ष में काम आयगा । यह जो टैक्स लगाया गया है और वृद्धि की गई है उसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जो आदमी राज्य की जनता का कल्याण चाहते हैं वे इसका विरोध नहीं कर सकते और न करना ही चाहिये और न गुंजाइश ही है । इसके लिये मेरा भी यह निवेदन है कि राज्य सरकार के आय के जो अन्य साधन हैं उनका पूरी तरह से उपयोग इसमें होना चाहिये । वैसे तो राज्य सरकार अपनी आय के साधनों का पूरी तरह से उपयोग कर रही है लेकिन उसमें सुधार की आवश्यकता जरूर है । हालांकि इस बारे में इस समय कोई सुझाव प्रस्तुत नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यात्री और माल कर में टैक्सेशन को बढ़ाया है उसके बजाय बहतर यह होता; वैसे तो टैक्स बढ़ाया गया है और हम जिसको पास भी कर चुके हैं, फिर भी मेरा सुझाव है कि आज राजस्थान के अन्दर हरेक रूट पर गाड़ियों की आवश्यकता महसूस की जाती है वहां गाड़ियां और चलायी जा सकती है । जिस समय प्रो० चक्रवर्ती यहां आये थे उन्होंने राजस्थान का दौरा किया था, जिला कांग्रेस के समक्ष भी कहा था कि राजस्थान में यातायात की बड़ी दुर्व्यवस्था है, बस के अन्दर जितनी सवारियां होनी चाहिये उससे डबल सवारियां उनमें बैठती हैं । मैं समझता हूँ, राज्य सरकार नये रूटों के अतिरिक्त जहां पर गाड़ियां चल रही हैं वहां और परमिट दे सकती हैं और पुराने रूटों पर और अतिरिक्त गाड़ियां चला

(श्री सम्पतराज जैन)

सकती है इससे एक तरफ लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरी तरफ राज्य सरकार की आय में २०—२५ लाख की आमदनी हो सकती है। मेरा इसलिये यह निवेदन है कि जब आय के साधन राज्य सरकार के पास हैं उनको बढ़ाना चाहिये और टैक्स लगाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन जो भी टैक्स लगाये गये हैं वे उचित हैं, हमें टैक्स की आवश्यकता है. अतः मेरा निवेदन है कि यह बिल स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : सभापति महोदय, जो फाइनेन्स बिल सदन के सामने विचारार्थ है उस पर कई माननीय सदस्यों ने अपना विरोध प्रकट किया है। जो विरोध प्रकट किया गया है वह न तो मेरी समझ में ही आता है और न वह जंचता ही है। किसी भी बात का हम विरोध करें तो मैं समझता हूँ यह बात किसी एक प्रसंग में हो सकती है, लेकिन फाइनेन्स बिल का विरोध करें, हम उसका घोर विरोध करते हैं। इस प्रकार की जो बातें करते हैं तो मेरी ऐसी मान्यता है कि सरकार के काम-काज के मामले में हमारा जो अपना उत्तरदायित्व है उसके विरोध में हम काम कर रहे हैं। हमें उसका विरोध करना होगा। विरोधी पक्ष की ओर से जो दलीलें दी गई उन दलीलों का विश्लेषण करूं तो यह पता लगता है कि यह जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का पहला साल है इसमें राजस्थान राज्य की जो आवश्यकता है, जो उसकी जिम्मेदारी है और सारे भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये जितने धन की आवश्यकता है, उसके लिये जिन साधनों को जुटाने की आवश्यकता है, वहां अगर कोई उसका विरोध करता है तो मैं समझता हूँ वह अपना उत्तरदायित्व इस देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति क्या है उसको निभा नहीं रहा है।

हम लोग जनतन्त्रीय पद्धति से राज्य चलाने की जिम्मेदारी लिये हुए हैं। उसके अन्दर जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं उसमें चाहे विरोधी पक्ष के हों या सरकारी पक्ष के; सबको इस पर बहस-मुबाहसा करने की जिम्मेवारी है उसके साथ साथ राज्य की आय के साधनों को बढ़ाने की भी जिम्मेदारी है, चाहे वह सीधी जिम्मेदारी हो या परोक्ष जिम्मेवारी हो, लेकिन जिम्मेवारी जरूर है। जहां राजस्थान राज्य की विकास की कल्पना लेकर चल रहे हैं वहां हमें उसके लिये, उसके प्रबन्ध के लिये धन की आवश्यकता रहती है। मैं समझता हूँ यह फाइनेन्स बिल जो हमारे सामने है वह उन बातों को हमारे सामने रखता है।

(३. म. प.)

यह ठीक बात है कि इसमें टैक्स लगाया गया है और कुछ टैक्स जो चले आ रहे थे उनमें इजाफा किया गया है। पर जैसा कि भारतीय स्तर पर यह विदित है सबको कि तीसरी योजना हमारी एक कसौटी की योजना है, तो इसके लिये पैसे की आवश्यकता होती है और पैसे के लिये ही यह आयोजना की गई कि टैक्स से कुछ लिया जाय, कुछ अन्य तरीकों से लिया जाय। हमने पहले आयोजन में भारत को सफल बनाने की कोशिश की, दूसरी में हमने समाजवादी कल्याणकारी जनतन्त्रीय समाज की कल्पना की, और अब तीसरी योजना में हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी पंक्तियां खींच दें

(श्री जनार्दनराय नागर)

कि जिसमे उसके आखीर तक हम अधिक कदम इसकी ओर दे सकें। समाजवादी समाज की बात विज्ञापन, नारे, जुलूस में सीमित रहने वाली नहीं है। इसे स्थापित करना है, और स्थापित करने की बात जुलूसों, नारों और विज्ञापनों तक सीमित नहीं है। वह तो समूल परिवर्तन की बात है जो बहुत धीरे धीरे हिन्दुस्तान में किया जा रहा है। इसको स्थापित करने की बहुत से दुनिया के प्रगतिशील राष्ट्रों ने और जातियों ने कोशिश की है। पर उन्होंने यह कोशिश खून के द्वारा की है, जब कि हम सहकार के द्वारा, सहमति के द्वारा एक दूसरे को सहन करने की क्षमता देते हुए, जनतन्त्रीय समाजवादी समाज-कल्याणकारी राज्य की कल्पना करके चलते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे राज्य को पुष्ट करने के लिये एवं इसका विकास करने के लिये इसके प्रयास में हर नागरिक को; चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर, कुछ न कुछ योगदान देना पड़ता है।

आज हमारे राजस्थान के क्षेत्रों में हमारे ग्रामीण भाई बहिनों ने अपने जीवन की प्रमुख और प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कितना भारी श्रमदान दिया है व दे रहे हैं, इससे उनको सबक लेना चाहिये। आज ग्राम्य क्षेत्रों में अस्पताल की आवश्यकता हुई तो पचीस-तीस फी सदी तक श्रमदान देना पड़ता है और वह उन्होंने खुशी खुशी दिया है। अपना पसीना देना पड़ता है और वह दिया है, अर्थ-दान भी देना पड़ता है। आज हमारे राजस्थान के ग्राम्य क्षेत्रों में विकास के कई काम हैं जिनके लिये उसको काफी देना पड़ा है। तुम को छोटी सड़कें चाहिये तो पैसा दो, श्रम दो। कुंआ चाहिये तो श्रमदान दो। विकास के हर छोटे-मोटे काम के लिये कहते हैं योग दो और उसने सब जगह योग दिया है। यह सब को विदित है। बजट के समय सदन को बताया जा चुका है कि २१ करोड़ का श्रमदान राजस्थान के ग्राम्य-क्षेत्रों ने प्रसन्नता से दिया है। तो यह एक प्रकार से हमारी क्षमता का परिचायक है। यह प्रमाण है कि राजस्थान की जनता चाहे नये टैक्स लगाएं, चाहे पुराने में वृद्धि हो, इन दोनों को सहन करने के लिये और देने के लिये तैयार है।

आखिर इसमें कसौटी है तो यह है कि हम क्या लगाते हैं और कैसे लगाते हैं? उस तरह से तो नहीं लगाते जैसे पुराने जमाने में राजा लोग लगाते थे। आज पैसा जनता के विकास के लिये है। आप कहते हैं नहीं लगाएं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के हिस्से को आप किस तरह अदा करना चाहते हैं? सारी तीसरी योजना में राजस्थान सरकार को ८० करोड़ के लगभग अपना हिस्सा देना पड़ेगा। तो सदन में जब कहते हैं कि टैक्स नहीं लगायें तो फिर इसका उत्तर भी हमें ही देना चाहिये कि यह जो हमें योगदान देना है उसके लिये क्या व्यवस्था करना चाहते हैं?

कहा जा सकता है कि अल्प बचत योजना से और दूसरी योजना से इकट्ठा करें। पर आप हम सब जानते हैं कि राजस्थान की जनता दो तरह से अपनी योजना को चलाने के लिये योग दे रही है, एक श्रमदान से और दूसरा इन टैक्सों के द्वारा। ऐसी अवस्था में

(श्री जनार्दनराय नागर)

कोई रास्ता नहीं है कि हम तीसरी योजना के लिये कुशलतापूर्वक और सावधानी से और यह देखते हुए कि लोगों पर अधिक वज़न न पड़े, ये कर लगावें । आज देश के हित में, देश के सामने एक परिस्थिति आ गई है कि अमीर और गरीब सभी मिलकर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस आयोजना में मदद करें । हम अन्य प्रगतिशील देशों की ओर देखें तो मालूम पड़ेगा कि जिले के सारे प्लान का संचालन जिले की जनता स्वयं करती है । मैं जानता हूं, चीन के केन्द्रीय प्लान के लिये तो राज्य खर्च करती है पर जिले का प्लान जिले के लोग चलाते हैं । यहां ऐसी बात नहीं है ।

रूस की सप्तवर्षीय योजना आप देखें । राज्य ने आयोजन की सफलता के लिये सारी जिम्मेदारी जनता पर थोपी, डिक्टेटरशिप के जरिये सारा काम कराया गया, तो आप कल्पना करके चल सकते हैं कि एक एक व्यक्ति को सम्पूर्ण राज्य के विकास के लिये कितना अपनी जेब से देना पड़ा होगा, और कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे और भावनाओं की दृष्टि से भी उनको कितनी यातनाएं सहनी पड़ी होंगी । पर यहां पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं डिक्टेटरशिप के तरीके से नहीं, बल्कि परस्पर के सहयोग और सहमति से कर रहे हैं । दो योजनाओं में जितना हमने उत्पादन किया है उस पर से कह सकते हैं कि इस तीसरी योजना में हम ज्यादा टैक्स दें । फिर सारा ही रुपया टैक्सों से वसूल करने वाले हों, ऐसा भी नहीं है । सार्वजनिक ऋण से भी इकट्टा किया है, श्रमदान से भी और अल्प बचत से भी इकट्ठा करना है । तो हमें अपने आयोजन को पूरा करना है तो जन-प्रतिनिधि के नाते इतना तो हमें बल रखना पड़ेगा कि हम जनता के सामने जावें और कहें कि अमुक काम के लिये इतने रुपये की आवश्यकता है, दीजिये ।

यह जरूर है कि हमारे इस कठिनाई से प्राप्त किये गये रुपये का सदुपयोग होना चाहिये । इसके लिये राज्य को भारी सावधानी से काम करना चाहिये । आज हमारी खर्चा करने की क्षमता और बल निरन्तर वृद्धि करता चला गया है । दस वर्ष पहले तीन-चार करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज हमारी शक्ति २५ और २६ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च करने की हो गई है । यह इस बात का भी प्रमाण है कि हमने यह क्षमता राजतन्त्र द्वारा उत्पन्न की है और हमारा प्रथम आयोजन जनपदीय क्षेत्र में भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया है । उस आयोजन का सम्पर्क जनता के साथ है और जनता का सहयोग निरन्तर प्राप्त होता जा रहा है । यह मज़ाक की बात नहीं है, कटु सत्य है कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में दो अरब रुपयों का श्रमदान हुआ है । यह इस बात का भी प्रमाण है कि हमारे आयोजन विकासोन्मुख आयोजन हैं और इस बात का इसमें माद्दा है कि जनता के सामने जावें और कहें कि अमुक विकास के काम के लिये धन के सहयोग की जरूरत है, चाहे फिर वह टैक्स के द्वारा हो, तो टैक्स के द्वारा आ सकता है, श्रमदान के द्वारा आ सकता है, अल्पबचत और दूसरे अभियानों के द्वारा आ सकता है ।

पंचायत समितियों को हमने अधिकार दिये टैक्स लगाने के, वे भी इसी विश्वास पर

(श्री जनार्दनराय नागर)

आधारित हैं । डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन के स्टेप हमने लिये । इसमें प्रारम्भ में ही पंचायतों को मुख्तलिफ टैक्स लगाने के अधिकार दिये । मैं मानता हूँ कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन करने वालों के लिए यह कसौटी थी कि पंचायतों को जो हम प्राथमिक इकाइयां बना रहे हैं, विकास, निर्णय और फैसलों का अधिकार दे रहे हैं वहां यह भी हम उत्तरदायित्व दे रहे हैं कि वे अपने क्षेत्रों में टैक्स लगायें । आप किसी प्रकार का भी आयोजन मन्जूर करें, आपको जनसहयोग के द्वारा उसको करना पड़ेगा । जो राज्य राजकोष जनता के द्वारा भरना नहीं जानता, मैं समझता हूँ कि वह राज्य चल नहीं सकता । इसलिए मैं अधिक नहीं कहते हुए यह कहना चाहूँगा, सभापति महोदय, कि टैक्स के नाम से भयभीत होने को बात तो अब दकियानूसी बात हो गई है, पिछड़ी हुई बात रह गई है, पिछड़े हुए दिमाग की बात हो गई है । टैक्स के नाम से तो वह भयभीत होते हैं जो केवल सस्ती कीर्ति प्राप्त करने के लिए जन-प्रतिनिधि बनने का दावा किया करते हैं । आज जन-प्रतिनिधि बनना, ऐसी कुछ कसौटी के ऊपर निर्भर हो गया है, जैसे आप काम कर सकते हैं या नहीं, काम करवा सकते हैं या नहीं, जन-सहयोग प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, आपमें साहस है या नहीं । यदि ये बातें आपमें हैं नहीं तो मेरा ऐसा मानना है, सभापति महोदय, कि आप जन-प्रतिनिधि होने के लिए दावा नहीं कर सकते । आज आपका व्यक्तित्व केवल एक बात के ऊपर निर्भर है कि आप पंचवर्षीय योजना में विकास के लिए क्या प्रयत्न करते हैं, अपने अड़ोस–पड़ोस में क्या जनमत उत्पन्न करते हैं और कैसे और कितना नेतृत्व करते हैं । आज भारत की कसौटी भी यह हो गई है । आज राजस्थान राज्य की प्रतिष्ठा यदि इन्डियन यूनियन में बढ़ी है तो उसके दो कारण हैं । एक कारण तो यह है कि राजस्थान राज्य ने गये पिछले अर्से में साबित कर दिया कि उसको राजस्थान की जनता को सत्ता देने का हौसला है, ईमानदारी है, साहस है और पुरानी परम्पराओं को छोड़ कर नई परम्परायें कायम करने की वह क्षमता रखता है, और दूसरी कसौटी है कि हमने निरन्तर १० वर्षों में हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को एक गुना से दुगुना और दो गुने से तिगुना किया है और हमारा बस चले तो हम उसे चौगुना और पंच गुना भी कर सकते हैं । यह विकास करने की जो हमारे अन्दर लगन है उसके लिए हम निरन्तर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं । मैं समझता हूँ कि हमारी भारतीय राज्य की कसौटी हो गई है। यदि केवल भारतीय कसौटी के ऊपर काम काज की तुलना होती है तो उसकी आधारभूत कसौटी यह है कि राजस्थान राज्य ने पंचवर्षीय योजनाओं के लिए क्या बर्ताव किया, किस हद तक विकास के चौराहे पर जनता को लाकर खड़ा किया ? जो नेता हैं या नेतागण हैं वह अपने राज्य को कहां ले जाना चाहते हैं ? यह हमारी सोचने की जो कसौटी है वह यह है कि पंचवर्षीय योजनाओं के मामले में हममें क्या साहस है और हम कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, जिम्मेदारी के साथ जनता के सामने । ठीक है. टैक्सों के नाम से जनता प्रसन्न नहीं होती, ठीक है, आपको और हमको वोट लेने के मामले में तकलीफें मालूम हो सकती हैं, यह भी ठीक है कि कुछ गड़बड़ियां इधर से कुछ टैक्स लगाने

(श्री जनार्दनराय नागर)

की वजह से मालूम हो सकती हैं, जो बहुत स्वाभाविक है, सभापति महोदय- इसका कुछ जवाब भी हमें जनता को देना पड़ता है, कुछ सुनना भी पड़ता है, लेकिन यह तो सुनना पड़ेगा, उनकी नाराज़गी भी उठानी पड़ेगी। हम सब को प्रसन्न रख कर नहीं चल सकते, सस्ती कीर्ती के आधार पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। यह तो एक ठोस जिम्मेदारी की बात है इसलिए मैं समझता हूँ कि जो टैक्स लगाये गये हैं वे उचित हैं और यदि उनका विश्लेषण करें तो मेरी मान्यता है कि जो राजस्थान का उच्च वर्ग है, अपर वर्ग है उनके ऊपर टैक्स का भार बढ़ता गया है........

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : और मैं समझता हूँ कि नीचे के तबके के ऊपर भार बढ़ने वाला नहीं है। एक पैसेंजर टैक्स के बारे में बात कही गई। उसमें बस में बैठने वाले पैसेंजरों के लिए मुसीबत है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिए राजस्थान के गरीब से गरीब व्यक्ति को अनुकूल हिस्सा अदा करना पड़ेगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये मैं अपने माननीय मित्रों से यह कहता चाहता हूँ कि हमें जनता से अधिक साहस करने की अपील करनी पड़ेगी और चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो पैसा हमें ज्यादा एकत्रित करना पड़ेगा। हिन्दुस्तान के विकास के इतिहास में चौथी और पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना होने वाली है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद मैं समझता हूँ कि देश में ऐसी परिस्थिति आयेगी कि हम इस मामले में नये आर्थिक श्रोत को पकड़ पायेंगे और टैक्स लगाने की जो हमारी जिम्मेदारी है उसको कम कर पायेंगे। लेकिन तब तक मैं समझता हूँ कि हमको निरन्तर आर्थिक श्रोतों को एकत्र करने के लिए जनता पर टैक्स लगाने पड़ेंगे। यह हम ही कर रहे हों, ऐसी बात नहीं है। आप किसी भी देश को ले लीजिये। जिन्होंने ५० वर्षों में नई क्रान्ति की है और जिस देश ने जन-कल्याण-कारी समाज की रचना की है उस देश को ले लें और यदि आप उस देश के इतिहास को देखें तो आपको मालूम होगा कि जनता को विकास के लिये एक प्रकार से ट्रेण्ड कर दिया है। उन्होंने जन-जीवन की एक एक जेब को नहीं छोड़ा जिससे पैसा इकट्ठा न किया हो। उन्होंने शक्ति के द्वारा उस पैसे को प्राप्त किया है। यहां हम शक्ति के द्वारा नहीं एकत्र करना चाहते हैं। हम लोगों की सहमति प्राप्त करके एकत्र करना चाहते हैं। राज्य की थोड़ी सी शक्ति के द्वारा भी हम वह पैसा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस स्थिति से हमको चिन्ता करने की बात नहीं होनी चाहिये और यह तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की मिकदार को देखते हुये कम से कम टैक्स लगाया गया है। इसलिये मैं अधिक नहीं कहता हुआ माननीय मित्रों से कहना चाहूँगा कि यह व्यर्थ का डरना है। बिना किसी कारण के भयभीत होना भी नंगी बीमारी है जिसका मनोविज्ञान ने कोई नामकरण नहीं किया है। उसका नामकरण तो वैसे मेरे पास है, लेकिन मित्रों का आदर करते हुए यही करना चाहता हूँ।

श्री सभापति : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय, हम इस समय राजस्थान वित्तीय विधेयक, १९६१ पर विचार कर रहे हैं। इस विधेयक का सम्बन्ध उन करों से है जो हमारी राज्य सरकार के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में नये आरोपित हो रहे हैं। करों के सम्बन्ध में सदन में दो ही पक्ष हैं। एक वह जिन्होंने कि इसका पूरा पूरा विरोध किया है और दूसरा पक्ष वह जिन्होंने इसका समर्थन किया है । सभापति महोदय, करों का एक लम्बा इतिहास रहा है । एक वह समय था जब कि करों का विरोध इस आधार पर किया जाता था कि वह कर इस प्रकार की सरकार लगाती थी जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होता था । अमेरिका में जो क्रान्ति हुई उसके मूल में तो यह चीज थी कि उन्होंने उस समय के अंग्रेजी सरकार के लगाये करों का विरोध इस आधार पर किया कि वहां के रहने वालों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था और इसलिये उन्होंने अपनी आवाज बुलन्द की थी कि "No taxation without representation" इसके बाद में हमारे देश में कम से कम यदि विरोध होता है तो इस आधार पर ही । जहां तक मैं समझता हूँ विरोध करने वाले भी विरोध कर सकते हैं कि जो कुछ भी करों के द्वारा वित्त की आय होती है उसका ठीक ठीक तरह से उपयोग नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि मूलतः वे भी इस बात के विरोध में तो नहीं होंगे कि यह टैक्सों का लगाना कोई उनके ऊपर अन्याय या अत्याचार है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस देश के सभी निवासी इस बात को अनुभव करते हैं कि हमारा देश धीरे धीरे किन्तु दृढ़ता के साथ प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है ।

'प्रगति' का मतलब है हमारे देश के अन्दर होने वाले अनेक विकास कार्य । इन विकास कार्यों के लिए धन की सबसे पहले आवश्यकता है, इसमें दो राय नहीं हो सकती । धन की प्राप्ति कहां से हो ? धन की प्राप्ति के जरिये या तो जैसा कि ऋण से करते हैं वह होता है, या कुछ अपनी अल्प-बचत योजना है, या दूसरे प्रकार से जैसे लोन फ्लोट करते हैं या वह यह है कि फिर उसके साथ साथ जनता को भी इस बात की अपील की जाती है कि वह अपने विकास कार्यों के लिए स्वेच्छा से सरकार को करों के रूप में वह सहायता दे । तो यह जो कर लगाने का जहां तक सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि इसी औचित्य पर आधारित है । लेकिन, हां, यह जरूर है कि उन करों का भार ऐसे ही लोगों पर पड़े जो उसको सहन कर सकें, उसका भार उन लोगों पर नहीं पड़े जो सहन करने में असमर्थ हैं ।

सभापति महोदय, करों की एक नीति है और करों की नीति पर किसी राज्य का सफलतापूर्वक चलना और उसका असफल होना बहुत कुछ निर्भर करता है । राज्य की यदि कर नीति ठीक औचित्य के आधार पर नहीं है तो राज्य आर्थिक संकट में पड़ सकता है । वह अपना शासन चलाने में असफल भी हो सकता है । यदि कर नीति सुन्दर है और एक उचित आधार पर है तो वह राज्य शनैः २ प्रगति की ओर बढ़ जायेगा । आज

Page No.84

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

से ही नहीं हम यदि हजार और डेढ़ हजार वर्ष पहले के हमारे देश के कर सम्बन्धी पुराने ग्रन्थों को देखते हैं तो शुक्र नीति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र दो ग्रन्थ मिलते हैं, उन लेखकों के जिन्होंने करों के सम्बन्ध में कुछ नीति निर्धारित की है ....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : वे पुराने हो गये हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पुराने तो वे नहीं हैं। आज भी नये हैं जितने कि उस समय थे इस दृष्टि से । उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जिस प्रकार एक गडरिया अपनी भेड से जिस प्रकार से ऊन लेता है, उस भेड़ को पालता है, पोसता है, जब ऊन बढ़ जाती है तब उसको इस तरह से कतरता है कि भेड़ के चमड़ी पर कोई भी असर नहीं होता है, और केवल जो काम की चीज नहीं रहती है उसके लिए, जिसका उसके स्वयं के लिए विशेष उपयोग नहीं रहता है उस ऊन को उससे ले लेता है। उसी तरह से माली और फलों के वृक्षों की उपमा भी दी जाती है कि फल जब वृक्ष पर पक जाता है तो वह तोड़ता है। उसके पहले वह वृक्षों को पानी देता है, खाद देता है और जब फल लगते हैं तो पकने पर तोड़ता है। तो उपमा इस प्रकार के राज्य शासन की है कि पहले जनता के विकास के उस प्रकार के काम करें जिससे कि जनता स्वयं योग्य हो कि वह करों के भार को वहन कर सके। जैसा कि मेरे एक मित्र ने अभी कहा कि यह तो पुरानी बात है, मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वह आज भी उतनी ही, ३ युग में सच्ची सिद्ध हो सकती है जैसी कि उस युग में थी। हम आज इस तरह के करारोपण कर रहे हैं वह इसी नीति के आधार पर कर रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम चल रहे हैं उनमें सब में इसी आधार पर हमने पहले अपनी जनता की उस क्षमता को बढ़ाया जिससे कि वह एक आर्थिक दृष्टि से अपने आपको पहले से कुछ अधिक दृढ़ अनुभव कर सके। प्रत्येक की आय के साधन उनकी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं जितनी भी सुख–सुविधाओं के साधन होते हैं, उनको बढ़ाने की ओर हमारी सरकार ने कदम बढ़ाया है। आज हमारे देश का जो चतुर्मुखी विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, बांध बान्धे जा रहे हैं और नहरें निकाली जा रही हैं, हमारे उपयोग की जितनी वस्तुएं हैं अपने देश में जिनका निर्माण हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें उन लोगों को जो कर दाता हैं उनको इस बात का विश्वास दिलाती है कि हमसे जो कर लिया जाता है उसका सदुपयोग हो रहा है। यही एक चीज़ है कि हम कर को लगायें और कर लगाने के साथ साथ यदि उनका सदुपयोग हो और सदुपयोग इस रूप में हो कि कर-दाता यह अनुभव करे कि हमारा पैसा जो जा रहा है वह हमारे लिए आ रहा है। इस कर के सम्बन्ध में उपमा सूर्य से भी दी जाती है। सूर्य शनैः २ इन दिनों पानी को जगह जगह से खींचता है और दो महीने के बाद ही बहुत कुछ मेघों के रूप में, वर्षा के रूप में पानी को लौटा देता है उसी प्रकार से जो सरकार कर वसूली करती है वह इस प्रकार से कर वसूल करे कि देने वाले को ऐसा मालूम नहीं हो कि उसका दिल दुखाकर उसकी जेब को काटा जा रहा है, बल्कि उसकी जेब में

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

बहुत सा पैसा बढ़ गया है और उन पैसों से फिर कुछ लिया जा रहा है । तो यह एक नीति होनी चाहिए और इस नीति के आधार पर जिस वक्त हम टैक्स लेते हैं, कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ उसका कोई विरोध नहीं होता हैं । तो आज जिन माननीय सदस्यों ने इसका विरोध भी किया है तो मैं समझता हूँ कि शायद इसी आधार पर कर सकते हैं कि वह जो धन जनता से लिया जा रहा है करों के रूप में, उसका सदुपयोग हो । इसका तो मैं भी सरकार से इस बात का विश्वास चाहूँगा कि वह एक सच्चे, चाहे एक मुनीम की तरह समझें, एक हिसाब करने वाले की तरह है जो उसको एक एक पैसे, एक एक पाई का, पब्लिक मनी का हिसाब रखे। महात्मा गांधी ने भी पब्लिक मनी को सेक्रेड मनी, बड़ा पवित्र उस धन को कहा है । तो उसका ठीक से सदुपयोग करना मैं समझता हूँ राज्य सरकार का परम पुनीत कर्तव्य है और उसके साथ साथ जो करों को लगाया है उसमें भी इस सम्बन्ध में अपनी बजट पर बहस के दौरान में बतला चुका हूँ कि कुछ कर ऐसे जरूर प्रतीत हुए, जिनका असर कुछ ऐसे लोगों पर पड़ता है जिनकी कि आमदनी इतनी विशेष नहीं है कि वे उसको आसानी से वहन करें, जैसे कि मोटरगाड़ी आदि कई एक टैक्सेज़ हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो कुछ जनता की मनः स्थिति है उसको देखते हुए

(३.२० म.प)

उनको इस बात की शिकायत नहीं होती है कि हमसे टैक्स क्यों लिया जाता है, लेकिन यह शिकायत जरूर होती है कि टैक्स के लेने के बाद भी उनको वह सुविधा नहीं मिलती है । मोटर गाड़ी में कुछ पैसा ज्यादा भी देना पड़े, मैं समझता हूँ, वह इतना उस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन, हां, जब मोटर गाड़ी में भीड़भाड़ मिलती है और उनको और प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है तो जरूर शिकायत होगी कि टैक्स भी लिया जा रहा है और सुविधा भी नहीं दी जा रही है । इसलिए टैक्स चाहे किसानों पर लगे, चाहे व्यापारियों पर हो या आम तौर पर जो कर है वह उपभोक्ता के ऊपर ही आता है । तो उपभोक्ता को यह अनुभव होना चाहिए कि जो भी कुछ पैसा उनके पास से जा रहा है, उतना ही नहीं, बल्कि कई गुणा होकर उससे हमारे पास आता है, जैसे कि सूर्य पानी को खींच कर फिर वर्षा के रूप में देता है । यदि यह स्थिति है तो मैं समझता हूँ कि फिर करों के विरोध करने का कोई कारण नहीं रहेगा । तो इसलिए जहां एक तरफ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ वह इसलिए कि हर प्रगतिशील वर्ग का करों के लिए कभी भी विरोध नहीं होता है । प्रगतिशील वर्ग कभी भी करों के लिए विरोध नहीं करता है। विरोध तो जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि कुछ दकियानूसी पुराने विचारों के लोग करते रहते है, क्योंकि प्रगतिशील वर्ग यह चाहता है कि देश की उन्नति हो, हमारी जनता की जो आय है उसमें वृद्धि हो । जनता को हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए उन्होंने कभी कर देने में एतराज और आपत्ति नहीं की है । लेकिन, हां, उसके साथ साथ यह भी उतना ही आवश्यक है कि जो भी कर लिये जाते हैं उनका ठीक ठीक तरह से उपयोग हो और उन लोगों को

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जिनकी जेब से वह पैसा आता है वे यह अनुभव करें कि हमारा पैसा हमारे हित में व्यय किया जा रहा है। तो मैं यह आशा करता हूँ हमारी राज्य सरकार से कि जिस प्रकार से यह कर लगा कर अपने राज्य का जो कोष है उसमें उन्होंने वृद्धि की है वह यह भी कोशिश करेंगे कि उस धन का ठीक तौर से उपयोग हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री सभापति (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : जो सभापति महोदय, फाइनेन्स बिल सदन में पेश हुआ है और जिसके ऊपर आम चर्चा चल रही है, कुछ लोगों में यह फैशन हो गया है कि किसी भी टैक्स का मामला आया तो विरोध कर दें और जनता खुश हो जाय, और इस जोश के मारे वे लोग हमेशा यह देखने को कोशिश करते हैं कि टैक्सेज़ का विरोध करेंगे तब अपने चुनाव के अन्दर जीतेंगे। और इसलिये ईर्ष्या लग जाती है उधर की तरफ के लोगों को। किसी तरह से फाइनेन्स बिल का मौका आया तो मैंने देखा कि वर्षों से चले आ रहे हैं। किसलिये आये?....

एक माननीय सदस्य : आप भी तो आज ही आये हैं?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं सपोर्ट करने आया हूँ। सवाल यह है कि टैक्सेज़ के बारे में बात है तो आज उनका होना ही जरूरी है, टैक्सेज़ न लेने की दुहाई है। आज वे जिस तरह से जनता से चुन कर, जनता के मेम्बर बनकर विधान सभा में आते हैं और उन पर जो पैसा लगता है उससे वे खुद ही इस बात के सबूत हैं कि वे खुद टैक्स लगाये बिना चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते। आज जमाना पलट गया है और उसके बाद टैक्सेज़ के बारे में वैज्ञानिक ढंग से सोचने का तरीका है जो जनता को गुमराह नहीं कर सकता। आप अपने आप को गुमराह कर सकते है और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन देश बखूबी जानता है कि आज फर्स्ट फाइव इयर प्लान और सेकन्ड फाइव इयर प्लान निकल चुके हैं और आज हमारी योजनाओं को चलते हुए १० साल पूरे हुए हैं और तीसरा फाइव इयर प्लान एक ढंग से दूसरे को पूरा करती हुई धड़ल्ले से कांग्रेस सरकार आगे बढ़ती हुई चली जा रही है और एक ये हैं जिनके कान पर जूं नहीं रेंगती और पुराना राग अलापने में नहीं अघाते। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि टैक्सेज़ के लिये सच्चा और सही सरकार को अनुभव है, यहां की जनता को अनुभव है और उससे कांग्रेस पूरी तरह से उत्साहित है, इस बात के लिये कि वह विकास कार्य पूरा करे, जनता उसके साथ है और जनता को कभी हिचकिचाहट नहीं है टैक्स देने में, पर शर्त यह है कि सरकार पूरी तरह से लेती है, उसका पूरा रिटर्न और पूरा उपयोग दे और उसके उपयोग के लिये हम पूरी तरह से जनता को सन्तोष करा सकें। देश को बनाने के लिये, आने वाली पीढ़ी को सुख से रखने के लिये हर तरह से प्रयत्नशील हैं तो देश का बच्चा बच्चा पूरी तरह से तैयार है, हर तरह से तैयार है।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

अब स्थिति यह आती है टैक्सेज़ के सिलसिले में कुछ डाइरेक्ट टैक्स और इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ की चर्चा चलती है। सीधी सी बात है कि इन्डाइरेक्ट टैक्स जो लोग देते हैं उनको पता नहीं चलता है कि टैक्स दे रहे हैं लेकिन देना उनको पड़ता है और यह सही है कि किसी चीज का उपयोग करने के लिये आदमी सोचता है तो उसमें कुछ न कुछ टैक्सेज़ का पैसा मिला हुआ है और इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ कई स्थितियों में, जब ज्यादा टैक्स आम जनता से लेना होता है तो सुविधाजनक इससे बढ़ कर दूसरा टैक्स नहीं है। समाज का वह तबका जो ज्यादा मालदार बन रहा है और डेवलपमेंट से फायदा उठा रहा है उस पर डाइरेक्ट टैक्स लगाना भी जरूरी होता है। लेकिन डाइरेक्ट टैक्स और इन्डाइरेक्ट टैक्स में तालमेल ऐसा होना चाहिये जिससे समाजवाद की ओर बढ़ सकें। इसको लेते हुए सारी चीजों को सोचें तो सेन्ट्रल टैक्सेज़ और हमारी गवर्नमेंट के टैक्सेज़ में पूरा तालमेल कर सकते हैं। हम बराबर इस ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा समाज है। कई बार हमने देखा कि इस प्रगति का हम कुछ पर्सेन्टेज निकालने और पर-केपिटा इन्कम बढ़ने की बात करते हैं। लेकिन इससे कौनसा तबका कितना फायदा उठा रहा है, इस तरह की रिसर्च करने और सूचना इकट्ठी करने की तरफ यदि राजस्थान की सरकार कदम उठावे और यह सोचे कि कौनसा तबका है या कौनसा समुदाय है जिसके पास ज्यादा पैसा जमा होता है बनिस्बत इसके कि पर-केपिटा निकाल कर जनरल ढंग से वह गरीबों के पास पहुंचता है या नहीं। टैक्सेज़ को इस तरह से लगाने की कोशिश करिये कि जिसको फायदा प्रगति से या विकास से ज्यादा है उससे ज्यादा टैक्स ले सकते हैं, यह वैज्ञानिक आधार होना चाहिये।

इसके साथ इन टैक्सेज़ को सपोर्ट किया जा चुका है, इन पर चर्चा बजट पर हुए जनरल डिस्कशन के समय हो चुकी है। लेकिन मैंने देखा कि जो डिस्कशन उस समय इस हाउस में हुआ उसकी रोशनी में तब्दीलियां या फेर-बदल लाने का प्रयत्न नहीं किया गया। इस सिलसिले में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज हमने डेफिसिट बजट पास किया। यदि उसकी पूर्त्ति हो जाय तो कोई ऐसी बात नहीं। टैक्सेज़ के जरिये जो बातें सदन में सरकार के सामने आई, तृतीय पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये आम जनता और उनके प्रतिनिधियों ने सपोर्ट करके बताया सरकार को कि हम तैयार हैं। डेफिसिट निकाला जाय तो सरकार को और टैक्सेज़ की ओर ध्यान देने की जरूरत थी। टैक्सेज से जहां आमदनी हो और जहां एक्सचेकर को पैसा मिलना चाहिये वहां एक बात और भी है। टैक्सेज़ ऐसे वैज्ञानिक ढंग से लगावें, इन्टर टैक्सेज़ हों जैसे एक चीज पर लगे तो उसका मिलान चैक की तरह हो सके। जिस डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स लगावें तो उसको इवेड करने की कोई कोशिश नहीं करे, उसका चेकिंग डिपार्टमेंट की तरफ से होना चाहिये। एक दूसरे का तालमेल होना चाहिये। मिसाल के तौर पर आज गुड्स ट्रान्सपोर्ट पर टैक्स लगाया है। यदि बाहर से माल या धान ले जाया जाय तो बाहर ले जाने पर व्यापारी पर टैक्स लगाया है। यदि हम इन दोनों में एक

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

दूसरे से चैकिंग के जरिये एक दूसरे पर चैक रखें कि कितना ट्रान्सपोर्ट से प्राप्त हुआ और कितना बाहर धान ले जाने से मिलता है तो हम एक रेशियो निकाल सकते हैं और चैकिंग हो सकता है और आगे के लिये फायदा हो सकता है। लेकिन आपके डिपार्टमेंट के पास और मेरे पास भी सूचना आती रहती है, वे फर्माते हैं कि इससे आमदमी के रूप में ४ लाख रुपये पैदा होते हैं। इसके बारे में ट्रक्स चलाने वाले कहते हैं कि हमारे ऊपर कृपा करो, इस तरह से टैक्स मत लगाओ, हमारे से फी गाड़ी के हिसाब से टैक्स ले लो। मैं निवेदन करूंगा कि इन टैक्सेज को वैज्ञानिक ढंग से रखते हैं तो मेरी गुजारिश है कि हमने टैक्सेज़ केलकुलेट किये हैं उतना वे लोग एक मुश्त देने को तैयार हैं। तो हम क्यों नहीं फला कर सीधा ले लें जिससे हमको चैकिंग मशीनरी नहीं रखनी पड़े ? मुझे दूसरी स्टेट्स का अनुभव है। पंजाब में भी यही बात है और दूसरी जगह का भी अनुभव है। कोई व्यापारी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वे आपको dodge करने के लिये करते हैं। वे इसलिये करते हैं कि उनको टैक्स से बचने के लिये गलियें निकालनी पड़ेंगी। इन चोरियों को करने के लिये वहां आते हैं दौड़े हुए और कहते है कि हमारे कंडक्टर पढ़े लिखे नहीं हैं, ड्राइवर पढ़े—लिखे नहीं हैं, हम कानून के माफिक रजिस्टर नहीं रख सकते आपने जो टैक्स लगाया है उसे फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने केल्कुलेट किया है उसे देने के लिये तैयार हैं। इसके लिये वे पूरा प्रयत्न करते हैं, डेपुटेशन भेजते हैं और उसके बाद जो वर्गीकरण एफ. डी. करता है एक दूसरे के चैकिंग के लिये इन्तज़ाम करना पड़ता है। हमारे रिसोर्सेज़ ठीक तरह से टेप हो रहे है या नहीं, पर हम पूरी रिकवरी नहीं कर पाते हैं ! आज व्यापारी या पैसे वाले गड़बड़ करते हैं, आम जनता गड़बड़ नहीं करती है। वे लोग कांग्रेस के शुभ चिन्तक नहीं हैं, उन्होंने स्वतंत्र पार्टी और समाजवाद के नारे लगाये हैं। कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जब तक उनका काम होता है तब तक पूंछ हिलाते आते हैं, डेपुटेशन लाते हैं और उसके बाद अपने नाम से नहीं, पर वे कहते हैं कि हम तो देने को तैयार हैं लेकिन कंडक्टर गल्ती करेंगे, क्योंकि वे पढ़े-लिखे नहीं है, ड्राइवर गल्ती करेंगे इसलिए महाराज, हमारी सुन लो, हमसे ३००, ५०० निश्चित करके ट्रक्स पर ले लो। उससे क्या होगा कि इसमें चैकिंग नहीं होगा, वे माल ढोयेंगे, चोरी का माल ढोयेंगे, ब्लैक मार्केटिंग का माल ढोयेंगे। अगर उनका चैकिंग नहीं होगा तो आप पकड़ नहीं सकते। आपने एक्सेप्ट किया है आपके टैक्सेज़ के मामले में। मेरी गुजारिश है कि जिस तरह की स्पिरिट है, हम चाहे जितनी अच्छी बातें करें लेकिन उसके अन्दर आपको वैज्ञानीकरण करना चाहिए। इसलिए चैकिंग करना बहुत जरूरी है। टैक्स इस तरह से लगाने चाहिए कि एक दूसरे से मुकाबला खायें। मैं समझता हूँ, उससे सरकार अच्छी तरह ज्ञान कर सकती है। कई दफा डेफिसिट बजट आये हैं। उनके जब आंकड़े आते हैं तब पता लगता है कि टैक्स इतना लगाया है और उसकी प्राप्ति चार लाख ज्यादा हो गई है। मैं समझता हूँ कि जब भी केपिटलिस्ट्स या वेस्टेड इन्टरेस्ट क्लास आपको एप्रोच करें तो आप समझ जाइये कि कोई दाल में काला चल रहा है, ये हमें deviate

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

करना चाहते हैं । मैंने मिसाल के लिए आपको बताया कि इसमें जो चैकिंग का रूल है उस रूल से निकलने के लिए हर तरह के प्रयत्न होते हैं, दो दो बही बनाते हैं। आप एन्टर्टेनमेंट टैक्स को ले लें और दूसरी तरह की चीजें ले लें । मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास जो डिस्क्रिशन है उसको इन दी इन्ट्रेस्ट ऑफ बजट यूज़ करना चाहिए । मैं तो यहां तक कहूँगा कि एक्सपर्ट्स को दिखाने के बाद जो आपका डिस्क्रिशन है उसे आपको यूज़ करना चाहिए ।

इसके साथ ही मैं अर्ज करना चाहूँगा, टैक्स के सिलसिले में आज कई ऐसी चीजें हैं जिनको मैं पोइन्ट आउट करना चाहता हूँ । आज एक्साइज़ है, सेल्स टैक्स है । जो बाहर से शराब आती है, जिसका पैसा बढ़ जाता है उस पर कोई टैक्स राजस्थान सरकार ने नहीं बढ़ाया, इस रिसोर्स को हम टेप नहीं करते हैं । सारे हिन्दुस्तान में १५ पर्सेन्ट टैक्स है, जब कि यहां पर १० पर्सेन्ट टैक्स रखा हुआ है । ५ पर्सेन्ट बचा कर आप दया करते हैं और आप १० पर्सेन्ट से ११ पर्सेन्ट भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं, जब कि दूसरे पड़ौसी प्रान्त हैं, पंजाब और दूसरे प्रान्त हैं वे ऐसे रिसोर्सेज़ को टेप कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो कई सालों से चला आ रहा है, वही चला आ रहा है । क्यों नहीं निगाह में आया है यह सरकार के ? मैं समझता हूँ हमें उस लेवल पर लेना चाहिए जिस लेवल पर पंजाब में और दूसरी जगह पर लगा हुआ है । इस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रेरी विचा–रविवेक की पॉलिसी है । एक तरफ हम प्रोहीबिशन करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम यह देखना नहीं चाहते हैं कि इवेजन कितना हो गया है टैक्स का । इतना टैक्स क्यों नहीं आया, इन दोनों में मेल कहां खाता है, यह सोचने की बात है । आज तक यह जानकारी नहीं मिलती, जब कि हम प्रोहीबिशन की बात करते हैं, तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जिससे मालूम हो कि पीने वाले कितने हैं । मैं समझता हूँ कि अभी जो सेन्सस हुई उसमें पीने वालों के नाम के आगे लिख दिया जाता । लेकिन आज वे आदमी अपना नाम लिखाने से डरते हैं । मैं समझता हूँ कि जो आज पीते हैं उनके लिये प्रोहीबिशन न हो तो जो बच्चे आ रहे हैं, उनके लिये तो प्रोहीबिशन हो और पन्द्रह, बीस साल में प्रोहीबिशन हो जाय । लेकिन पीने वालों में नये रिक्रूटमेंट होते रहते हैं ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ । आज अजमेर में शराब की दूकान का ठेका नीलाम करते हैं । देखना उसमें यह है कि पर्चेज़ में कितनी ईमानदारी है, ईमानदारी से जितना रुपया वह पाता है आज जितनी कन्ट्री और फॉरिन लिकर है उसको कोई बेचे तो उसका मुनाफा शिड्यूल्ड है । अजमेर में वह मुनाफा २० हजार का हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं होता । राजस्थान में उसके लिये आप कहते हैं कि 'बोली बोलो ।' आपके मन में कभी यह नहीं आया कि २० हजार की जहां आमदनी है वहां लाखों रुपया वह कैसे दे देता है, वह लाखों रुपयों में ठेका कैसे ले लेता है ? मैं निवेदन करूं कि अजमेर में जो कारखाना है उसमें जो मज़दूर काम करता है, वह अपनी जेब से पैसा खर्च

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

करता है। उसके साथ क्या आपकी सहानुभूति है? वह गरीब मजदूर जो पसीने की कमाई से पैसा लाता है उसके लिये आपने कानूनन बोली लगा लगा कर दूकानों की सेंक्शन देकर दूकान खुलवा रखी है। वह समझता है कि सरकार से सेंक्शन्ड दूकान है, कोई प्राइवेट नहीं है। इन दूकानों को देखने वाले इन्सपेक्टर्स हैं, उनके ऊपर बड़े से बड़े मिनिस्टर देखने वाले हैं, यहां जरूर बढ़िया शराब मिलती हैं। वे गरीब लोग वहां आकर शराब खरीदते है। उनके साथ आपकी सहानुभूति नहीं है, सहानुभूति न होते हुए भी वे शराब पीते हैं। उनको वहां शराब न पिला कर पानी मिला कर शराब पिलाई जाती है। मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ कि जो लिकर आपसे खरीदता है........

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): नशा कम होता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: अगर यही करना है तो ईमानदारी से कर दें, पानी मिला कर दें, उनके हाथ मत मिलवायें। लेकिन जहां २० हजार की आमदनी हो वहां लाखों रुपये की आमदनी करने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए आप मौका न दें।

(विराम)

सवाल यह है, सवाल यह नहीं है कि नशा कम आयेगा। सवाल यह है कि २० हजार रुपये सरकार की तरफ से मुनाफा है। यह आज से नहीं, दस साल से है। आप देख लें, जो सरकार को आमदनी हुई है वह २० हजार से ज्यादा नहीं होती। आप दस साल का रेकॉर्ड देख लें, लेकिन उसका ठेका एक लाख रुपये से कम का नहीं होता। वे इतना पैसा कहां से कमाते हैं? मैं समझता हूँ कि इससे और भी ज्यादा वह दे सकते हैं। इसका मतलब है कि सब मिले हुये हैं, इन्सपेक्टर से लेकर ऊपर तक, एक्साइज कमिश्नर तक। वे क्या करते हैं, दो काम करते है। एक काम करते हैं, अच्छा तुम पानी मिलाओ। मैं कहता हूँ कि एक-एक इन्सपेक्टर के २०० रुपये बन्धे हुये हैं हर ठेके पर। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, हर आदमी जानता है। सवाल यह है कि हम इस चीज को देखें कि वह लाता कहां से होगा। आपका इतना बड़ा फाइनेन्स डिपार्टमेंट है, वह यह नहीं सोच सकता कि २० हजार की इसको आमदनी हुई, बड़ा ईमानदार है, बड़ा काम किया लेकिन उसने ठेके पर लाखों रुपये लगाये। वह कहां से लाया! मान लो उसने किसी तरह एक दफा दे दिया लेकिन हर साल वह कहां से देता है। इसकी आप इन्वेस्टीगेशन करने को तैयार हों तब आपको मालूम होगा कि यही वहां चलता है जब ही लाखों रुपया आता है। मैं कहना चाहता हूँ कि २० हजारकी जगह ४० हजारकी आमदनी शराब की हो सकती है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि जो लाइसेन्स वह लाख रुपये में लेता है वह इसलिये लेता है कि उसकी अनऑथोराइज्ड कमाई भी है, वह अनऑथोराइज्ड कमाई भी करता है। मैं आपको बताऊं कि कनस्टर के कनस्टर आ जाते हैं अनऑथोराइज्ड खिंची हुई शराब के; जिनको वह बोतलों में भर कर बेच देता

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

है। मैं समझता हूँ कि जो २० हजार रुपये की आमदनी है वह स्ट्रिक्ट कन्ट्रोल से आ सकती है, इस तरह नहीं आ सकती। मैं आपको कहता हूँ कि जब उस आदमी का जो शराब पीता है नशा उतर जाता है तो वह हमारा मखौल उड़ाता है, जो हमारा वोटर है वह हमारा मखौल उड़ाता है....

श्री चन्दनमल वैद : वोटर का नशा है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : आप ऐसे वोटरों के बहुमत से आये हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके जो वोटर्स हैं वे भी ऐसे ही निकलेंगे। कहीं आप भी उनमें शामिल न हों, मुझे शक है।........

श्री सोहनलाल भटनागर : खुद तो शामिल नहीं हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं निवेदन कर रहा हूँ कि उसमें हमारी प्रतिष्ठा का भी सवाल है, गवर्नमेंट की प्रतिष्ठा का सवाल है। हर जगह ऐसी चीजों के कारण प्रतिष्ठा का असर चला जाता है और विरोधी लोग तो चतुर है। उन्हें कोई ऐसी छोटी मोटी चीज मिल जाय तो वे उसमें मिर्च लगा कर कहते हैं। इन लोगों से बचने की जरूरत है और जो पीने वाला है वह तो भुगतता ही है। वह कहता है. हमारी सरकार है, क्या करें माई-बाप ! पानी मिला कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में से उनको निकालना चाहिये।

अब मैं टैक्सेज़ की एक और बात कहूँगा, फिर आप कहेंगे कि इर्रिलेवेन्ट बात करता है। हमारे यहां महा मानव की तरह एक क्लास है। उसके ऊपर न कोई टैक्स लगा सकता है न कोई उसको चैकिंग कर सकता है और न कोई उसे पूछ सकता है। ऐसा एक महा मानव गिरोह है, उसकी तरफ मैंने इशारा किया है। वह चलता-फिरता है आपके मेरे बीच उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। उनकी चैकिंग का कोई तरीका नहीं, कोई टैक्स नहीं। ये हैं खादी वाले। खादी वालों के ऊपर चैकिंग क्यों लगायें ? सब घर वाले एक साथ, उसकी बीबी तो होगी ही, यह चेरिटेबल सोसाइटी है और रिश्तेदार हों या नहीं हों पर पति हैं तो पत्नी तो जरूर होगी। यह चेरिटेबिल सोसाइटी है। मैं यह डिमान्ड करता हूँ कि इस पर भी टैक्स लगाना चाहिये, इसकी भी चैकिंग होनी चाहिये। आज कोऑपरेटिव मूवमेंट पर स्कूलर निकलते हैं, हर इस महा मानव को कोऑपरेटिव से भी छोड़ रखा है कि तुम तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। यह हमारी गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की, डिक्लेअर्ड पॉलिसी है, यह हमारी राजस्थान गवर्नमेंट की डिक्लेअर्ड पॉलिसी है, यह हमारी कांग्रेस की डिक्लेअर्ड पॉलिसी है कि हम कोऑपरेटिव मूवमेंट को चलाना चाहते हैं। फिर क्या वजह है कि खादी पर यह मूवमेंट लागू नहीं होता, कोऑपरेटिव मूवमेंट इस पर भी लागू होना चाहिये। क्यों नहीं इस पर टैक्स लगाते ?

आज हमारे सामने एम्प्लॉयमेंट की समस्या है। इस समस्या को यदि हम हल करना चाहते हैं तो खादी पर टैक्स लगाना चाहिये, चाहे नोमिनल टैक्स ही लगायें, इस

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

पर चुंगी लगाये, कुछ न कुछ चैकिंग इस पर लगाना बहुत जरूरी है। चैकिंग लगा कर हम देख सकते हैं कि कितने गरीबों को इससे काम मिल रहा है, इससे कितने गरीबों का आगे बढ़ना हो रहा है, इस चैकिंग से हम चोरी को रोकेंगे।

मेरी डिमांड है कि इस तरह का चैकिंग खादी के ऊपर लगाइये। इस तरह के चैकिंग और सेस से, टैक्सेज़ से, खादी को छोड़ना ठीक नहीं है। जो पैसा चन्द लोगों के पास जाता है वह पैसा उन्हीं लोगों के काम में आता है और जो खादी पर टैक्स लगाने से पैसा आयेगा वह सरकार के पास आयेगा। जो पैसा सरकार के पास आता है तो वह जनता के पास जाता है तो इस तरह खादी पर टैक्स लगाने से जो पैसा आयेगा वह जनता पर ही खर्च किया जायेगा। इससे चैकिंग होगा कि कितनी खादी आई, कितना सूत आया, कितना सूत मिल का आया और कितना हाथ का कता हुआ सूत आया। इससे हम खादी पर चैकिंग कर सकेंगे। खादी हमारी चीज है। हमारी चीज को आगे बढ़ाने के लिये जरूरी है कि उसका चैकिंग भी हो जाय। हमारी चीज को एग्जेम्प्शन देना चाहते हैं तो इसके माने यह होने चाहिये कि हम उस क्लास को एग्जेम्प्शन देना चाहते हैं जो इसका उपयोग करती है, बजाय इसके कि हम खादी बोर्ड या खादी कमीशन को दें। इसमें शक नहीं कि खादी पवित्र है। मैं खादी का समर्थक हूँ, खादी के लिये जोश के साथ मैंने अपने विचार रखे हैं। मैं खादी के विरोध में नहीं हूँ। यह खादी गरीबों की रोजी है, यह हमारी लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार था, पर आज जो इसके साथ व्यभिचार हो रहा है उसके बारे में कहना है। इसके ऊपर इस प्रकार का चैकिंग लगाना चाहिये।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री मुक्तलाल मोदी !

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय सभापतिजी, आज हाउस में टैक्सेशन का बिल आया है........

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : टैक्सेशन का कहां है ?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : ठीक है। टैक्सेशन का ही तो है।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : यह तो इलेक्शन का बिल है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अच्छा, इलेक्शन का समझ लो।

हां, तो सभापतिजी, आज जो यह बिल हाउस में आया है और राजस्थान सरकार ने टैक्स लगाये हैं, जो टैक्स लगाये जाते हैं, जिस तरह राजस्थान सरकार ने टैक्स लगाये हैं, इससे कितने लोगों को परेशानी होगी कितने लोगों को दिक्कत होगी ! यह टैक्स राजस्थान में इस तरह का नहीं लगाना चहिये था। मैं यह नहीं कहता कि टैक्स न लगे, टैक्स जरूर लगाना चहिये पर जिस तरह राजस्थान सरकार लगाती है उस तरह नहीं लगाना चाहिये। टैक्स ढंग से

(श्री मुन्शीलाल मोदी)

लगाना चाहिये। जिस तरह के टैक्स राजस्थान सरकार ने लगाये हैं उन टैक्सेज़ से छोटे छोटे काम धंधे करने वाले लोगों को बहुत परेशानी है। हम गांवों में जाते हैं और शहरों में भी यहां लोगों से बातें करते हैं तो पता चलता है कि इन टैक्सेज़ से जनता बहुत परेशान है। इन टैक्सेज़ से बिचली श्रेणी की जनता बहुत ज्यादा परेशान है, जो बड़ी श्रेणी के लोग हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी इनसे नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी है कि बड़ी श्रेणी के लोग जितने सरकार टैक्स लगाती है उससे परेशान नहीं होते, इससे उनको उल्टे खुशी होती है क्योंकि वे लोग देखते हैं कि टैक्सेज़ बढ़ने से बिचली श्रेणी के लोग परेशान होकर लोगों का आसरा लेंगे तो ऐसी हालत में बड़ी श्रेणी के लोगों पर टैक्स लगाने से बिचली श्रेणी के लोगों को आराम मिल सकता है। तो टैक्स बिचली श्रेणी के लोगों पर न लगा कर बड़ी श्रेणी के लोगों पर लगाना चाहिये।

पैसेन्जर टैक्स पिछली बार भी सरकार ने लगाया था और अब फिर पैसेन्जर टैक्स बढ़ाया है। मोटर मालिक मोटरों का टैक्स देते हैं। उसी पर पैसेन्जर टैक्स बढ़ा देते है कि इतना रुपया टैक्स का जमा कराते हो उसकी बजाय अब इतना रुपया मोटर और ट्रक का और होगा तो खुशी से वे लोग रुपया दे देते वर्ना इस प्रकार से टैक्स लगाने से इन लोगों को बड़ी परेशानी है कि हिसाब बनाओ। एक आदमी को तो हिसाब–किताब रखने के लिये ही रखना पड़ता है। कई दफा मैंने खुद ने मोटरों में देखा है कि कन्डक्टर कभी भूल जाता है या जल्दी से टिकट नहीं दे सकता है तो उसको इतनी दिक्कत होती है। कई कन्डक्टर्स तो सस्पेन्ड हुए हैं। ड्राइवर और कन्डक्टर लोग यात्रियों को बैठाते नहीं हैं, यात्रियों को चार-चार पांच-पांच घंटे खड़े रहना पड़ता है, जब तक टिकट नहीं बन जाय, टैक्स वसूल नहीं हो जाय तब तक ड्राइवर, कन्डक्टर यात्रियों को बैठाते नहीं हैं।

जितने टैक्स लगाते हैं उनसे आप लोगों को जो हाउस में बैठे हैं उनको दिक्कत होगी, मेरे को नहीं होगी, मेरे जैसे लोगों को नहीं होगी। मैं यह नहीं कहता कि टैक्स मत लगाओ, टैक्स लगाइये, इनसे प्लान चलेंगी, पर टैक्स उन लोगों पर लगाइये जो बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रीज़ लगा कर बैठे हैं जिन लोगों ने सरकार से लोन लिये हैं, इन्डस्ट्रीज के लोन लेकर इन्डस्ट्रीज़ चलाते हैं और इन्डस्ट्रीज़ से कमाते हैं। उन बड़े बड़े लोगों पर टैक्स नहीं लगा कर उन दूसरी तीसरी श्रेणी के लोगों पर टैक्स लगाते हैं, जो उन इन्डस्ट्रीज़ का सामान काम में लेते हैं। तो दूसरी और तीसरी श्रेणी के लोगों पर टैक्स न लगा कर इन्डस्ट्रीज़ के मालिकों पर टैक्स लगाना चाहिये।

दूसरी और तीसरी श्रेणी के लोग छोटी सी दूकान लेकर या छोटा सा काम धंधा लेकर गांवों में बैठते हैं। तो आज हर आदमी उनके सामने शेर बन कर चला जाता है और वह समझता है कि इन्सपेक्टर आया और उसके पीछे एक वकील साहब भी हो जाते हैं। दोनों पीछे पीछे जाते हैं तो वे गांव में पढे-लिखे लोग तो हैं नहीं क्योंकि आज हम देखते हैं कि राजस्थान में

(श्री मुन्शीलाल मोदी)

बहुत कम लोग पढ़े—लिखे हैं इससे वे बहुत परेशान होते हैं और उनको इन टैक्सों से इतनी दिक्कत उठानी पड़ती है कि गांव में और शहरों में रहने वाले लोग हैं वे इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनको परेशानी होती है। मेरा तो सरकार से यही कहना है कि इसको हटाया जावे। मैंने दूसरे कन्ट्रीज में जाकर देखा है। वहां पर भी टैक्स जरूर हैं, मगर हिन्दुस्तान में टैक्स लगे हैं उससे जनता परेशान है। मैं यह नहीं कहता कि टैक्स नहीं लगना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : आप कौनसे परेशान हैं ? आपने विवाह नहीं किया है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : विवाह पर भी टैक्स होता है। आप जैसों ने शादी की है। मैं यह नहीं कहता कि टैक्स मत लगाओ। मगर मैं यह कहूँगा कि टैक्स ढंग से लगाओ। जब ९५ प्रतिशत एज्यूकेशन हिन्दुस्तान में लोगों में हो जावे तब आप यह सोचें कि हर स्त्री या पुरुष पढ़ा-लिखा होगा और टैक्स का हिसाब रख सकेगा। अगर पुरुष कमाने के लिये बाहर जाएगा तो स्त्री ही भर कर फोर्म दे देगी।

परन्तु आप जो टैक्स लगा रहे हैं, आज कम से कम ७४ पर्सेन्ट लोग जो धन्धा करने वाले हैं बिना पढ़े-लिखे हैं और बड़े बड़े लोग बिना पढ़े लिखे हैं। सेल्स टैक्स और मोटर का हिसाब रखने में उनको बड़ी दिक्कत होती है।

डॉ० बहादुरसिंह : औरतों का हिसाब पढ़े-लिखे लोग करते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसके बाद मैं यह कहूँगा कि जहां सेल्स टैक्स से आप एक रुपया वसूल करते हैं और दूसरे आदमी से वे लोग १॥ रुपया वसूल करने की कोशिश करते हैं। इसलिये राजस्थान सरकार को चाहिये कि जितने साधन जनता को देंगे उतना ही समाजवादी समाज की नींव को कायम करने में आपका नारा सफल होगा अन्यथा असफल होगा और जितनी लोगों को असुविधा देंगे उतना ही नारा आपका असफल होगा।

हम आपसे यह आशा करते हैं कि हाउस में जो यह बिल रखा है उसको पास नहीं करके इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

(विराम)

सिलेक्ट कमेटी के पास नहीं जाने को है तो पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जावे और उसके बाद में इस बिल को पास किया जावे।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : श्रीमान्, आज फाइनेन्स बिल, १९६१ पर वाद-विवाद हो रहा है। कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस पर रखे हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि देश के विकास के लिए कर लगाने चाहिए। यद्यपि मैं मानता हूं कि विरोधी पक्ष की सदैव यह इच्छा रही है कि वे विरोध करें और आन्दोलन का हथियार भी उनके पास रहा है। जब सरकार कर लगाने के लिये विधेयक लाती है तो वे इसका विरोध करते हैं और जहां तक उनके विरोध का प्रश्न है यह स्वाभाविक भी है। क्योंकि उनका

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

अस्तित्व आज इसी पर निर्भर है। क्योंकि वे करों का विरोध करें और जब जनता पर इन करों का भार मालूम होता है तो स्वभाविक है कि जनता उनकी तरफ खिंचती है।....

ठाकुर श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आप इस बात को मानते हैं कि ये कर जनता पर भार हैं, इसको तो आप मानते हैं।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : भार तो है ही, इससे कौन इन्कार कर सकता है ? लेकिन हमें आज अपने देश को आगे बढ़ाना है और हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ा सकते हैं ? क्या अंग्रेज लोग हमें विरासत में कुछ सम्पत्ति दे गये थे कि जिससे हम आगे बढ़ते चलें ? आपके पास कौनसी ऐसी शक्ति है, कौनसा ऐसा साधन है जिसके जरिये हम आगे बढ़ सकते हैं ? यह तो हमारे यहां शुरूआत है। हमारे देश के विकास के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि कर लगावें। बिना कर लगाये देश आगे नहीं बढ सकता।

आज हमारे देश में तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है। आज हम देखते हैं कि हमें हर बड़ी इन्डस्ट्री के लिये दूसरों का मुंह देखना होता है। आज हमारे हिन्दुस्तान में पूर्ण रूप से हवाई जहाज नहीं बना सकते। छोटे से छोटे पुर्जे भी बाहर से लाने पड़ते हैं। आज भिलाई का कारखाना बनता है। पर वह कैसे बनेगा। हिन्दुस्तान को देखना है कि हमें किसी तरह से आगे बढना है। मैं यह कहूंगा कि आज हिन्दुस्तान की इतनी इज्जत है, इतनी साख है दुनिया के दूसरे देशों में, इसको करोड़ों और अरबों रुपया कर्ज के रूप में मिल जाता है। मगर आवश्यकता इस बात की है कि अगर देश में अपने साधनों को नहीं जुटायेंगे और पब्लिक के लोगों पर टैक्स नहीं लगेंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढेगा और हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि करों का भार किन लोगों पर लगने वाला है इसको देखा जावे। अगर हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको लगाया है तो ठीक है। अगर हमने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि किन लोगों पर यह टैक्स लगने वाला है और जिन पर यह लगने वाला है आया वे इसको बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं। अगर इसको ध्यान में नहीं रखा तो देश में मंहगाई जो आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है वह दिनों दिन बढ़ती जावेगी। तो आपके टैक्स लगाने का परिणाम क्या होगा ? वह विशियस सर्कल (vicious circle) बन जायगा। सरकारी अधिकारी या काम करने वाले मजदूर लोग होंगे उनका यह दृष्टिकोण होगा कि तनख्वाह बढ़ाई जावे। परिणाम क्या होगा ? परिणाम यही होगा कि आपको उनकी क्षतिपूर्ति करने के लिये फिर टैक्स लगाने होंगे। तो आपका यह विषाक्त सर्कल इसी तरह से चलता रहेगा और हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सकेंगे।

हम यह चाहते हैं कि हमारे देश की पैदावार बढे। हम इस बात को मानते हैं कि राजस्थान में अनाज की पैदावार बढ़ी है और टार्गेट से ज्यादा धान पैदा किया गया है। मगर हम देखते हैं कि भावों में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है। हम देखते हैं कि भाव इतने अधिक बढ़ गये हैं कि जनता की कमर

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

टूट रही है इसका कारण यह है कि दूसरी चीजों के भाव इतने बढ़ गये हैं कि उनके साथ साथ ये भी बढ़े हैं। एक तरफ भाव बढ़ते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि पैदावार बढ़ी है ? जब पैदावार बढ़ती है तो भावों में गिरावट आनी चाहिये । लेकिन आज हम देखते हैं कि कोस्ट ऑफ लिविंग इतना बढ़ता जा रहा है और पिछले दो महीनों में कोस्ट ऑफ लीविंग इन्डेक्स दो तीन पोइन्ट में रेज़ हो गया है । आज इसके कारण सरकार के मशीन को चलाने वाले कर्मचारी सार्वजनिक रूप से मांग करेंगे कि हमारा पे स्केल में रिवीज़न होना चाहिये, मज़दूर यह मांग करेंगे कि हमारे वेतनों में बढ़ोतरी होनी चाहिये । इसलिये आपका यह विशयस सर्कल (Vicious circle) इसी तरह से चलता रहेगा । आप टैक्स लगावें ।

आज हमारा अपना समाजवादी समाज का लक्ष्य है । आपको चाहिये कि जो टैक्स आप लगाते हैं उसका भार नीचे के लोग और मध्यमवर्ग के लोगों पर नहीं पड़ना चाहिये । मगर हम देखते हैं कि आपने केटल फीड पर भी टैक्स लगा दिया है। कोटन सीड (कपासिये) आदि तो जानवरों के काम आते हैं । जब आपने इन पर टैक्स लगा दिया है तो आप देखेंगे कि घी और दूध मंहगा मिलेगा । नतीजा क्या होगा ? नतीजा यही होगा कि मजदूरों से भी मध्यमवर्ग के लोगों की स्थिति खराब हो जावेगी । मैं इस बात को मानता हूँ कि सरकार को टैक्स लगाना चाहिये। मगर किन पर ? जो ऊंचे से ऊंचा तबका है उन पर लगाना चाहिये । इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आपको टैक्स लगाना चाहिये । उदाहरण के लिए आपको चाहिये कि गुड़ पर टैक्स न लगावें, क्योंकि यह आम लोगों के खाने के काम में आता है । अगर मीठे पर टैक्स लगाना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि शक्कर पर लगावें । गरीब आदमी तो गुड़ ही खाएगा, अगर उसको मीठा खाने का होगा, नीचे का तबका तो गुड़ की मीठी चीज खाना चाहेगा तो काम में ले लेगा । इसलिये इस नीति को ध्यान में रखते हुए टैक्स लगावेंगे तो ठीक होगा । यह आप कहेंगे कि मध्यमवर्ग भी विकास का लाभ उठाता है । यह ठीक है, मध्यमवर्ग भी लाभ उठाता है, मगर आपने अगर नीचे से नीचे लोगों को टैक्सों के भार से लाद दिया तो उनकी कमर टूट जावेगी और वे भार को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप टैक्स लगाते हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं।

श्रीमान्, दूसरी बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और वह यह है कि टैक्स वसूली में लीकेज नहीं होना चाहिये, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिये और मशीनरी जो इसके लिए काम में लाते हैं उस पर पूरा ध्यान रखना चाहिये, उस पर पूरा नियन्त्रण रखना चाहिये, जिससे गड़बड़ी न हो।

एक बात की ओर, श्रीमान्, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ । मेरा केवल इतना ही कहना है कि सरकार को बड़ी भारी संख्या में शराब से आमदनी होती है । एक दफा नारा लगाया था नमक बनाओ घर घर में । आज आप गांव गांव में जाकर, जगह जगह

Page No.97

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

जाकर देखेंगे कि शराब बनाग्र घर घर में, यह आप पायेंगे। आप उसको रोकते नहीं, कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ के रूप में शराब घर घर में बन रही है। पकड़े जाने पर आप मामला कम्पाउन्ड कर देते हैं। आपकी उनको कम्पाउन्ड करने की नीति है वह एक गलत नीति है और इसके कारण होता क्या है कि जो इस प्रकार से शराब बनाता है वह यदि पकड़ भी लिया जाता है तो उसको ५००) रु० जुर्माना कर देते हैं। जहां पांच हजार की आमदनी उसको होती है, पांच सौ का जुर्माना कर दिया तो उसका क्या हुआ? वह उसको दे देगा और भी उसके पास बच जायेगा। वह तो इस प्रकार से चलता रहेगा। इसलिए कर की जो आपकी नीति है, उसमें लीकेज होता है। वसूली की जो सरकार की नीति है उस पर नियन्त्रण सरकार का ढीला है, उस नियन्त्रण को आपको सख्त करने की जरूरत है, नहीं करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपने ट्रान्सपोर्ट का नेश्नलाइज़ेशन किया। हम उसका स्वागत करते हैं, हम मानते हैं कि ट्रन्सपोर्ट का नेश्नेलाइज़ेशन होना चाहिये, और चीज़ों का भी नेश्नलाइज़ेशन होना चाहिये। लेकिन आप देखिये, श्रीमान् ब्यावर अजमेर जयपुर मार्ग पर जो गाड़ियां चलती हैं वे सरकार की गाड़ियाँ खाली चलती हैं और प्राइवेट पार्टीज़ की गाड़ियां भरी हुई चलती हैं उनको भी आपने ओपरेट करने की इजाजत दे रखी है। यदि आपके सामने कोई कानूनी दिक्कत है तो आपको कानून को ठीक करना चाहिये।

जब कोई सरकार योजना बनाती है तो उसके परिणाम को सरकार को पहले से ही सोच लेना चाहिये। उसके अन्दर एक बड़ी चीज़ है। या तो सरकार किसी धन्धे को अपने हाथ में न ले, किसी धंधे का राष्ट्रीय करण न करे और जब सरकार राष्ट्रीयकरण करती है तो आपको प्राइवेट सेक्टर को इसके लिए सबक देना पड़ेगा और उनको यह सबक देना पड़ेगा कि तुमसे ज्यादा योग्यता से इस धंधे को हम चला सकते हैं, तुम से ज्यादा मुनाफे से इस धंधे को चला सकते हैं। जब तक आप इस प्रकार का सबक उनको नहीं देंगे और नहीं दे सकते हैं तो फिर आपका यह समाजवाद का और राष्ट्रीयकरण का स्वप्न पूरा नहीं हो सकेगा। समाजवाद का सिद्धान्त यह है कि कोई व्यक्ति विशेष सम्पति का, साधनों का स्वयम् मालिक न बने, समाज उसकी मालिक होनी चाहिये और जब सरकार मालिक होगी तो सारा देश उसका मालिक होगा और सब को ही उससे लाभ मिलेगा। जब हम देखते हैं कि आज जो ट्रान्सपोर्ट ओपरेटर्स हैं हमसे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। हजारों गाड़ियां रख कर भी सरकार उतना नहीं कमा सकती जितना प्राइवेट पार्टीज़ कम गाड़िये रख कर कमा लेती है। सरकारी गाड़ियां उन रूट्स पर खाली जाती हैं। अधिकारी उस ओर ध्यान नहीं देते हैं कि इससे कितना नुकसान होता है। रूट्स पर जाकर देख लीजिये, मालूम होगा कि कई दफा ऐसा होता है कि गाड़ियां बिल्कुल ही खाली जाती हैं। यदि एक दो दिन ऐसी स्थिति हो जाय तो उस ओर ध्यान भी न दिया जाय, लेकिन जहां एक ऑर्डिनेरी फीचर ऑफ दी डे बन जाता है वहां पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। यह समझ में नहीं आता है।

Page No.98

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

जनप्रिय सरकार के जो कन्सर्न्ड मिनिस्टर हैं उनको इसके लिए मालूम करना चाहिये और उनको यह एहसास होना चाहिये कि आखिर साल भर के बाद मुझे जवाब देना है, जनता को जवाब देना है, पैसे वाले तबके के मुकाबले में हमने राष्ट्रीय करण करके इसको चलाने का प्रयत्न किया है। जब राष्ट्रीयकरण किया है और इस प्रकार से ठीक नहीं चलता है तो यह देखना चाहिये कि क्यों नहीं ठीक चलता है। जब देश में राष्ट्रीयकरण की भावना पैदा करना चाहते हैं, समाजवाद की स्थापना जहां हम करना चाहते हैं तो यह नितान्त आवश्यक हो जाता है कि सरकार किसी भी धंधे को हाथ में ले तो वह उसको योग्यता से चलाये और उसको प्राइवेट धंधे वालों से अधिक मुनाफ़ा भी होना चाहिये। इस प्रकार से जनता की भी भावना इस ओर दृढ़ होगी। कर लगाने की आवश्यकता कम पड़ेगी उससे जनता पर कम भार पड़ेगा और योजनाओं की पूर्ति भी खूबी से कर सकेंगे। जो पब्लिक सेक्टर के जरिये से, साधनों के राष्ट्रीयकरण से पैसा आवेगा उससे योजनाओं को क्रियान्वित करने में ज्यादा सफलता मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में यह बात ठीक है कि वह व्यक्तिगत सम्पत्ति बनती है। सरकार इस धंधे को करती है तो राष्ट्र को लाभ ही मिलती है। इन्श्योरेन्स का राष्ट्रीयकरण किया सरकार ने तो वह योग्यता से चल रहा है। उतनी ही योग्यता से इन प्राइवेट सेक्टर में चलने वाले धंधों का सरकार राष्ट्रीयकरण करे तो सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति भी सफल होगी और योग्यता से नहीं किया तो राष्ट्रीयकरण की नीति सफल नहीं होगी। राष्ट्रीयकरण में लोगों का विश्वास नहीं होगा, समाजवाद में भी लोगों का विश्वास नहीं रहेगा। इसमें कोई दो बात नहीं हो सकती कि आज पूंजीपति लोगों के साधन ज्यादा हैं उनका ज्यादा प्रोपेगेन्डा है, अखबारों पर उनका ज्यादा कन्ट्रोल है, सरकार को हर प्रकार से वे बदनाम करने की कोशिश करते हैं और दूसरे पक्ष के लोग हैं वे भी सरकार को ज्यादा बदनाम करने की कोशिश करते हैं और आप-हम देख रहे हैं कि स्वतन्त्र पार्टी का प्रादुर्भाव भी इसी से हुआ और वे इसीलिए कहते हैं कि टैक्सेशन नहीं लगाना चाहिये। वे राष्ट्रीयकरण की नीति के विरुद्ध हैं, समाजवाद के विरुद्ध हैं और इसलिए जब तक सरकार ने योग्यता से राष्ट्रीयकरण की नीति नहीं चलाई तो सरकार का राष्ट्रीकरण करने का और समाजवाद का जो लक्ष्य है वह केवल स्वप्न मात्र की चीज़ बनी रहेगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि टैक्सों का भार मध्यम श्रेणी के ऊपर और गरीब, निम्न तबके के ऊपर नहीं पड़ना चाहिये।

एक बात और सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ। एक माननीय सदस्य ने कहा कि खादी पर सेल्स टैक्स लगा देना चाहिये। हमारे घर में एक बुराई है तो दूसरी बुराई को भी पैदा कर दे।

(विराम)

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अजमेर की लड़ाई यहां सदन में क्यों लाई जा रही है ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मेरा यह कहना है कि घर में एक लड़ाई है उसका मतलब यह नहीं है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : समझदारी पर रहम आता है।

श्री सभापति : आप दखल न दीजिये।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : I won't give way.

आप खादी पर बिक्री कर लगाना चाहते हैं, यह एक गलत चीज़ होगी। यदि खादी में कोई गड़बड़ है तो उसको रोकने का प्रयत्न करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : खादी में जो गड़बड़ी है उसको किस प्रकार से रोक सकते हैं उसके लिए भी कोई सुझाव रख दीजिये।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : यह तो सरकार का काम है। यदि उसमें मिलावट है

(विराम)

तो सरकार उसको रोक सकती है। चैक करा सकती है। मालूम कर सकती है कि किस तरह की खादी बिकती है। फर्ज़ी चीज़ बनाई जाती है तो उसकी जांच की जा सकती है। जिसने ऐसा किया है उसको ब्लेक लिस्ट किया जा सकता है, जो संस्थायें affiliated हैं उनको रोका जा सकता है और ऐसे व्यक्ति और संस्थाएं जो इस प्रकार की गलत बातें करते हैं उनको dis-affiliated किया जा सकता है और कर देना चाहिये और उनको विशुद्ध खादी बनाने की इज़ाजत नहीं दी जा सकती है। यदि बिक्री कर लगा भी दें तो भी गुंजाइश गड़बड़ी की वहां रहती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : खुद खादी पहिनते हो और खादी पर टैक्स नहीं देना चाहते हो।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : तो फिर चार आना छूट देते हैं वह भी नहीं देनी चाहिये।

दूसरा दृष्टिकोण यह है कि जो गरीब मातायें और बहिनें हैं, जिनकी रोज़ी ही इसी पर आधारित हैं, जो खादी के धन्धे में कमा कर खाना चाहती हैं, जिनके सामने रोटी-दाने का प्रश्न है, क्या आप उनकी रोज़ी छीनना चाहते हैं। यदि कोई गलती करता तो सजा उसको देनी चाहिये, जो करता है उसको मारना चाहिये। इधर सरकार चार आना, पांच आना सहायता देती है और दूसरी तरफ बिक्री टैक्स लगा देते हैं तो क्या फिर गड़बड़ी नहीं होगी ? होगी। उसको रोकने का तरीका यह है कि समय समय पर सरकार छानबीन करे, जो गड़बड़ी करता पाया जाय उसको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाय। इसके लिए आप लेजिस्लेशन ला सकते हैं, स्पेशियल लेजिस्लेशन से इसको दंडनीय बना सकते हैं, सजा प्रेस्क्राइब कर सकते हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी (पृथक राजस्व मन्त्री): खादी के ऊपर टैक्स का इसमें सवाल नहीं है।

Page No.100

श्री सभापति : Please conclude.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : श्रीमान्, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ....

श्री चन्दनमल बैद : शर्माजी ने जो कहा है उसका जवाब देना चाहते हैं।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : अब मैं कुछ स्टाम्प ड्यूटी के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। स्टाम्प ड्यूटी पर और कोर्ट फीस पर भी टैक्स बढ़ाया है। जहां हम यह चाहते हैं कि इन्साफ सस्ता मिलना चाहिये वैसी हालत में मेरा यह निवेधन है कि इस पर टैक्स न लगा कर दूसरी चीजों पर टैक्स लगाते हैं जिसका भार मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पर न पड़ता हो वैसा टैक्स हमें लगाना चाहिये। वैसी हालत में इन्साफ सस्ता मिल सकेगा। इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूँ कि कर के सम्बन्ध में कोई एक आदमी बैठ कर निर्णय नहीं करता, बीस आदमियों का सलाहकार बोर्ड होता है वह अपने प्रोपोजल्स सरकार के सामने रखता है और उसके बाद सरकार कर लगाती है अगर वह लीक हो जाये तो उसका व्यापारी वर्ग बहुत लाभ उठा सकते हैं, इसलिये यह होता है कि इस चीज की मालूम किसी को न हो, ऐसी हालत में मेरा निवेदन यह है कि टैक्स इस प्रकार के हों जिससे मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पर उसका भार न पड़े।

सभापति महोदय, सन् ५७ में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि ऊन पर सेल टैक्स नहीं लगाना चाहिए एक पर्सेन्ट जो ऊन पर टैक्स लगाया था उसके व्यापार को नुकसान हुआ है। यह जो ऊन है वह हमारे यहां पैदा नहीं होती है, हमारे यहां से बाहर जाती है राजस्थान में थोड़ी बहुत पैदा जरूर होती है

लेकिन इसका जो व्यापार है वह बाहर पर निर्भर है। वन पर्सेन्ट उस पर कर लगा रखा है उसकी जरूरत नहीं है। इसके लिये एग्जेम्शन का जो सर्टिफिकेट देते हैं उसका लाभ नहीं होता है उससे नुकसान होता है। वहां भी गड़बड़ होने की आशा होती है। इसलिये जिस चीज का व्यापार हमारे हाथ में नहीं उस पर बिक्री कर लगाना उचित नहीं। सिर्फ राजस्थान के अन्दर उसकी सफाई होती है अमेरिका रूस इग्लैन्ड में उसका बेचान होता है। वहां पर उसकी कीमत आंकी जाती है यह सारा धंधा बाहर होने के नाते इस बिक्रीकर की लिस्ट से निकाल देवें तो इससे व्यापार को सहूलियत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय चेयरमैन, इस फाइन्स बिल पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी राय सदन के सामने रखी और राय रखने में उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट को इस बारे में क्रिटिसाइज किया। जो समाजवाद का ढांचा है वह समाजवाद का ढांचा टैक्स लगा कर या जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था प्राइवेट प्रोपर्टी को कब्जे में लेकर नेशनलाइज् करके यदि हम चलते हैं तो तभी समाजवाद कांग्रेस गवर्नमेन्ट ला सकती है। मैं कम से कम समाजवाद का विशेसज्ञ तो हूं नहीं लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस समाजवाद नहीं

(श्री श्रीमानसिंह)

ला सकती, उसका समाजवाद लाने का तरीका गलत है, इस बारे में मेरा नम्र निवेदन है कि जिन्होंने यह कहा है वे समाजवाद को समझते नहीं हैं। समाजवाद केवल नेशनलाइजेशन से नहीं आ जाता, यदि नेशनलाइजेशन से ही आ जाता तो अमेरिका जो केपीटलिस्ट कन्ट्री है वहां बहुत सी चीजें नेशनलाइज्ड हैं, ब्रिटेन जहां कन्जरवेटिव गवर्नमेन्ट है वहां भी बहुत सी चीजे नेशनलाइज्ड हैं तो केवल नेशनलाइजेशन से ही समाजवाद आ जाता है तो इन देशों में भी आ जाना चाहिये था। नेश्नलाइजेशन के जरिये जो पब्लिक युटिलिटी की चीजें हैं उनको केवल नेशनलाइज किया जा सकता है और स्टेट गवर्नमेन्ट करती भी है।

दूसरा, उन्होंने यह कहा कि प्राइवेट प्रोपर्टी नहीं रहनी चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता, इतना Con used thinking किसी माननीय सदस्य का नहीं हो सकता है। आखिर समाजवाद के अन्दर इनसेन्टिव्ज रखने होंगे, वेजेज में, सेलरीज में इनसेन्टिव्ज रखने हैं। जो हम प्राइवेट प्रोपर्टीज को अबोलिश कर दें तो वह समाजवाद नहीं, साम्यवाद होगा। मुझे उनकी समाजवाद की परिभाषा सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ आखिर वे समाजवाद के एडवोकेट हैं या पूंजीवाद चाहते हैं, या साम्यवाद चाहते हैं या क्या, यह मैं नहीं समझ सकता।

समाजवाद का जो नारा है उसका यह मतलब नहीं कि समाजवाद ओवर नाइट आ जाय, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आखिर समाजवाद हम तभी ला सकते हैं जब हम देश को आर्थिक स्थिति को सुधार लें। जब तक हमारे देश, हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती समाजवाद का नारा होते हुए भी हम एक दिन के अन्दर समाजवाद नही ला सकते। वह यदि आता है तो वह समाजवाद नहीं होगा वह कुछ और होगी। राजस्थान के अन्दर कहा जाता है कि टैक्स लग रहा है वह गरीब आदमियों पर लग रहा है और अमीरों पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर आखिर अमीरों की संख्या कितनी है, पूंजीपतियों की संख्या कितनी है? ज्यादा से ज्यादा आप अमीरों

(४.३० म० प०)

में जिनको ले सकते हैं तो भूतपूर्व रियासतों के दस पन्द्रह राजाओं को ले सकते हैं। दूसरा नम्बर, आप राजस्थान के जागीरदारों को ले सकते हैं जिनकी संख्या तीन, चार हजार से ज्यादा नहीं होगी। फिर उसके बाद थोड़े से पांच या आठ इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं जिनको आप गिन सकते हैं तो इस तरह से तीन-चार हजार लोगों पर कर लगा कर ही यहां को आर्थिक स्थिति सुधर सकती है? अगर हम इन सब की पूंजी को कोन्फिस्केट करें और उसका समान वितरण कर दें तो भी राजस्थान राज्य की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। हमारे देश के अन्दर हम देखते हैं बहुत कम आदमी तो अमीर हैं और बहुमत गरीबों का है। हम इस बात को सामने रखते हैं कि ७५ प्रतिशत आबादी काश्तकारों की है, बाकी के कुछ शहरों में रहते हैं। तो हम इसी आधार पर काश्तकारों की संख्या और शहर की आबादी को ध्यान में रखते हुए टैक्सेशन लगाते हैं। तो यह टैक्स का भार सभी पर चाहे

(श्री श्रीमानसिंह)

वह अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो सभी पर लगता है तभी राजस्थान की और भारत की आर्थिक स्थिति को हम सुधार सकते हैं और उसमे हम हमारी जो विकास की योजनायें हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं।

किसी माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि इन वर्गों को छोड़ दो और इन इन वर्गों को टैक्स करो, जिससे राजस्थान की आर्थिक स्थिति सुधर सके। इतना जरूर कहा था जो माननीय सदस्य अजमेर से आते हैं उन्होंने, उससे ऐसा पता चलता था कि वे I. N. T. U. C. के लीडर हैं और मजदूरों से उनको वोट लेना है........

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : यह तो आपके दिमाग की सूझ है।

श्री श्रीमानसिंह : उन्होंने नई आर्थिक व्यवस्था राजस्थान सरकार के सामने रखी। उनका यह कहना था कि अगर हम टैक्सेशन करते हैं इनफ्लेशन बढ़ेगा। टैक्सेशन की आर्थिक व्यवस्था से इनफ्लेशन कैसे बढ़ेगा,यह समझ में नहीं आया। आर्थिक नीति यह है कि जितना मनी सक होवेगा, करेंगा उतना ज़्यादा मनी इनवेस्ट करेंगे तो इनफ्लेशन बढ़ेगा। टैक्सेशन द्वारा इनफ्लेशन करना होता है तो यह कहना कि टैक्सेशन द्वारा इनफ्लेशन बढ़ेगा, ठीक नहीं हैं। जिन माननीय सदस्य का यह कहना है वे शायद किसी वर्ग का समर्थन चाहते हैं, उसमें प्रभाव रखना चाहते हैं।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : एक तो वोट के लिये कहते हैं और आप टिकट के लिये कह रहे हैं।

श्री श्रीमानसिंह : आप तो जीत कर आने को नहीं हैं इसलिये मैं आपसे वाद-विवाद में पड़ना नहीं चाहता। टैक्सेशन से इनफ्लेशन नहीं बढ़ता।

दूसरा सवाल, जो उन्होंने रखा वह यह रखा कि आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिये। सभी चाहते हैं कि लोगों का लिविंग स्टेन्डर्ड बढ़े और प्राइसेज को चैक में रखा जाय।

पर दूसरी तरफ यह समस्या आती है सेंसस की। नये सेंसस ने यह प्रूव कर दिया कि पोपुलेशन के जितने फिगर्स हम मान कर चलते थे, सब गलत थे। हमारी पोपुलेशन ४३३ मिलियन के करीब हो गई और राजस्थान की पोपुलेशन भी २६ पोइन्ट समथिंग बढ़ गई है। तो जिस रफ्तार से पापूलेशन बढ़ी हमारा प्रोडक्शन उस लेवल पर उस रफ्तार से नहीं बढ़ा। तो पापूलेशन और प्रोडक्शन जब बराबर हो जावेगा, इधर तो पोपुलेशन को चैक करेंगे और उधर प्रोडक्शन इन्क्रीज करेंगे तो निश्चय ही प्राइसेज कम होंगी और हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी।

रहा सवाल कि इनीशियल स्टेज पर प्लान को कैसे फाइनेन्स करें? हम चाहे रूस को लें, यू. के. को लें या यू० एस० ए० को लें, जिन्होंने भी अपना आर्थिक स्टेन्डर्ड बढ़ाया है इनीशियल स्टेज पर अपनी कन्जम्पशन को कर्टेल किया है। थोड़े दिनों के लिये, थोड़े साल के लिये अपने

Page No.103

(श्री श्रीमानसिंह)

बैल्ट को टाइट किया है। तो इसी तरह अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी नहीं क्योंकि आखिर हरेक को हर चीज़ चाहिये और आपके पास गाइडेन्स, मनी और साधन नहीं कि उनकी मांग को एक बार ही पूरी कर दें इनीशियल स्टेज पर ही।

यह कहा गया कि सबसे ज्यादा टैक्स काश्तकार पर पड़ता है। यह मेरे मानने में नहीं आता। ज्यादा टैक्स अरबन एरिया के आदमी पे कर रहे हैं। इन्कम टैक्स वे पे करते हैं, अन्य टैक्स वे पे करते हैं। रूरल एरिया में टैक्स हैं कितने और उनकी नीड्स क्या हैं? उनकी अर्जेन्ट नीडस हैं मिल्क, घी, खाना और कपड़ा। वे उनको खुद को उपलब्ध हैं। जितना प्रोड्यूस वह करता है उसमें सबसे पहले अपने घर के अन्दर कन्जम्पशन के लिये रख लेता है, बाकी सरप्लस को मार्केट में लाता है। तो जो अनआर्गनाइज्ड सेक्टर है वहां तो सबसे ज्यादा हम टैक्स करते हैं, १० परसेंन्ट शहरों में तो रूरल एरिया में ३ पर्सेन्ट आयेगा। और यही टैक्सेशन एनक्वायरी कमेटी ने calculation करके भी दिया है। अनइक्वल डिस्ट्रिब्यूशन है यह। रूरल इकोनोमी पर बरडन को हम कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते। हां विलेज में स्माल होल्डिंग के आदमी के लिये कहा जा सकता है कि उसके लिये यह टैक्सेशन ज्यादा है जरूर क्योंकि अनइकोनोमिक होल्डिंग से वह इतना भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता कि अपना गुजारा भी चला सके। फिर सरप्लस को बाजार में लाना तो उसके लिये इम्पोसिबल है। तो यह मैं जरूर मानता हूँ कि अनइकोनोमिक होल्डिंग वाले पर भार ज्यादा है। इसके लिये लैण्ड रेवेन्यू की पॉलिसी में चैन्ज होने से भार हलका हो सकता है।

अब जनसंघ के माननीय सदस्य जो जौहरी बाजार से आते हैं उनका कहना मेरी समझ में नहीं आया कि उनकी यह स्पिरिट बार बार उसी चीज को दोहराने की कैसे डिविडेन्ड पे करेगी? गवर्नर के एड्रेस पर यही आरोप लगाये, फाइनेन्स मिनिस्टर पर आरोप लगाये और इसके लिये लीडर ऑफ दी हाउस ने उत्तर भी दे दिया। एप्रोप्रियेशन बिल पर फिर उन्हीं आरोपों को रिपीट किया, फिर उत्तर मिल गया। आज फाइनेन्स बिल आया तो फिर उन्हीं को रिपीट किया। अगर लेजिस्लेचर का मतलब यही है कि पर्सीक्यूट ही करना एक आइटम को, तो, यह उचित नीति नहीं है, इसको फोलो भी नहीं करना चाहिये। जब एक बात एक बार उठाई और उसका जवाब मिल गया तो फिर चाहे उससे सेटिसफाइड न भी हों तो भी फिर उसे ड्रॉप कर देना चाहिये। अन्त में चैयरमैन महोदय, मैं सारे टेक्सेशन प्रोपोजल्स को सपोर्ट करते हुए सेल्स टैक्स की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ और मैं यह समझता हूँ कि इससे जरूर कुछ जो छोटे व्यापारी हैं परेशान होते हैं। या तो उनकी परेशानी को हटाने के लिये दस रुपये का एग्जेम्पशन तय लाइसेन्स करें, नहीं तो उनको भी इन्टर्नल रिटर्न सब्मिट करना पड़ता है, अकाउन्ट रखना पडता है और कई तरह की दिक्कतें आती हैं।

फिर आपने यह जो एक्सपोर्ट पर सेल्स टैक्स लगाया है उसमें भी शायद १२ हजार की लिमिट है। अब यह एग्जेम्पशन लिमिट

(श्री श्रीमानसिंह)

आसानो से कोई भी अगर १४-१८ रुपया मन के भाव से भी गेहूँ बेचे तो पार कर सकता है। तो अगर इसमें हार्डशिप को मिटीगेट करना चाहते हैं तो एग्गेम्पशन लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। इससे आपको थोड़ा लाइसेन्स फी का नुकसान है तो उस नुकसान को लाख पचास हजार तक रिटर्न केलकुलेट करके पूरा कर दें तो छोटों की हैन्डीकेप को अवोइड कर सकते हैं।

आगे आपने इन्टर स्टेट टैक्स लगाया। और एक पर्सेन्ट लगाया। इसमें दूसरे प्रान्त में रजिस्टर्ड डीलर होना जरूरी है, नहीं तो सात पर्सेन्ट हो जायेगा। जहां तक मेरी सूचना है यू. पी. और पंजाब में दूसरे प्रान्तों में सेल्स टैक्स नहीं लगता और उनका रजिस्ट्रेशन भी कम्पलसरी नहीं है। तो इसको अवोइड करने के लिये हमें यह सोचना पड़ेगा कि आखिर एक पर्सेन्ट सेल्स टैक्स उन व्यापारियों पर इतनी अनड्यू हार्डशिप तो इम्पोज़ नहीं करती कि जिसको वे बर्दाश्त नहीं कर सकें; इसमें जैसा कि शायद पंजाब में है उन्होंने ०. ७५ नये पैसे लगाया है बजाय इसके कि एक पर्सेन्ट मैग्ज़ीमम लगाते। तो इसको भी हमें करना पड़ेगा।

दूसरा, हमारे यहां पल्सेज और सीरियल्स के बाई प्रोडक्ट्स हैं जैसे चन्ना का छिलका वगैरह उनको भी आपने टैक्स किया है। यह कैटल फोडर है और पंजाब यू. पी. में एज ए कैटल फोडर ही काम में लिया जाता है। तो इसको भी एग्ज़ेम्शन लिमिट से हटा देते हैं तो कोई सरकार को नुकसान नहीं होगा।

चौथा, यह कि ग्रेन और पल्सेज़ पर टैक्सेशन की नीति रही है। इससे एक चीज़ है। हमारे यहां फ्लोर मिल्स की संख्या कम है। ज्यादातर हम एक्सपोर्ट करते हैं। यू. पी. में ज्यादा मिले हैं। पर जब हमारे यहां पॉवर काफी और सस्ता मिल जावेगा तो बहुत से आदमी यहीं इन्डस्ट्री और फ्लोर मिल्स शुरू करना चाहेंगे। तो इस टैक्स को इस लाइट में आप देखें। अगर फ्लोर मिल और दाल मिलों को आप एन्करेज करना चाहते हैं तो इस सेल्स टैक्स को घटाया जावे या किसी तरह एग्जेम्प्शन दिया जावे। इससे इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : मैंने जनरल टॉपिक यह देखा कि जो कांग्रेस पार्टी वाले हैं सिर्फ यह कह देते हैं कि ऑपोज़ीशन वाले हर वक्त टैक्सेशन के मामलों में आपोज कर देते हैं। मैं कहता हूँ अपोजीशन ऐसी चीज है कि अगर आप गलत चीज पर चलते हैं तो आपोजीशन ब्रेक देकर आपको सही रास्ते पर ले आवे। आप समाजवाद का नारा लगाते हैं, पर आपका टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिससे वीक सेक्शन और वीक होता है। आपकी टैक्सेशन की पॉलिसी के कारण नीचे का वीक सेक्शन ऊपर नहीं आ सकता है।

इस बिल के अन्दर मैं देखता हूँ कि इसके क्लॉज़ ६ (६) में ऑइल केक्स के ऊपर भी नये सिरे से टैक्स लगाया है। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। आप देखेंगे कि हमारे प्लानिंग को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चरिस्ट बैकबोन है और आप देखेंगे कि पशुपालक आज भी गिरी हुई हालत में है और

(श्री दलपतसिंह)

उनकी आज कन्डीशन ऐसी नहीं है कि वह पशुओं को अच्छा चारा दे सकें और अच्छा फोडर देकर उनकी अच्छी हैल्थ और तन्दरुस्ती रख सकें। तो जो पशुओं का घास और चारा है उसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं मैं इसका घोर विरोध करते हुए यह निवेदन करूंगा कि गरीब सेक्शन के ऊपर टैक्स लगने वाला है जो कि पहले से ही वीक है। इसके अलावा आपने जो गुड़ के ऊपर टैक्स रख दिया है इसका भी घोर विरोध करूंगा। अगर आप शुगर या और ऐसी चीज पर जो कि लग्जूरियस होती है उस पर टैक्स लगा देते हैं तो मुझे एतराज नहीं होता लेकिन जो एग्रीकल्चरिस्ट के लिए टॉनिक है उसके आप टैक्स लगाते हैं तो मुझे उसके लिए खेद होता है। बरसात के दिनों में अगर कोई डिजीज़ से बचा सकता है तो वह गुड़ है। गुड़ ही उसको बचा सकता है, क्योंकि बाजरे के सोगरे के ऊपर गुड़ स्वीट डिश के मुताबिक वह enjoy कर सकता है....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : और इस गुड़ की शराब बनती है।

श्री दलपतसिंह : वह जनसंघ वाले करें, रामराज्य वाले नहीं करेंगे।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : रामराज्य वालों के लिए तो मक्खी पांती में आयेगी।

श्री दलपतसिंह : एक तो एग्रीकल्चरल फूड के लिए और गुड़ के लिए जो टैक्स है इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर से टैक्स बिल्कुल हटा देना चाहिए। जैसा कि आपके ओरीजिनल बिल के अन्दर यह है :

"No taxation shall be payable on the sales or purchase of the following goods-"

उसके अन्दर कैटल फीड एग्जेम्टेड था। अब आपने इसमें कैटल फीड इन्क्लुडिंग ऑइल केक्स ले लिया है। अगर पशुओं को अच्छा चारा मिलता है तो इससे घी के प्रोडक्शन में वृद्धि होती है और वह हमारे हर नागरिक के ऊपर असर करती है। आप देखेंगे कि डालडा हर तरह की बीमारी फैलाने में मदद करता है। आप देखते हैं कि विधान सभा में हम चला रहे हैं कि डालडा को किसी तरह भी बन्द कर दें, ताकि जो पशु ब्रीडर हैं उनको और पैसा कमाने का साधन हो जायेगा। डालडा सस्ता होता है, अगर वह नहीं हो तो पशु पालने वाले पशु पाल कर और घी बना कर अपनी स्थिति को ऊंचा उठा सकते हैं। आप डालडा में कलरिंग इन्ट्रोड्यूस करके उसको मदद पहुंचा सकते हैं। यह जो चराई के स्थान हैं हम रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से निवेदन करते हैं कि पशुओं के लिए लैण्ड की कमी है, उनके लिए ग्रेजिंग का कोई स्थान नहीं है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरे मीन्स से अगर चारा अवेलेबल होता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाने जा रहे हैं तो उसका असर डाइरेक्ट पशुपालकों के ऊपर पड़ेगा। ऐसे संकट के अन्दर उस तबके ऊपर आप यह टैक्स मत लगायें। आपको टैक्सेशन लगाने की क्यों जरूर पड़ती है ? आपका बजट घाटे में जाता है उसका कारण यह है कि आपके जो कलेक्शन के तरीके हैं उनमें बहुत गड़बड़ियां

(श्री दलपतसिंह)

होती हैं। जैसे कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि एक्साइज़ डिपार्टमेंट वाले ठेकेदार हैं उनको शिड्यूल प्रोफिट जैसे २० हजार का होता है लेकिन ठेका १ लाख के अन्दर होता है उसका कारण एक यही है कि पानी मिला कर एक लाख का प्रोफिट लेते हैं। जो माननीय सदस्य ने बताया वह बिल्कुल ठीक है। आप २० हजार के बजाय ३० हजार ले लें इससे आपकी रेवेन्यू बढ़ जायेगी। इससे जो आपका वीक सेक्शन है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वह नहीं लगेगा। एक आदमी जिसके पास पहले से ही ज्यादा पैसा है उसके पास और केपीटल बढ़ेगा तो यह समाजवाद नहीं रहेगा। आपका अच्छा बजट नहीं होने की वजह से बहुत पैसा बेकार चला जाता है। माननीय सदस्य प्रोग्रेसिव कह कह कर टैक्स लगाने की बात करते हैं We are also progressive हम आपके साथ कंधे से कंधा लगा कर डेवलपमेंट मार्च के अन्दर आपके साथ चलने के लिए आज तैयार हैं लेकिन सिर्फ प्रोपेगेन्डा पैसा लेने के लिए कह देते हैं because they are not progressive और दूसरे माननीय सदस्यों ने पैसा लेने में बहुत प्रोग्रेसिव बता दिया और फिर बाद में जितना भी वीक सेक्शन के ऊपर टैक्स लग रहा है वह इसी तरह से क्रिटिसाइज करेंगे जिस तरह से अभी कर रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ब्यावर वालों ने कहा था।

श्री दलपतसिंह : तो हम सब प्रोग्रेसिव लाइन पर चलना चाहते हैं। हमारे राजस्थान के अन्दर जो विकास आज हो रहा है वह इससे भी ज्यादा हो और राजस्थान खुशहाल हो, लेकिन आप यह भी देखिये कि जो वीक सेक्शन है उनका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग कितना गिर रहा है। उनाले के अन्दर लू चलती है, फिर बादल बनते हैं फिर पानी को समुद्र से लेते हैं और समुद्र को पता ही नहीं चलता कि पानी किस तरह से क्लाउड इकट्ठा करता है। यह बात नहीं है। यह जो वीक सेक्शन के ऊपर इफेक्ट है मैं इसको इनडाइरेक्ट टेक्स कभी नहीं मानता हूँ, बल्कि मैं यह मानता हूँ कि यह डाइरेक्ट टैक्स फॉल हुआ है। They will be affected by your taxation. अगर आप बादल के मुताबिक हो जायें और वीक सेक्शन को बिल्कुल पता न चले तो आपकी तारीफ करूंगा। लेकिन आज गुड़ के ऊपर और कैटल फीड के ऊपर ये छोटे छोटे टैक्स आप लगा दें तो यह वीक सेक्शन के ऊपर असर डालने वाली बात है। मैं देखता हूँ कि सेल्स टैक्स के व्यापारी कितनी गड़बड़ करते हैं। नागरिकों को सच्चा रास्ता नहीं बता कर आप उनको इन्सपिरेशन देते हैं कि वे डीमारेलाइजेशन की तरफ बढ़ें। आप देखते हैं कि एक एक व्यापारी दूकान पर दो-दो और तीन तीन चौपड़े रखता है और यह वह इसलिए करता है कि अपने आपको टैक्स से बचाये। मैं यह जरूर मानूंगा कि जो उनके डीमोरेला-इज होने का तरीका है उसको आप सुधारें तो आपके पास रेवेन्यू में ज्यादा पैसा आयेगा और वीक सेक्शन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा यह आप उनको कैसे सुधार सकते हैं कि आप टेक्निकल कमेटी बनाइये, एक्सपर्ट्स को बैठाइये कि हमारे जो दूकानदार हैं उनसे डाइरेक्ट वसूली का तरीका क्या हो सकता है।

(श्री दलपतसिंह)

यह तरीका सही है while collecting the taxation from the citizen, it should be the simplest way और उनके हार्ट को कोई हर्ट नहीं होनी चाहिए। आज हमारा छोटे से छोटा व्यापारी करप्शन की तरफ बढ़ रहा है। जो इन्सपेक्टर वसूली के लिए जाते हैं वे क्या करते हैं, आपको पता है ?

एक काश्तकार का बच्चा बीमार पड़ता है तो उसको मोटर में बैठा कर डॉक्टर के पास कौन ले जाता है ? पर सेल्स टैक्स इन्सपेक्टर के चपरासी का लड़का भी बीमार है तो सेठ की मोटर उसको लेकर जाती है क्योंकि सरकार को उसको जितना टैक्स देना पड़ता है उसको बचाने के लिए सेठ लोग करप्शन के तरीके अख्तियार करते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके पास काफी सोर्सेज़ हैं जिनसे काफी पैसा क्लेक्ट हो सकता है। वे तीन तीन तरह के चौपडे रखते हैं। तो आप कमेटी बैठाइये जिससे डाइरेक्ट टैक्स लगाने का सिम्पल तरीका हो जाये। तो मेरे अर्ज करने का मतलब, सभापति महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह है कि केवल समाजवाद का नारा लगाने से ही कार्य नहीं होगा, लेकिन उस क्लास के लोगों को, वीक सेक्शन के लोगों के लिए जिनको आप उठाने की बात करते हैं तो हमारी समझ में आता है कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। उनकी तरफ जब आप अपने विचार प्रकट करें तो सोच-विचार करके करें। घोड़े वगैरह जो कैटल हैं उनको रिलीफ पहुँच सके तो पहुँचायें।

[श्री रामचन्द्र चौधरी (आबकारी मंत्री) के उत्तर देने के लिये खड़े होने पर]

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय सभापति, अभी तो दो एक माननीय सदस्य और इस पर बोलेंगे।

श्री सभापति : आगे भी २ बिल और हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे तो बड़े माइनर बिल्स हैं।

श्री सभापति : श्री तेजपाल।

श्री तेजपाल (बेयर) : माननीय सभापति महोदय, दोनों तरफ से टैक्सेज़ जो लगे हैं उनके लिए माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह गलत है, नहीं लगने चाहिए। इसमें मेरा निवेदन यह है कि यह टैक्स के मामले में आपको मालूम होना चाहिए कि ये टैक्स जो भी हैं अगर नहीं लगें तो सरकार किस तरह से चल सकेगी और विकास के काम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं ? बल्कि मैं तो अपने विचार से यह कहूँगा कि सरकार उन टैक्सेज़ को जो कि लगे हुए हैं उनकी पूरी तरह से वसूली नहीं कर सकती है। जितने टैक्सेज़ लगे हुए हैं उनमें से ५० पर्सेन्ट टैक्स देते हैं और ५० पर्सेन्ट लोग उन टैक्सेज़ को वसूल नहीं होने देते हैं। इधर सेल्स टैक्स के लिए और इनकम टैक्स आदि जो भी टैक्स लगते हैं उनके लिए व्यापारी लोग २–४ खाते रखते हैं। आम तौर पर टैक्स भी सही मायने में वसूल नहीं कर सकते हैं और न हुआ है। वास्तव में टैक्स जो लगाया जाय उसके लिए सही तरीका यह अख्त्यार करना चाहिए कि वास्तव में गलती कहां होती है, किस जगह गलती से रकम रिकवर नहीं होती है। इसके लिए सरकार को ज्यादे से ज्यादा टैक्स वसूल

(श्री तेजपाल)

करना चाहिए। रकम वसूली करने के लिए और कोई दूसरे कदम उठाने चाहिए। जो रकम वसूल करना चाहिए उतनी रकम वसूल नहीं हो रही है। सरकार ने ढीली नीति इस तरह की अख्त्यार कर रखी है कि ज्यादा रकम जितनी आनी चाहिए नहीं आ रही है।

टैक्स के लिए कहते हैं कि नहीं लगाने चाहिए और उधर चाहते है कि ब्लॉक में विकास कार्य भी हो। हरेक आदमी कहता है, हमारे सदस्य लोग कहते हैं कि हमारे जिले में यह काम नहीं हुआ, मेरी कॉन्स्टीट्युएन्सी में काम नहीं हुआ है, स्कूल खुलवाना चाहते हैं और पैसा एक देना नहीं चाहते हैं। न तो मकान खाली करते हैं और न ही किराया देना चाहते हैं। ये दोनों बातें चलने वाली नहीं हैं। कोई भी सरकार हो वह टैक्स वसूल करने पर ही चलती है। पहले वाली सरकारें जो भी थीं उन्होंने भी टैक्स वसूल किया है, उससे उनकी सरकार चली है। अब भी सरकार टैक्स वसूल करती है। पहले कोई दूसरी पद्धति थी और आज दूसरी पद्धति है। आज हम जितने डेवलपमेंट वगैरह देखते हैं, आज हम अपने घर को देखते हैं, आज से १० साल पहले हम किस स्टेन्डर्ड में रहते थे और आज १० साल के बाद किस तरह के स्टेण्डर्ड रहते हैं। मकान की तरफ जायं खाने पीने की तरफ जायं, हर तरह की फेसिलिटी चाहते हैं, और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार यह काम नहीं करती है, अमुक काम नहीं करती है, तो आखिर पैसा कहां से आये ? मैं तो आपके द्वारा यही कहूँगा कि जो टैक्स लगाये जायं उनको वसूल करने के लिए सही मायने में उपाय करने चाहिए। जो टैक्स लगा रहे हैं वे सही मायने में नहीं वसूल हो रहे हैं। लेकिन कहां कहां गलती करते हैं, उसको देख कर सही मायने में रकम वसूल होनी चाहिए। टैक्स के बगैर कोई सरकार नहीं चला सकता है और न चली है। मैं विरोध करने वाले माननीय सदस्यों से यही कहूँगा कि आप भी कृपा करके सरकार के हाथ मज़बूत करें और टैक्स जो लगाया जाय उसको दिलाने की कोशिश करेंगे। जो लोग चोरी करते हैं उन लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे जो कि हमारा फर्ज और धर्म हो जाता है, चाहे हमारे विचार अलग अलग हों। आपके विचार दूसरे प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अपने देश और अपने प्रान्त की बेहबूदी की बात सोचना हमारा फर्ज हो जाता है। आज आप जिम्मेदार बन कर आये हैं। जो सरकार कानून बनाती है वह देश के हित के लिए बनाती है, उसका विरोध करने का काम हमारा नहीं है। हम लोगों ने जो कानून बनाया है और आज बना रहे हैं मिल कर, उसका विरोध करने से लाभ होने वाला नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस फाइनेन्स बिल के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूँ उसके पहले भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो परिगणित जाति की सीट से आये हैं, और....

श्री होतीलाल (भरतपुर) : भरतपुर से नहीं हैं, भरतपुर से तो मैं हूँ। वे वेयर से आये हैं।

श्री भैरोंसिंह : वेयर सीट से जो माननीय सदस्य चुन कर आये हैं उन्होंने एक वीकर सेक्शन के ऊपर और विशेषकर उस वक्त जबकि माननीय सदस्य हरिजन जातियों को वीकर सेक्शन बताते हैं उस वीकर सेक्शन पर टैक्स लगाने का जो समर्थन किया है उस समर्थन के विषय के ऊपर मैं उनको धन्यवाद तो नहीं देता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि टैक्स का समर्थन करने से पहले जिन लोगों का वे यहां पर रिप्रेजेन्टेशन करते हैं उनकी हालत को अच्छी तरह देख लेते तो शायद इन तालियों की गड़गड़ाहट में इस प्रकार का समर्थन नहीं करते।

श्री तेजपाल (वेयर) : वे खुशी से देने को तैयार है टैक्स।

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूँ कि तालियों की गडगड़ाहट के टेम्पटेशन में कुछ कह गये। शायद उसका परिणाम उनके क्षेत्र में उनको मिल जाय....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : आपको चिन्ता क्यों हो रही है? इसमें तो फायदा ही होगा आपका।

श्री भैरोंसिंह : इस सारी स्थिति में, सभापति महोदय, केवल टैक्सेज़ का विरोध या टैक्सेज़ का समर्थन, यही इस प्रकार का वादविवाद नहीं हैं। वादविवाद इस बात का है कि सरकार जो टैक्सेज़ लगा रही है उन टैक्सेज़ को देने की शक्ति जिनके ऊपर टैक्सेज़ लगा रहे हैं उनमें है या नहीं, दूसरा मसला यह आया है कि सरकार को इस प्रकार के टैक्सेज़ लगाने की शक्ति है या नहीं और तीसरा मसला यह आता है कि इन टैक्सेज़ को हम दूसरे सोर्सेज़ से भी एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं? इन तीन विषयों के ऊपर यदि थोड़ा सा विचार किया जाय, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जितने नये कर सरकार द्वारा लगाने के प्रस्ताव इस विधेयक के द्वारा सदन में प्रस्तुत किये हैं उनमें काफी कमी की जा सकती है, उनमें काफी रद्दोबदल किया जा सकता है और उस कमी और रद्दोबदल के द्वारा राजस्थान की जनता के ऊपर इन टैक्सेज़ का जो भार आने वाला है उस भार से जनता को बचाया जा सकता है। यहां यह कहना कि समाजवाद की अर्थ व्यवस्था के अन्दर इस प्रकार के टैक्सेज़ का प्रावधान आवश्यक होता है, और आवश्यक इसलिए हो जाता है कि जब तक हम अपने देश की, हम अपने समाज की आर्थिक स्थिति नहीं सुधारेंगे, मैं समझता हूँ कि हमें टैक्सेज़ के ऊपर विश्वास करके आधारित रहना पड़ेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में यदि केवल हम टैक्सेज़ के विषय के ऊपर ही या टैक्सेज़ की इनकम के ऊपर ही चल कर और विशेष कर जब कि इस प्रकार के टैक्सेज़ गरीब जनता के ऊपर या इस प्रकार कज्यूमर्स के ऊपर जो कि समाज का वीक सेक्शन है

(श्री भैरोंसिंह)

उसके ऊपर यदि टैक्सेज़ का भार पड़ता है, उस समय हमें समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के बारे में जानकारी करने की आवश्यकता होगी....

श्री चन्दनमल वैद : Mr. Chairman. the time is up.

श्री सभापति : We now stand adjourned till 11 A. M. tomorrow.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५.०० बजे, दिनांक ४ अप्रेल, १९६१ के प्रात: ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त–विवरण

(सोमवार, ३ अप्रेल, १९६१)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	६२९९		
शिक्षा सलाहकार मंडल ।			
भूमि आवंटन समिति द्वारा आवंटन की विधि ।			
दौसा-सवाई माधोपुर सड़क पर टार पेन्टिंग का कार्य ।			
जिला जयपुर तथा अलवर के अध्यापकों के बकाया वेतन की अदायगी ।			
जिला जालोर के पॉवर हाउसेज़ ।			
लघु उद्योगों के लिये ऋण ।			
हाई, स्कूल, उनियारा का परीक्षा-केन्द्र ।			
तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत जालोर जिले में सड़कों का निर्माण ।			
तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक संस्थान ।			
महाराजा सिरोही के व्यास पुरोहितों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान ।			
टौंक–उनियारा–सवाई माधोपुर सड़क ।			
प्रान्त में खनिज विकास ।			
अधिकतम सीमा निर्धारण के उपरान्त भूमि-प्राप्ति का अनुमान ।			
तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित जिला परिषदों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव ।			
चूरू जिले में खातेदारी तथा मुआवजे के मामले ।			
एक्स-सोलजर्स तथा उनके बच्चों को सरकारी सुविधाएं ।			
अकाल पीड़ित क्षेत्रों से बाहर जाने वाले पशु ।			
जयपुर जिले के कस्बों में चम्बल से बिजली ।			

स्कम्भ

भूमिहीन भूतपूर्व सैनिकों द्वारा गंगकेनाल क्षेत्र में भूमि आवंटन हेतु प्रेषित प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही।

सरकारी कॉटन और आइस फैक्ट्रीज़ के विक्रय या लीज़ की बकाया रकम।

तहसील कार्यालय सांगानेर में विद्युत की व्यवस्था।

महात्मा गांधी विद्यालय हाई स्कूल, अजमेर।

सन् १८५७ की शताब्दी के तहत स्मारक निर्माण।

सरदार शहर–रावतसर सड़क।

स्थगित प्रश्न

२४–२–६१

ग्रामों में मकानों पर लगाये जाने वाले टीन के नम्बर।

स्थगित प्रश्न

२०–३–६१

मांडलगढ़ एस. डी. ओ. ऑफिस में गलत ढंग से झंडा फहराया जाना।

स्कम्भ

अनुपस्थिति के लिये अनुमति ६३६६

श्री हीराभाई, सदस्य, विधान सभा को दिनांक २० मार्च से १४ अप्रेल, १९६१ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

विधायी कार्य

(क) पुरःस्थापित किया गया विधेयक

श्री रामचन्द्र चौधरी, आबकारी तथा कर मंत्री ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, राजस्थान कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित किया।

(ख) विचारार्थ लिया गया विधेयक

(१) राजस्थान वित्त विधेयक, १९६१ ६३६७

श्री रामचन्द्र चौधरी, आबकारी तथा कर मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, निम्नांकित सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये :–

(१) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(२) श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(३) रावल श्री नरेन्द्रसिंह ।

(४) डॉ. बहादुरसिंह ।

(५) श्री मुरलीधर व्यास ।

(६) ,, पी० के० चौधरी ।

(७) ,, रामचन्द्र ।

(८) ,, नाथूलाल करोल ।

(९) ,, अनूपसिंह ।

(१०) ,, संपतराज जैन ।

(११) ,, जनार्दनराय नागर ।

(१२) ,, जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

(१३) ,, ज्वालाप्रसाद शर्मा ।

(१४) ,, मुक्तिलाल मोदी

(१५) ,, बृजमोहनलाल शर्मा ।

(१६) ,, श्रीभानसिंह ।

(१७) ,, दलपतसिंह ।

(१८) श्री तेजपाल ।

श्री भैरोंसिंह (१४) अपना भाषण दे रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५ बजे मंगलवार दिनांक, ४ अप्रेल, १९६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई ।

मंगलवार, दिनांक ४ अप्रेल, १९६१
की कार्य–सूची

(१) जन–लेखा एवं प्राक्कलन समिति के नामजद सदस्यों के नामों की घोषणा ।

(२) राजस्थान वित्त विधेयक, १९६१ (अग्रेतर विचार-विमर्श एवं पारित)

(३) राजस्थान मोटर गाड़ी कर (संशोधन) विधेयक, १९६१ (विचारार्थ एवं पारित)

(४) राजस्थान कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९६१ (विचारार्थ एवं पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७१८ का उत्तर देखिये)

क्रमांक	फैक्ट्री का नाम	लीज़ अथवा सेल	व्यक्ति का नाम	बकाया रकम	शर्तों के अनुसार जमा होने की तारीख	कब से बकाया है	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	कॉटन जीनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्री, गुलाबपुरा	विक्रय (सेल)	मैसर्स कॉटन जीनिंग एवं प्रेसिंग कोऑपरेटिव सो० गुलाबपुरा	११३९११	अक्टूबर, ५८ व ५९	अक्टूबर, ५९ से	कई बार लिखे जाने पर भी यह रकम जमा नहीं हुई । अतः पी.डी.आर. एक्ट में वसूली की कार्यवाही हो रही है ।
२.	शाहपुरा	....	मल्टी पर्पज़ज कोऑपरेटिव सो० लि० शाहपुरा	३२५००	मई, ५८ व ५९	मई ५९ से	....

१	२	३	४	५	६	७	८
३	चित्तौड़गढ़	....	पीपल्स को० सो० लि० चित्तौड़गढ़	११११६६	दिसम्बर, ५८ व ५६	दिसम्बर, ५६ से	....
४.	भीलवाड़ा	लीज़	श्री मंगलसिंह चापलोट	१८७५०	मार्च, ६०	मार्च, ६०	....
५.	टौंक	लीज़	श्री गोविन्दसिंह-घीलीवाल	रु. ७२०२।१० आने	नवम्बर, ५६	नवम्बर, ५६	पार्टी ने सरकार के खिलाफ काउन्टर क्लेम किया है और यह मामला गवर्नमेंट के विचाराधीन है।

परिशिष्ट. २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७२० का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE LIST OF TEACHERS' QUALIFICATION AND DATE OF APPOINTMENT OF MAHATMA GANDHI VIDYALAYA HIGH SCHOOL, Ajmer. 3.8.59.

S. No. 1	Name of the teacher 2	Designation. 3	Qualifications. 4	Date of appointment. 5	Remarks. 6
1.	Shri L. H. Veervani,	H. H.	B. Sc. B. T.	10-9-48	
2.	Sh. G. T. Bakhroo,	A. T.	B. Honours	2-8-48	
3.	Sh. A. S. Lokwani,	A. T.	M. A. B. T.	6-7-59	
4.	Sh. S. H. Balani,	A. T.	B. A.	12-4-48	
5.	Sh. P. D. Veervani.	A. T.	Inter S. T. C.	1-7-48	
6.	Sh. Viroomal	A. T.	-do-	22-1-48	
7.	Sh. Kundandass	A. T.	B. A. S. T. C	9-2-48	
8.	Sh. Kundan Mal	A. T.	Matric S. T. C.	9-2-48	
9.	Sh. Parcharam	A. T.	Inter	17-4-48	
10.	Sh. Mohan Lal	A. T.	Matric, Shashtri, Prabhakar.	2-8-48	
11.	Sh. Jethanand	A. T.	Inter S. T. C.	2-1-48	
12.	Sh. Verhomal	A. T.	B. A. S. T. C.	19-7-49	
13.	Sh. Peessumal	A. T.	Inter S. T. C.	30-7-49	
14.	Sh. Tikamdas	A. T.	M. A.	24-12-49	
15.	Sh. Dawarkadass	A. T.	Drg Tchr. B. A. I. G. D.	21-4-48	

1	2	3	4
16. Sh. Chandiram	A. T.	Matric S. T. C.	4-5-48
17. Miss Indra	A. T.	B. A.	1-7-58
18. Miss Chaula	A. T,	B. A.	7-7-58
19. Miss Maya Sadan	A. T.	B. Sc.	21-7-58
20. Miss Kamla Phdhwani	A. T.	B. A.	28-8-58
21. Miss Lila Badlani	A. T.	B. A.	18-7-59
22, Miss Shanti Bhagchandani	A. T.	B. A, B. T,	11-7-59
23. Miss Rukmani	A. T.	B. Sc.	11-7-59
24. Miss Savatri Gopalani	A. T.	B. Sc.	11-7-59
25. D. S. Mirani	A. T.	B. A.	1-7-59
26. Sh. Ishwar Magani	A. T.	B. Sc.	20-8-59
MINISTERIAL STAFF			
1. Sh, Vishno R. Gurba shani	U. D. C.	Inter Parichaya.	23-2-59
Ciass IV Servant			
1. Sh. Ramchnadra	C. IV	...	10-2-50
2. Sh. Showakram	do	...	15-7-48
3. Sh. Persumal	do	...	2-3-48
4. Sh. Hamandass	do	...	4-9-48
5. Sh. Joo. Assamdas	do	...	1-7-50

शुद्धि–पत्र

(सोमवार ३ अप्रेल, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६३००	अन्तिम से ४	विधान समा	विधान सभा
६३०५	३	$\frac{६}{४}$" to $\frac{१}{८}$"	$\frac{३}{४}$" to $\frac{१}{८}$"
६३१३	९	aro	are;
६३१४	११	श्री रिखवचन्द धारीवाल	श्री रिखबचन्द धारीवाल
६३१५	१२	तथ	तथा
,,	अन्तिम से ५	वुकाई	चुकाई
६३२०	१७	केवल	लेवल
६३२३	शीर्षक	स्थगन–प्रस्ताव	तारांकित प्रश्नोत्तर
६३२४	,,	विद्यु तविवरण	,,
,,	६	राइटस	राइट्स
६३२५	७	सुविधाए	सुविधाए
६३३९	अन्तिम से ३	के नाल	केनाल
६३४१	शीर्ष	(श्री मैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिंह)
६३४२	३	एग्रीमेंटस	एग्रीमेंट्स
६३४३	१८	hypo the tical	hypothetical
६३४४	१६	६१	६१
६३४८	अन्तिम से ३	श्री मेरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
६३४९	८	,,	,,
,,	१९	ऑशन	ऑप्शन
६३५७	६	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
६३५८	१५	श्री दलपतसिह	श्री दलपतसिंह
६३५९	अन्तिम से १०	रावरजा श्री सरदारसिंह	रावराजा श्री सरदारसिंह
६३६०	अन्तिम से ७	रावराजा श्री सरदारसिह	रावराजा श्री सरदारसिंह
६३६५	१८	समात	समाप्त
६३६६	१२	एग्जेमशन	एग्ज़ेम्प्शन
६३७०	२	,,	,,
,,	शीर्षक	भिधेयक	विधेयक
,,	३	पगवठा	परावठा
६३७२	१०	सेल्प	सेल्स

१	२	३	४
६३७३	शीर्ष	(श्री सगीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
,,	१६	सीडस	सीड्स
६३७४	२५	business of	of business
,,	अन्तिम से ५	sectin	Section
६३७५	१०	एग्जेम्पट	एग्ज़ेम्प्ट
,,	अन्तिम से ११	मार्च स	मार्च से
६३७६	शीर्षक	विधेवक	विधेयक
६३८२	अन्तिम से ६	श्री सरीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
६३८३	६	दुरुपयो	दुरुपयोग
,,	अन्तिम से ६	म	में
६३८४	१६	ह	हैं
,,	२३	सामन	सामने
६३८६	२	नहीं, एज्युकेश की सेक्रेटरी	नहीं की, एज़्यूकेशन सेक्रेटरी
,,	३	आर	और
,,	३	ि ानिस्टर	मिनिस्टर
,,	११	अकाउन्ट्।	अकाउन्ट्स
६३८७	शीर्ष	(श्री सतीशचन्द अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
६३९२	४	श्री सरीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
,,	१२	में	मैं
६३९४	अन्तिम से ६	सारी का सारी	सारी की सारी
६३९५	२	सापने	सामने
,,	३	अभिकारी	अधिकारी
६३९६	१६	कसेज	केसेज़
,,	२३	हे	हैं
,,	२४	,,	,,
,,	अन्तिम से ४	बेईनानी	बेईमानी
,,	अन्तिम पंक्ति	बदनाशी	बदमाशी
६३९७	१	बेईनानी	बेईमानी
६३९८	अन्तिम से ४	आवेाा	आवेगा।
,,	अन्तिम से ३	,,	,,
६३९९	२	प्रयाम	प्रयास
,,	३	,,	,,

१	२	३	४
६३६६	४	ईनानदारी	ईमानदारी
,,	४	लाये	लगाये
,,	६	एकाइज़	एक्साइज़
,,	८	रोक	रोकने
,,	८	अमनर्थ	असमर्थ
,,	६	प्रयाम	प्रयास
,,	१७	उका	उसका
,,	१८	ऑौर	ओर
,,	१६	प्रार्थािक	प्राथमिक
,,	अन्तिम से ४	लगा ो	लगाने
६४००	१४	करेका	करे या
६४०१	अन्तिम पंक्ति	डॉ० बहा ुरसिंह	डॉ० बहादुरसिंह
६४०२	२	राल श्री नरेन्द्रसिंह	रावल श्री नरेन्द्रसिंह
६४०३	६	डॉ० बहा ुरसिंह	डॉ० बहादुरसिंह
६४०४	२०	रावल श्री नरेन्द्रसिह	रावल श्री नरेन्द्रसिंह
६४०५	६	आसन	आसान
६४११	१७	खच	खर्च
,,	२०	बहाव	बहाने
६४१७	१३	कमता है	कमाता है
६४२३	स्कम्भ	५४२३	६४२३
६४२६	६	अविकार	अधिकार
६४२८	अन्तिम से ७	सक	सकें
६४३०	४	है	हैं
६४३३	१६	इन्डस्ट्रियल	इन्डस्ट्रियल
६४३५	शोर्ष	—	(श्री पी. के. चौधरी)
,,	१३	हिरा	हिस्सा
६४३६	३	रूप	रूप में
६४४१	६	क्या नाजायज	नाजायज़
६४४४	२२	कटल	केटल
६४४७	२२	रेटस	रेट्स
६४४८	८	प्रोपेज़ल्स	प्रोपोज़ल्स
६४५०	अन्तिम से ६	उठा ।	उठाना
६४५४	१३	जिम्मेवारी	जिम्मेदारी

१	२	३	४
६४६०	१२	योजनाओं	योजनाओं को
६४६६	शीर्ष	(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)	(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)
६४७३	शीर्षक	राजस्थान त्ति	राजस्थान वित्त
६४७४	,,	विधेवक	विधेयक
६४७५	अन्तिम से ८	रिर्सोर्सेज़	रिसोर्सेज़
,,	अन्तिम पंक्ति	विचा–रविवेक	विचार–विवेक
६४७६	शीर्षक	विधेवक	विधेयक
,,	५	ग्वाता	खाता
६४७७	६	दूकान	दूकानें
६४७६	६	श्री चन्दनमल वैद	श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर)
६४८२	स्कम्भ	६२८२	६४८२
,,	७	श्री मुक्तलाल मोदी	श्री मुक्तिलाल मोदी
६४८३	शीर्ष	(श्री मुन्शीलाल मोदी	(,,)
६४८५	,,	,,	,,
६४८६	१३	हमारा	हमारी
६४६२	२	वनाश्र	वनाश्रो
६४६५	६	श्री बृजमोहन शर्मा	श्री बृजमोहनलाल शर्मा
६४६६	१८	करता तो	करता है तो
६४६७	२	श्री बृजमोहन शर्मा	श्री बृजमोहनलाल शर्मा
,,	१३	धन	दन
६५०३	१४	नीडस	नीड्स
६५०५	५	एग्गेम्पशन	एग्ज़ेम्पशन
६५०८	अन्तिम से ३	जरुर	जरुरत
६५०६	अन्तिम से २	श्री दलततसिंह	श्री दलपतसिंह
६५१३	अन्तिम से ५	स्टेण्डर्ड	स्टेण्डर्ड में
६५२४	शीर्ष	काभ	स्कम्भ

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६३२०	२२	श्री दामोदलाल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
६३३१	८	श्री दामोदरलल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
६३६३ –६३६६	शीर्षक	३ मार्च, १९६१	३ अप्रेल, १९६१
६४०५	,,	राजस्थान विति	राजस्थान वित्त
६४४२	,,	विवेयक	विधेयक